॥ श्रीः ॥

विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

३१

॥ श्रीः ॥

मानक हिन्दी व्याकरण

लेखक

रामचन्द्र वर्म्मा

चौखम्बा विद्याभवन

विषय-सूची

निवेदन

यों तो हिन्दी मे आरंभिक विद्यार्थियों के लिए छोटे-मोटे बहुत से व्याकरण बने हैं; और बरावर बनते चलते है, फिर भी

'मानक हिंदी व्याकरण' विद्यार्थियो की अनेक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर प्रस्तुत किया गया है। आज-कल सभी पुराने विषयों का विवेचन बहुत कुछ नये ढंग से होने लगा है; और नये ढंग सदा विषय को सरल तथा सुबोध बनाने के उद्देश्य से ही अपनाये जाते है। इस व्याकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुत सहज में और नये मनोरंजक ढंग से व्याकरण की जटिल तथा शुष्क बातो से परिचित कराना है। इसमे अनेक शब्द-भेदों की बिलकुल नई प्रकार की व्याख्या दी गई है; और विपय-विभाजन भी वहुत कुछ नये ढंग से किया गया है। यही इस व्याकरण की ऐसी विशेषता है जिससे इसके अधिक उपयोगी तथा उपादेय सिद्ध होने की आशा है। मेरा विश्वास है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी इसे अन्यान्य अनेक व्याकरणों की तुलना में अधिक महत्त्व की दृष्टि से देखेंगे; और इससे अपेक्षया अधिक लाभ उठा सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो लेखक अपना यह नया प्रयत्न और सारा परिश्रम सफल समझेगा।

रामचन्द्र वर्म्मा

मानक हिन्दी व्याकरण

पहला प्रकरण

व्याकरण का महत्त्व

प्राचीन तथा मध्य युगों में व्याकरण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था। पर अब उसमें से भाषा विज्ञान, अर्थ विज्ञान और अलंकार शास्त्र ये तीन अंग अलग कर दिये गये हैं और ये स्वतंत्र-शास्त्रों के रूप में माने जाने लगे हैं। अब व्याकरण में बोल-चाल तथा साहित्य में प्रयुक्त होनेवाली भाषा के स्वरूप, उसके गठन, उसके अवयवों, उनके प्रकारों और पारस्परिक संबंधों तथा उनके रचना-विधान और रूप-परिवर्त्तन का विचार होता है।

भाषा के मुख्य दो अवयव होते हैं—एक शब्द और दूसरे विराम चिह्न। शब्द के अवयव बोल-चाल में ध्वनियाँ होती हैं और लेखन में अक्षर। शब्दों के भेद विकारी तथा अविकारी होते हैं तथा उनके भी अनेक उपभेद—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विभक्तियाँ, क्रियाएँ, क्रिया-विशेषण, विस्मय-बोधक आदि होते हैं। ये अथवा इनमें से कुछ एक विशिष्ट क्रम से प्रस्तुत होकर वाक्य का स्वरूप धारण करते हैं। वाक्यों के भी कई अंग और प्रकार होते हैं। इन्हीं सब बातों का विचार व्याकरण में होता है।

व्याकरण को वस्तुतः भाषा सम्बन्धी नियमों का संकलन कहना चाहिए। ये नियम वस्तु-स्थिति के आधार पर बनाये जाते हैं। भाषा में होनेवाले विकास तथा परिवर्त्तन के फलस्वरूप नियमों में भी परिवर्त्तन की आवश्यकता होती है। साधारणतया साहित्यिक भाषा में

बोल-चाल की अपेक्षा उक्त नियमों का पालन दीर्घकाल तक होता है और उनमें परिवर्त्तन करने का अवकाश भी कम होता है। बोल-चाल की भाषा में प्रायः जल्दी-जल्दी परिवर्त्तन होता रहता है और इसी लिए उसके नियमों में भी प्रायः परिवर्त्तन होता चलता है।

व्याकरण का महत्त्व :—

१. यही एक ऐसा श्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वक्ता या लेखक का आशय क्या है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता वे भी अभ्यासवश वक्ता या लेखक का आशय तो जैसे-तैसे अवश्य समझ लेते हैं। परन्तु कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जिनमें व्याकरण का ज्ञाता ही लेखक या वक्ता का ठीक ठीक आशय समझ सकता है। व्याकरण से अनभिज्ञ कुछ का कुछ आशय भी समझ सकता है।

२. व्याकरण के ज्ञान से ही शुद्धतापूर्वक लिखा तथा बोला जा सकता है। जब हम लोग हर चीज शुद्ध चाहते हैं, तो क्यों न हम अपनी भाषा भी निर्दोष तथा शुद्ध रखें। भाषा की शुद्धता इसलिए भी आवश्यक है कि बिना इसके विचार विनिमय का साधन त्रुटि-पूर्ण रह जाता है।

३. व्याकरण का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि यह भाषा का स्वरूप बिगड़ने नहीं देता। जिन भापाओं के व्याकरण बन जाते हैं और उनका पठन-पाठन होने लगता है, वे भाषाएँ तथा उनके स्वरूप कम से कम साहित्यिक क्षेत्र में अपेक्षया अधिक स्थायी तथा स्थिर हो जाते हैं। संस्कृत भाषा का इस समय तक जीवित रहना उसकी उच्चकोटि की व्याकरण पुस्तकों के कारण ही संभव हुआ है।

अभ्यास

१. व्याकरण का क्या प्रयोजन है ?
२. व्याकरण का विषय और कार्य-क्षेत्र बतावे ?
३. व्याकरण का क्या महत्त्व है ?

दूसरा प्रकरण

वर्ण-भेद

हर जाति या वर्ग के पशु-पक्षी प्रायः अलग अलग तरह के शब्द करते हैं। कुत्ते भों भों करते हैं, गौएँ-भैंसें में में करती हैं, चूहे चूँ चूँ करते हैं, चिड़ियाँ चीं चीं करती हैं, आदि। किसी एक वर्ग या जाति के पशु अथवा पक्षी अन्य वर्गों या जातियों के पशुओं अथवा पक्षियों के शब्द नहीं बोलते या नहीं बोल सकते। इसके विपरीत मनुष्य अनेक प्रकार के शब्दों अथवा ध्वनियों का उच्चारण करता या कर सकता है। इसका एक मुख्य कारण है।

पशु-पक्षियों आदि के मस्तिष्क अधिक पुष्ट तथा विकसित नहीं होते, इसलिए वे अपने मुख के विभिन्न अंगों पर ठीक और पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते। अनेक प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करने और सीखने के लिए मनुष्यों को अभ्यास तथा प्रयास करना पड़ता है। प्रारम्भिक तथा शैशव अवस्था में बालक नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। वह पहले अपने माता पिता, बहन-भाइयों आदि से कोई शब्द बराबर सुनता रहता है; फिर उसे जैसे-तैसे बोलने का प्रयत्न करता है; और कुछ समय तक बराबर अभ्यास करते रहने पर वह उस शब्द-विशेष का उच्चारण करने में समर्थ होता है। जिस तोते या मैना को बराबर कुछ समय तक प्रयत्नपूर्वक कुछ बोलना सिखाया जाता है; वह भी कुछ दिनों में ऐसे शब्दों या पदों का उच्चारण करना सीख लेता है। अतः यह निश्चित है कि अभ्यास और प्रयास से ही ध्वनियों का उच्चारण सीखा जाता है। जिन बच्चों को सबसे अलग रखकर पाला-पोसा जाता है, और बोलने का अभ्यास नहीं कराया जाता, वे शब्दों का उच्चारण न कर पाने के कारण गूँगे ही रह जाते हैं।

मनुष्य जब बोलता है तब उसे विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए अपने मुख के कई अंगों (जैसे—कंठ, तालु, मूर्धा, दाँतों, ओठों,

नासिका, जिह्वा आदि) की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए उक्त अंगों में से किसी एक अंग से ही काम लिया जाता है और कुछ ध्वनियों के उच्चारण के लिए दो या अधिक अंगों से भी काम लेना पड़ता है। नीचे के चित्र में मुँह के उक्त विभिन्न अंगों के स्थान बतलाये गये हैं।

क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, ह्, अ, आ, और विसर्ग (:) की ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुँह से निकलनेवाली वायु को जिह्वा के पश्च भाग से कंठ में रोकते हैं। अर्थात् इन ध्वनियों के उच्चारण का मुख्य स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ से निकलनेवाली ध्वनियाँ अर्थात् कंठ्य-ध्वनियाँ कहते हैं।

च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, य्, श्, इ और ई ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को (कंठ में जीभ के पश्च भाग से न रोककर) तालु में जीभ का अग्र भाग लगाकर रोकते हैं। इसलिए उक्त ध्वनियाँ तालु से निकलनेवाली अर्थात् तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं।

ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, र्, ष्, और ऋ ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को मूर्धा स्थान पर जीभ को कुछ

घुमाकर उसकी नोक के निचले भाग या अधो भाग से रोकते हैं। इसलिए उक्त ध्वनियाँ मूर्धा से निकलनेवाली अर्थात् मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं।

त्, थ्, द्, ध्, न्, ल्, और स् ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को ऊपरी दाँतों पर जिह्वा लगाकर रोकते हैं। इसलिए ये ध्वनियाँ दाँतों से निकलनेवाली अर्थात् दंत्य ध्वनियाँ कहलाती हैं।

प्, फ्, ब्, भ्, म्, व्, उ और ऊ ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को होंठों से रोकते हैं। इसलिए इन ध्वनियो को होंठों से निकलनेवाली अर्थात् ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहते हैं। व् ध्वनि को दन्त्योष्ठ्य कहना अधिक ठीक होगा; क्योंकि इस ध्वनि का उच्चारण करते समय जिह्वा, दाँतों को भी स्पर्श करती है और होठों को भी।

ए तथा ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के योग से होता है, इसलिए इन ध्वनियों को कंठ्य-तालव्य और ओ तथा औ का उच्चारण कंठ तथा ओष्ठ के योग से होने के कारण इन ध्वनियो को कंठ्य-ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहते हैं।

पाँचों वर्गों की जो अंतिम या पंचम ध्वनियाँ (ङ्, ञ्, ण्, न्, और म्) हैं उनका उच्चारण करते समय मुख-विवर के अतिरिक्त नासिका-द्वारों से भी वायु निकलती है। इसलिए इन ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। इस प्रकार ङ् अनुनासिक कंठ्य, ञ् अनुनासिक तालव्य, ण् अनुनासिक मूर्धन्य, न् अनुनासिक दंत्य और म् अनुनासिक ओष्ठ्य ध्वनि है।

इधर हमारी वर्ण-माला में ड़, ढ़, क्ष, त्र और ज्ञ वर्ण बढ़े हैं, जो वस्तुतः स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं। ड़ और ढ़ तो ड और ढ के ही कुछ बदले हुए रूप हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र भाग को मूर्धा स्थान पर ले जाकर झटके से नीचे फेंकना पड़ता है। पर ड् और ढ् का उच्चारण करते समय जिह्वा को झटका नहीं देना पड़ता। क्ष्, त्र् और

ञ् संयुक्त व्यंजन हैं। क्+ष् से क्ष्, त्+र् से त्र् तथा ज्+ञ् से ज्ञ् बनता है। इस प्रकार क्ष् कंठ्य मूर्धन्य हुआ, और त्र दन्त्य मूर्धन्य हुआ और ज्ञ् तालव्य अनुनासिक हुआ।

ध्वनियो को व्याकरण में अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर से अभिप्राय सदा ध्वनि की लघुतम इकाई से होता है। ध्वनि की लघुतम इकाई वह कहलाती है जिसके खंड या टुकड़े न हो सकते हों। जब हम 'राम' या 'पुस्तक' शब्द का उच्चारण करते हैं, तब हम वस्तुतः क्रमात् चार और सात लघुतम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। राम कहते समय हम र्+आ+म्+अ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं; और 'पुस्तक' शब्द कहते समय हमें प्+उ+स्+त्+अ+क्+अ इन सात ध्वनियों का उच्चारण करना पड़ता है। जिस प्रकार हम राम, पुस्तक, आदि शब्दों के छोटे छोटे खण्ड करते हैं, उस प्रकार र् आ म् अ अथवा प्, उ, स्, त्, क् आदि ध्वनियों के छोटे खंड नहीं कर सकते। इसी लिए इन्हें अक्षर (जिनका क्षरण न हो) या वर्ण कहते हैं।

स्वर और व्यंजन

ऊपर हमने कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य आदि लघुतम ध्वनि-इकाइयों अर्थात् वर्णों की जो सूचियाँ दी हैं, उनमें से कुछ के नीचे तिरछी रेखाएँ लगी हैं और कुछ के नीचे नहीं लगी हैं। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखाएँ नहीं लगी हैं, वे स्वतंत्र वर्ण हैं। स्वतंत्र वर्ण से हमारा अभिप्राय यह है कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। पर जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखाएँ लगी हैं, उनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं, और दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चरित होनेवाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण तब तक नहीं हो सकता, जब तक उनके अंत में अथवा उनके पहले कोई स्वर वर्ण न हो। जब हम खाली क्, ख्, च्, छ्, आदि वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब उनके बाद में अ स्वर का उच्चारण आप से आप हो जाता है, इसी लिए हम साधारण अवस्था में उनके (क्+अ=) क,

(ख्+अ=) ख, (च्+अ=) च, (छ्+अ=) छ आदि रूप व्यवहार में लाते हैं। वस्तुतः क, ख, च, छ आदि वर्ण लघुतम ध्वनि इकाई के नहीं बल्कि दो-दो वर्णों के समूहों के सूचक हैं। जब हम किसी व्यंजन के बाद स्वर नहीं लगाते, तब उसके पहले किसी स्वर का होना आवश्यक होता है। जैसे—जगत् (ज्+अ+ग्+अ+त्) महान् (म्+अ+ह्+आ+न्) मरुत् (म्+अ+र्+उ+त्) आदि शब्दों की अंतिम लघुतम ध्वनि इकाइयाँ व्यंजन हैं और इनके पहले क्रमशः अ, आ, और उ स्वर आये हैं। यदि किसी व्यंजन वर्ण के पहले भी कोई स्वर वर्ण न हो और बाद में भी कोई स्वर वर्ण न हो, तब उसके बाद यदि कोई अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक या ऊष्म व्यंजन आवे तो भी उसका उच्चारण हो जाता है। जैसे श्मशान (श्मशान) क्यारी (क्यारी) प्लावन (प्लावन) म्हारा (म्हारा) आदि शब्दों में होता है। श्, क्, प् और म् ध्वनियों का उच्चारण क्रमशः म्, य्, ल्, ह् आदि वर्णों के कारण संभव हुआ। इस नियम का एक अपवाद केवल स् वर्ण है। इसके पहले भी कोई स्वर वर्ण न रहने पर और इसके बाद में भी कोई स्वर वर्ण न रहने पर (ऐसी अवस्था में इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण होना आवश्यक होता है) इसका उच्चारण हो जाता है। स्कंद, स्खलन, स्टीमेर, स्तूप, स्थल, स्नेह, स्पर्श, स्फुट आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। स् के सिवा अन्य कोई व्यंजन इस नियम का अपवाद नहीं है। यदि किसी व्यंजन के पहले कोई स्वर आ जाता है, तो उसके बाद कोई भी व्यञ्जन आने पर उसके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जैसे—कक्कड़, जख्म, चञ्चल आदि शब्दों में क्, ख् और ञ् व्यंजन आने पर कोई बाधा नहीं होती।

व्यंजन सदा पराश्रित रहते हैं। उनके साथ किसी स्वर या व्यंजन का उच्चरित किया जाना उनके पराश्रित होने का ही द्योतक है। इस विवेचन के आधार पर हम स्वरों की स्थिति को स्वतंत्र स्थिति, व्यंजनों की स्थिति को परतंत्र स्थिति और वर्णों के इस विभेद को **स्थिति-भेद** कह सकते हैं।

स्वरों के भेद

नागरी वर्ण माला में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः ये तेरह स्वर गिनाये गये हैं परन्तु अं और अः कोई पृथक् स्वर नहीं हैं; ये क्रमशः अ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगने से बनते हैं।

शेष ग्यारह स्वरों में से अ, इ, उ और ऋ मूल स्वर माने जाते हैं और ए, ऐ, ओ, औ संधि स्वर (या संयुक्त स्वर) कहे जाते हैं। कारण यह है कि अ + इ से ए, अ + उ से ओ, अ + ए = ऐ और अ + ओ = औ बनता है। मूल स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं और आ, ई और ऊ दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। (अ + अ =) आ, (इ + इ =) ई और (उ + उ =) ऊ स्वर क्रमशः अ, ई और ऊ के दीर्घ रूप हैं। क्योंकि इन्हीं को खींचकर बोलने से उनका उच्चारण हो जाता है। इन दोनों में एक भेद यह भी है कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसकी तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ठीक दूना समय लगता है। स्वरों का एक और भेद प्लुत भी होता है। जिस प्रकार अ, इ और उ के दीर्घ रूप क्रमात् आ, ई और ऊ होते हैं, उसी प्रकार कुछ अवसरों पर आ, ई और ऊ का उच्चारण और भी अधिक खींचकर तथा और भी अधिक समय लगाकर किया जाता है। दूर-स्थित व्यक्ति को उसका नाम लेकर जब जोर से पुकारा जाता है, तब कहा जाता है—र् + आ + अ + म् + अ (यहाँ आ में अ का उच्चारण दो बार हुआ और तब एक बार अ का उच्चारण हुआ।) उच्चारण की यह अवस्था प्लुत कहलाती है; और इसे सूचित करने के लिए मूल स्वर के आगे ३ का अंक लिख दिया जाता है। जैसे—ओ३म्।

व्यंजनों के भेद

नागरी वर्ण माला के क् से लेकर म् तक के वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें पाँच पाँच के वर्गों या समूहों में बाँटा गया है। इन्हें क्रमात् कवर्गीय (क्, ख्, ग्, घ्, ङ्) चवर्गीय (च्, छ्,

ज्, झ्, ञ्) ट वर्गीय (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्) त वर्गीय (त्, थ्, द्, ध्, न्) और प वर्गीय (प्, फ्, ब्, भ्, म्) कहा जाता है। य् र् ल् व् को अंतस्थ और श् ष् स् और ह् को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। य् (तालव्य) र् (मूर्धन्य) ल् (दन्त्य) व् (दन्त्य ओष्ठ्य) ध्वनियों का उच्चारण करते समय न तो जीभ अन्य व्यंजन (तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, ओष्ठ्य) ध्वनियों के समान क्रमशः तालु, मूर्धा, दाँत या ओष्ठों को दृढ़ता से छूती है और न ही स्वर ध्वनियों की भाँति उक्त अंगों से दूर रहती है। इसी लिए उक्त ध्वनियों को अंतस्थ अर्थात् व्यंजनों और स्वरों के बीच की ध्वनियाँ या अर्द्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुखद्वार से वायु झटके से बाहर निकाली जाती है।

अब यह देखना चाहिए कि केवल कंठ से अथवा केवल तालु या मूर्धा आदि से विभिन्न वर्णों का उच्चारण कैसे हो सकता है। यदि यह मान भी लिया जाय कि मुँह के विभिन्न अवयवों से तरह तरह की ध्वनियाँ निकल सकती हैं, पर उसके एक ही अवयव से भी अनेक ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं?

अब तक वर्णों के स्वतंत्र और पराश्रित तथा उनके आधार पर उनके स्थिति-जन्य भेद (स्वर और व्यंजन) बतलाये जा चुके हैं और उनके उच्चारण-स्थान की दृष्टि से होनेवाले कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य-ओष्ठ्य, कंठ्य-तालव्य आदि भेदों का भी विवेचन हो चुका है। उदाहरण के लिए कंठ्य वर्णों (क् ख् ग् घ् ङ् ह् अ और आ) के स्थिति-भेद के अनुसार अ और आ को स्वतंत्र या स्वर वर्ण और शेष को पराश्रित या व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वरों में से अ को ह्रस्व स्वर वर्ग में तथा आ को दीर्घ स्वर वर्ग में रखकर इनका भेद भी सहज में दिखला सकते हैं। व्यंजनों में से ह् को ऊष्म मानकर शेष कवर्गीय व्यंजनों से भी अलग कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के पाँचों वर्ण कंठ्य हैं; परन्तु पांचवाँ वर्ण कंठ्य होने के अतिरिक्त अनुनासिक भी है; इसलिए इसे भी शेष

चारों से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार क् ख् ग् और घ् कंठ्य व्यंजन रह गये, जिनके पारस्परिक भेद जानना बाकी रहा।

हमारे प्राचीन भाषा-विज्ञानियों ने कुछ व्यंजन वर्णों को कोमल और अन्य व्यंजन वर्णों को कठोर कहा है। कोमल व्यंजन वर्णों को मृदु या घोष भी कहते हैं, और कठोर व्यंजनों को अघोष भी कहते हैं। घोष का अर्थ है—मृदु ध्वनिवाला; और अघोष का अर्थ है—मृदु ध्वनि से रहित। पाँचों वर्गों के पहले दो दो वर्ण तथा ऊष्म वर्ण कठोर या अघोष होते हैं; और प्रत्येक वर्ग के अन्तिम तीन वर्ण, अंतस्थ वर्ण और विसर्ग मृदु अर्थात् घोष वर्ण कहे जाते हैं। वर्णों के इस भेद का पता उनके उच्चरित होने के बाद चलता है, इसलिए यह भेद बाह्य-प्रयत्न भेद या यत्न-भेद कहलाता है। घोष और अघोष वर्णों की एक सुगम पहचान यह है कि घोष वर्णों का उच्चारण करने के बाद गले में एक हलकी सी झनकार या गूँज होती है; परन्तु अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय ऐसी कोई झनकार या गूँज नहीं होती।

इस प्रकार क् ख् अघोष हुए और ग् घ् (तथा ङ् भी) घोष हुए। इसी प्रकार च् छ् ट् ठ् प् फ् अघोष हुए और ज् झ् ञ् ड् ढ् ण् द् ध् न् ब् भ् म् घोष ध्वनियाँ हुईं।

अब यह भी जान लेना चाहिए कि क् ख् कंठ्य अघोष व्यंजनों में तथा ग् घ् कंठ्य घोष व्यंजनों में परस्पर क्या अन्तर है। इनमें वस्तुतः स्वरूप रचना या प्राणभेद का अंतर है। क् के साथ ह् का संयोग होने पर ख् बनता है, और ग् के साथ ह् का संयोग होने पर घ् बनता है। इसी प्रकार हर वर्ग के पहले और तीसरे वर्णों में ह् का संयोग होने पर उस वर्ग के क्रमशः दूसरे और चौथे वर्ण बनते हैं। इसी लिए हम हर वर्ग के पहले और तीसरे वर्णों को अल्प-प्राण (छोटे प्राण वाला) वर्ण और दूसरे तथा चौथे वर्णों को महाप्राण (बड़े या महा-प्राण वाला) वर्ण कहते हैं। वर्गों के पंचम वर्ण अल्प-प्राण ही होते हैं, क्योंकि वे किसी वर्ण में ह् वर्ण का योग होने पर नहीं बनते।

अब हम क् ख् और ग् घ् का भेद भी कर सकते हैं। संक्षेप में क् कंठ्य, अल्प-प्राण अघोष व्यंजन हैं, ख् कंठ्य महाप्राण अघोष व्यंजन है, ग् कंठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन है, घ् कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन हैं। और कवर्ग का ङ् वर्ण कंठ्य अनुनासिक अल्पप्राण घोष व्यंजन है।

कुछ विद्वानों ने एक और दृष्टि से भी इस विषय पर विचार किया है। कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय मुँह कुछ अधिक खुलता है और कुछ के उच्चारण में कम। आ का उच्चारण करते समय मुँह पूरा खुलता है, इसलिए इसे मुँह के विवर के पूरे खुलने के कारण विवृत स्वर कहते हैं। इ, ई, उ, ऊ तथा ऋ का उच्चारण करते समय मुँह बहुत कुछ बंद होता है इसलिए इन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद। ए तथा ओ अर्ध संवृत और अ, ऐ तथा औ अर्ध विवृत ध्वनियाँ हैं। उक्त स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय मुँह से वायु किसी अंग से रगड़ खाये बिना बाहर निकलती है। वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुँह बहुत कम खुलता है, और उसमें से निकलनेवाली वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। ऐसे वर्णों को स्पृष्ट (छूए हुए) वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्णों का उच्चारण करते समय मुँह स्पृष्ट वर्णों की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है और उसमें से निकलनेवाली वायु भी उनकी अपेक्षा कम रगड़ खाती है, इसलिए अन्तस्थ वर्णों को ईषत्स्पृष्ट कहते हैं। ईषत् का अर्थ है थोड़ा। जो थोड़े स्पृष्ट वर्ण हैं, वही ईषत्स्पृष्ट कहलाते हैं। ऊष्म वर्णों का उच्चारण करते समय मुँह खुलता तो बहुत है, परन्तु विवृत वर्णों की तुलना में फिर भी कम खुलता है, इसलिए ऊष्म वर्णों को ईषद्विवृत कहते हैं। वर्णों का यह भेद प्रयत्न भेद या आभ्यंतर प्रयत्न भेद कहलाता है क्योंकि वर्णों का उच्चारण करने से पहले ही यह प्रयत्न करना पड़ता है।

अब तक ऊपर जो बातें बतलाई गई हैं, उन सबका पूरा और स्पष्ट रूप नीचे की सारणी से जाना जा सकता है।

वर्ण-भेद की सारणी

वर्ण	स्थिति भेद	स्थान-भेद	यत्न भेद या बाह्य प्रयत्न भेद	प्राण-भेद	प्रयत्न या आभ्यंतर प्रयत्न भेद
अ	स्वर, मूल, ह्रस्व	कंठ्य	घोष		अर्ध विवृत
आ	,, ,, दीर्घ	,,	,,		विवृत
इ	,, ,, ह्रस्व	तालव्य	,,		संवृत
ई	,, ,, दीर्घ	,,	,,		,,
उ	,, ,, ह्रस्व	ओष्ठ्य	,,		,,
ऊ	,, ,, दीर्घ	,,	,,		,,
ऋ	,, ,, ह्रस्व	मूर्धन्य	,,		,,
ए	,, संधि संयुक्त	कंठ्य-तालव्य	,,		अर्ध संवृत
ऐ	,, ,,	,, ,,	,,		अर्ध विवृत
ओ	,, ,,	कंठ्य-ओष्ठ्य	,,		अर्ध संवृत
औ	,, ,,	,, ,,	,,		अर्ध विवृत
क्	व्यञ्जन-कवर्गीय	कंठ्य	अघोष	अल्पप्राण	स्पृष्ट
ख्	,, ,,	,,	,,	महाप्राण	,,
ग्	,, ,,	,,	घोष	अल्पप्राण	,,
घ्	,, ,,	,,	,,	महाप्राण	,,
ङ्	,, ,,	कंठ्य-अनुना०	,,	अल्पप्राण	,,
च्	,, चवर्गीय	तालव्य	अघोष	,, ,,	,,
छ्	,, ,,	,,	,,	महा ,,	,,
ज्	,, ,,	,,	घोष	अल्प ,,	,,
झ्	,, ,,	,,	,,	महा ,,	,,
ञ्	,, ,,	तालव्य-अनुना०	,,	अल्प ,,	,,
ट्	,, टवर्गीय	मूर्धन्य	अघोष	,, ,,	,,
ठ्	,, ,,	,,	,,	महा ,,	,,
ड्	,, ,,	,,	घोष	अल्प ,,	,,
ढ्	,, ,,	,,	,,	महा ,,	,,
ण्	,, ,,	मूर्धन्य-अनु०	,,	अल्प ,,	,,
त्	,, तवर्गीय	दन्त्य	अघोष	,, ,,	,,
थ्	,, ,,	,,	,,	महा ,,	,,

वर्ण	स्थिति भेद		स्थान-भेद	यत्न भेद या वाह्य प्रयत्न भेद	प्राण-भेद		प्रयत्न या आभ्यंतर प्रयत्न भेद
द्	व्यञ्जन-तवर्गीय		दन्त्य	घोष	अल्पप्राण		स्पृष्ट
ध्	,,	,,	,,	,,	महा	,,	,,
न्	,,	,,	दन्त्य-अनुना०	,,	अल्प	,,	,,
प्	,,	पवर्गीय	ओष्ठ्य	अघोष	,,	,,	,,
फ्	,,	,,	,,	,,	महा	,,	,,
ब्	,,	,,	,,	घोष	अल्प	,,	,,
भ्	,,	,,	,,	,,	महा	,,	,,
म्	,,	,,	ओष्ठ्य-अनुना०	,,	अल्प	,,	,,
य्	,,	अन्तस्थ	तालव्य	,,	,,	,,	ईषत्स्पृष्ट
र्	,,	,,	मूर्धन्य	,,	,,	,,	,,
ल्	,,	,,	दन्त्य	,,	,,	,,	,,
व्	,,	,,	दन्त्य-ओष्ठ्य	,,	,,	,,	,,
श्	,,	ऊष्म	तालव्य	अघोष	महा	,,	ईषद्विवृत
ष्	,,	,,	मूर्धन्य	,,	,,	,,	,,
स्	,,	,,	दन्त्य	,,	,,	,,	,,
ह्	,,	,,	कंठ्य	,,	,,	,,	,,
:	,,	विसर्ग	,,	घोष	अल्प	,,	,,

अभ्यास

१. स्वर कितने है और व्यजन कितने ? स्थिति-भेद और स्थान-भेद की दृष्टि से निम्नलिखित वर्णों के स्वरूप बतलाइए—

अ, ई, ऊ, ओ, क्, ङ्, ठ्, भ्, ब, प, व और ह् ।

२. घोष वर्णं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं ? पाँच-पाँच उदाहरण देकर स्पष्ट करें ।

३. निम्नलिखित व्यजनो मे से कौन-कौन से महाप्राण हैं और कौन-कौन से अल्पप्राण ?

प्, ज्, ञ्, घ्, ब्, ड्, ल्, य्, द्, न्, म् और ख् ।

४. तालव्य और मूर्धन्य वर्णों का भेद बतलाइए।

५. तालिका बनाकर दिखलाइए कि निम्नलिखित वर्णों मे क्या-क्या भेद हैं ?
अ, ऊ, ऋ, क्, ङ्, ट्, ठ्, प्, भ्, य्, र्, और ह्।

तीसरा प्रकरण

लिपि

जिन संकेत चिह्नों से कागज, पत्ते, पत्थर आदि पर वर्णों का अंकन किया जाता है, उनके नियमित और व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जिस भाषा में वस्तुतः जितने वर्ण बोले जाते हैं, उसकी लिपि में उतने ही संकेत चिह्न भी होने चाहिए। परन्तु अधिकतर भाषाओं में देखा यही जाता है कि उनके वर्ण तो अधिक होते हैं, पर उनके सूचक संकेत-चिह्न उनकी अपेक्षा कम होते हैं। फल यह होता है कि एक ही संकेत चिह्न से कई-कई ध्वनियों का अंकन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अँगरेजी भाषा की रोमन लिपि में कुछ संकेत चिह्न कई वर्णों के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इसके विपरीत अरबी, फारसी या उर्दू लिपियों में एक ही वर्ण के सूचक कई-कई संकेत चिह्न होते हैं। हमारी देव-नागरी लिपि संकेत चिह्नों की दृष्टि से बहुत-कुछ पूरी भी है और बहुत कुछ व्यवस्थित भी। हिन्दी भाषा-भाषी जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं या करते आ रहे हैं, उन सब के लिए इसमें संकेत चिह्न हैं। इधर कुछ शताब्दियों से फारसी, अरबी तथा अँगरेजी भाषाओं से अधिक सम्पर्क होने के कारण हिन्दी भाषा-भाषी कुछ नये वर्णों का भी उच्चारण करने लगे हैं, परन्तु हिन्दीवालों ने अभी तक इन नये वर्णों के लिए नये चिह्न नहीं बनाये हैं। नये वर्णों से मिलते-जुलते जो वर्ण हमारे यहाँ पहले से हैं, उन्हीं के संकेत चिह्नों से इन नये वर्णों का भी अंकन होने लगा है। फल यह हुआ है कि कुछ संकेत एक से अधिक वर्णों का बोध कराने लगे हैं। हम बेल (प्रसिद्ध वृक्ष और उसका फल) शब्द में ब् वर्ण के साथ जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अँगरेजी बेल (Bell = घंटी) में के ब् वर्ण के साथ वैसे ही स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं करते। हम दोनों स्थानों पर संकेत चिह्न तो एक-सा लगाते हैं, परन्तु उन स्थानों पर उच्चारण भिन्न-भिन्न

वर्णों का करते हैं। इसी प्रकार यौवन और दौड़ लिखने में एक ही औ चिह्न लगाते हैं पर उच्चारण दो विभिन्न वर्णों का करते हैं। जब हमारा अभिप्राय पुष्प से होता है तब हम फूल में के फ् वर्ण का उच्चारण कुछ और तरह से करते हैं, और जब अँगरेजी फूल (Fool=मूर्ख) या फारसी फकत (=केवल) से अभिप्राय होता है, तब फ् वर्ण का उच्चारण कुछ दूसरे रूप में करते हैं। इसी प्रकार कलह और किस्मत में के क् संकेत-चिह्न, खरा और खाक् में के ख् संकेत चिह्न तथा जल और जरा में के ज् संकेत चिह्न निश्चित रूप से विभिन्न वर्णों के सूचक हैं। यह वस्तुतः लिपि माला का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसके फल-स्वरूप उच्चारण करने में तो भ्रम हो ही सकता है, कभी-कभी लेखक का ठीक आशय समझने में भी भ्रम हो सकता है।

जिस प्रकार कुछ लिपियों में एक संकेत चिह्न से कई-कई वर्णों का बोध कराया जाता है, उसी प्रकार कुछ लिपियों में एक वर्ण के लिए भी एक से अधिक चिह्न होते हैं। उदाहरणार्थ उर्दू लिपि में जाल, जे, जाद, और जो, अथवा से, सीन और साद का उच्चारण बहुत कुछ एक ही सा होता है। देवनागरी लिपि में अ, और अ, झ और झ, ण और ण, क्ष और क्ष, त्र और त्र दो दो स्थानिक रूप प्रचलित हैं। अच्छी या आदर्श लिपि के लिए यह दोष ही माना जाता है। क्योंकि उसके सिर व्यर्थ के ऐसे संकेत चिह्नों का भार लदा रहता है जिससे पीछा छुड़ाना कठिन होता है।

स्वरों के जो प्रतिनिधि संकेत-चिह्न व्यंजनों में जोड़े जाते हैं, उन्हें मात्राएँ कहते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार हैं—

आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अ की कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं है। साधारणतया व्यंजनों के अन्त में अ की मात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है; इसी लिए हम क, ख, ग, घ आदि लिखते हैं।

व्यंजनों में मात्राएँ लगाने का हमारे यहाँ कोई एक निश्चित नियम नहीं है। कुछ मात्राएँ हम व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं और कुछ नीचे। कुछ मात्राएँ पहले लगाते हैं और कुछ बाद में। व्यवहार में जब स्वर का उच्चारण व्यंजन के बाद किया जाय तब सिद्धान्ततः स्वर की मात्रा व्यंजन के बाद ही आनी चाहिए। पर हम इ की मात्रा (ि) व्यंजन से पहले लगाते हैं, ए, ऐ की मात्राएँ (े, ै) व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं, उ, ऊ तथा ऋ की मात्राएँ (ु, ू, ृ) व्यंजनो के नीचे लगाते हैं। जैसे—कि, के, कै, कु, कू, कृ आदि में। हाँ आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएँ (ा, ी, ो, ौ) उचित रूप से व्यंजनों के बाद लगाई जाती हैं। वैसे अभ्यासवश उक्त मात्राओं के ऊपर, नीचे आदि लगाने से पढ़ने में किसी प्रकार का भ्रम नही होता, परन्तु लिखने में असुविधा अवश्य होती है और समय का अपव्यय भी होता है। इसी लिए अन्य भाषा-भाषी हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थियों को हमारी लिपि सीखने में कुछ कठिनता भी होती है।

'अ' स्वर से युक्त समझे जानेवाले व्यंजन वर्णों के संकेत-चिह्नों के रूप जब हम 'अ' से रहित करके और शुद्ध व्यंजन वर्ण के रूप में दिखलाना चाहते हैं, तब उनके नीचे तिरछी रेखा (्) लगाते हैं। परन्तु कुछ अवस्थाओं में उनके नीचे तिरछी रेखा न लगाकर उनके विभिन्न अंशों या रूपों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे—क्यारी, ज्यादा, प्यार, म्लान आदि शब्दो में क् ज् प् और म् व्यंजनों के रूप देखे जा सकते हैं। कुछ अवस्थाओ में पास-पास पड़नेवाले दोनों व्यंजनों को कुछ-कुछ काटकर भी आपस में मिलाते हैं। जैसे—ब्रह्म, बाह्य काष्ठ आदि में ह् + म, ह् + य और ष् और ठ के कुछ-कुछ कटे हुए रूप सम्मिलित हैं। कभी तो हम पास-पास पड़नेवाले व्यंजनों के रूप इस प्रकार विभक्त करते तथा परस्पर जोड़ते हैं कि उनके बननेवाले रूप देखकर उनका मूलरूप पहचानना कठिन होता है। उदाहरण के लिए भक्त और अश्रु शब्दों में क्त वस्तुतः क् और त का तथा श्र वस्तुतः श् और र का सम्मिलित रूप है। क्त में त (त् + अ) चिह्न तो अपने

सामान्य रूप में ही है। केवल उसमें एक छोटी बेड़ी रेखा और लगाकर उसका रूप त्त कर दिया गया है; और उसके अंत में क् का पिछला आधा अंश लगा दिया गया है, जब कि क् का उच्चारण त् से पहले होता है। श्र् में श् के विभक्त अंश श को उलट कर उसमें र् का तिरछी रेखावाला चिह्न लगा दिया गया है।

कहीं-कहीं एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन भी लगता है। जैसे—अद्भुत, मट्ठा आदि। द्वित्व वर्णों में तो प्रायः ऐसा होता है। जैसे—पक्का, भद्दा, खट्टा आदि। र् व्यंजन के पहले स्वर वर्ण आने पर र् को बादवाले स्वर-युक्त व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे—कर्म, धर्म आदि। और पहले स्वर वर्ण न होने पर पहले आये हुए व्यंजन में तिरछी पाई के रूप में लगा दिया जाता है। जैसे—क्रम, भ्रम आदि।

कभी-कभी दो व्यंजनों को जोड़कर बिलकुल नया संकेत चिह्न भी बना लिया जाता है। जैसे—ज्+ञ=ज्ञ, क्+प=क्ष आदि। ङ् ञ्, न्, ण् और म् अनुनासिक व्यंजन अनुस्वार (ˉ˙) रूप में भी लिखे जाते हैं और विभक्त रूपों में भी। जैसे—अंक या अङ्क, चंचल या चञ्चल, कंठ या कण्ठ, संबंध या सम्बन्ध आदि। आज-कल प्रायः अनुस्वार का ही अधिक प्रयोग होता है। चंद्रबिन्दु (ˉँ) अनुनासिक व्यंजनों की अपेक्षा हलकी ध्वनि का सूचक है। यह भी अनुस्वार की भाँति व्यंजनों के ऊपर ही लगाया जाता है।

सिद्धान्ततः होना यह चाहिए कि जिस ध्वनि का जिस रूप में उच्चारण किया जाय, उसका अंकन भी उसी रूप में हो। पर व्यवहार में अनेक अवसरों पर इस सिद्धान्त का उल्लंघन होता रहता है। हम बोलते तो ठाम्, तमाल्, रसाल् आदि हैं, परन्तु लिखते ठाम, तमाल और रसाल हैं। संस्कृत तथा मराठी भाषा-भाषी तो ऐसे शब्दों के अन्तिम व्यंजनों के साथ युक्त अ वर्ण का भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं, परन्तु हिन्दी-भाषी बहुत कम अवसरों पर ऐसा करते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि जो कुछ लिखा हो, उसे उसी रूप में पढ़ें। नीचे

लिखे शब्दों का एक-एक बार उच्चारण करके देखें तो हमारी बात समझने में आपको सुभीता होगा—

कलम (क् + अ + ल् + अ + म् + अ)
कल्म (क् + अ + ल् + म् + अ)
कलं या कलम् (क् + अ् + ल् + अ + म्)
क्लम् (क् + ल् + अ + म्)
क्लम (क् + ल् + अ + म् + अ)

इसी तरह और शब्दों के विभिन्न रूप बनाकर संकेत चिह्नों के आधार पर वर्णों का ठीक-ठीक उच्चारण करना सीखा जा सकता है।

आदर्श लिपि—

हम ऊपर आदर्श लिपि का एक गुण यह बतला चुके हैं कि उसमें उतने ही संकेत चिह्न होने चाहिएँ जितने उसमें लिखी जानेवाली भाषा के वर्ण होते हैं। आदर्श लिपि की दूसरी विशेषता यह भी होनी चाहिए कि उसके संकेत चिह्न सुन्दर तो हों ही, सरल भी हों, जिसमें वे सहज में पहचाने जा सकें। एक संकेत-चिह्न से दूसरे संकेत-चिह्न का भ्रम नहीं होना चाहिए। तीसरे संकेत-चिह्नों के रूप ऐसे होने चाहिए, कि वे कम से कम जगह घेरें। और चौथे उनमें यह गुण भी होना चाहिए कि प्रायः सभी चिह्न बिना बार-बार कलम उठाये एक ही प्रवाह में लिखे जा सकें।

हमारी देव-नागरी लिपि में प्रथम दो गुण तो हैं, परन्तु दूसरे दो गुण नहीं हैं। रोमन (जिसमें अंगरेजी भाषा लिखी जाती है) और फारसी (जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है) लिपियों में अन्तिम तीनों गुण हैं, परन्तु पहला गुण नहीं है। रोमन लिपि सुन्दर तो होती है, उसके संकेत चिह्नों के रूप भी छोटे-छोटे होते हैं और साथ ही उसके सभी संकेत कलम के एक ही आघात में लिखे भी जा सकते हैं। परन्तु जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, कि उसमें सब वर्णों के लिए अलग-अलग संकेत चिह्न नहीं हैं। फारसी लिपि में बहुत बड़ा दोष यह है कि उसकी लिखावट पढ़ने में प्रायः बहुत अधिक

भ्रम का अवकाश रहता है; वह शुद्ध अर्थों में लिपि नहीं, बल्कि संकेत-लिपि है।

नागरी लिपि के संकेत-चिह्नों के आकार तो कुछ बड़े होते हैं और वे अपेक्षया अधिक स्थान घेरते हैं। इसी लिए रोमन अक्षरों के छोटे से छोटे रूप भी सहज में पढ़े जा सकते हैं, परन्तु देवनागरी लिपि के उतने छोटे रूप या तो बन ही नहीं सकते, या बनें भी तो सहज में पढ़े नहीं जा सकते।

कुछ भाषाओं में उसके वर्णों और उन वर्णों के संकेत-चिह्नों के नाम अलग-अलग होते हैं। रोमन लिपि में ह् ध्वनि के सूचक H या h संकेत-चिह्न को एच्, ब् ध्वनि के संकेत-चिह्न को B या b को बी और ल् के सूचक संकेत-चिह्न L या l को एल कहते हैं। अरबी लिपि में भी क् ध्वनि के संकेत-चिह्न को काफ ब् ध्वनि के संकेत-चिह्न को बे, ल् ध्वनि के संकेत-चिह्न को लाम आदि-आदि कहते हैं। परन्तु हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओं में वर्णों तथा उनके संकेत-चिह्नों का एक ही उच्चारण होता है। वर्णों और उनके संकेत-चिह्नों के अलग-अलग नाम होने से उन दोनों की सत्ताओं का पृथक्-पृथक् अनुभव करने में सुगमता होती है।

अभ्यास

१ लिपि किसे कहते हैं ? वर्ण और संकेत-चिह्न मे क्या भेद हैं ?

२. निम्नलिखित संकेत-चिह्नो के आधार पर वर्णों का ठीक उच्चारण करे। क्लम्, कल्म, कलम्, ह्रास, प्रयाग, बन्दोबस्त, सत्रात्मक, ल्हेसना, प्रश्न, साधर्म्य, वृद्ध और संतुष्टि।

३. आदर्श लिपि मे कौन-कौन से गुण होने चाहिएँ ?

चौथा प्रकरण

शब्द-भेद

सामान्यतः हमें जो कुछ सुनाई देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे—गाड़ी चलने या घण्टा बजने का शब्द। परन्तु व्याकरण में शब्द से अभिप्राय वर्णों के उस समूह से होता है जिसका कुछ अर्थ माना जाता या होता हो। यही बात हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस वर्ण-समूह से किसी व्यक्ति, वस्तु, रूप, गुण, विशेषता, सम्बन्ध, क्रिया, व्यापार, स्थिति आदि का बोध होता हो, उसे शब्द कहना चाहिए। 'घर' कहने से एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु-रचना का बोध होता है। 'सिंह' कहने से एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है, 'चलना' कहने से एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया या व्यापार का बोध होता है, 'सुन्दर' कहने से किसी के आकार-प्रकार में अभीष्ट तथा प्रिय विशेपता का बोध होता है; और 'उधर' कहने से किसी विशिष्ट दिशा में होने का भान होता है। अतः घर, सिंह, सुंदर चलना और उधर सभी शब्द हैं, क्योंकि ये सभी विशिष्ट पदार्थों, गुणों, स्थितियों आदि के द्योतक हैं।

जिन शब्दों का कोई अर्थ नही होता, उन्हें 'नाद' कहते हैं। जैसे—नदी की लहरो से होनेवाला छप-छप शब्द, इंजन के चलने से होनेवाला फक-फक शब्द, दरवाजा खटखटाने से होनेवाला खट-खट शब्द आदि-आदि। व्याकरण में इन्हें 'शब्द' इसलिए नहीं कहते कि इनके कुछ अर्थ नहीं होते। इनसे न तो किसी चीज या बात का बोध होता है और न ये किसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति ही करते हैं।

हम शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्यों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। वाक्य से अभिप्राय पदों के उस समूह से होता है जिसके द्वारा हम या आप कोई पूरी बात

करते हैं। जैसे—राम अपने घर जा रहा था। यह वाक्य हुआ। परन्तु यदि हम कहें—(क) राम अपने घर, (ख) घर रहा था। अथवा (ग) राम रहा था। तो ये तीनों पद-समूह वाक्य नहीं कहे जायँगे, क्योंकि इनसे किसी पूर्ण तथ्य या व्यापार का बोध नहीं होता। कभी-कभी एक ही पद कहने से पूरी बात समझ में आ जाती है। यदि कोई हमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, और उसके उत्तर में हम कहें 'घर'। तो यहाँ 'घर' से अभिप्राय 'घर जा रहा हूँ' से होगा। इसलिए यहाँ यह 'घर' पद भी वाक्य हो जायगा; क्योंकि अनुवृत्ति से उसमें 'जा रहा हूँ' जुड़ा हुआ है।

किसी वाक्य में जितने पद आते हैं, स्थूल रूप से उनके दो भेद किये जाते हैं। कुछ पद तो ऐसे होते हैं जिनके रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता; और कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए निम्न वाक्य देखे—

जैसे—(क) घर के पास एक छोटा खेत है।
(ख) घरों के पास कई छोटे खेत हैं।
(ग) घर के पास के छोटे खेतो में वृक्ष हैं।
(क) वह नित्य यहाँ आता है।
(ख) वे नित्य यहाँ आते हैं।
(ग) वे नित्य यहाँ आती हैं।

उक्त वाक्यो में घर, छोटा, खेत, है, वह आता है आदि के घरों, छोटे, खेतों, हैं, वे, आते हैं और आती हैं आदि रूप तो क्रमात् बने हैं, परन्तु पास, नित्य और यहाँ इन तीनों पदों के रूपों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन पदों के रूप प्रसंगों के अनुसार बदलते रहते हैं, अर्थात् जिनके एकवचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुंलिंग आदि रूप बनते हैं, वे विकारी पद कहलाते हैं; और जिनके रूप सदा एक से रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। व्याकरण के पारिभाषिक क्षेत्र में अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं।

विकारी शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार भेद होते हैं। आगे के प्रकरणों में इन सबका अलग-अलग और पूरा विवेचन किया जायगा।

अभ्यास

१. व्याकरण में 'पद' किसे कहते हैं ? 'नाद' से इसकी भिन्नता बतलाइये।

२. पद और वाक्य में भेद बतलाइये ? क्या पद भी वाक्य का रूप धारण कर सकता है ? उदाहरण दीजिए।

३. विकारी और अविकारी पद किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइये।

पाँचवाँ प्रकरण

संज्ञा

'संज्ञा' नाम को कहते हैं, और नाम सदा किसी चीज या वस्तु का होता है। संसार में हमें सैकड़ों हजारों तरह की चीजें दिखाई देती हैं, और उन चीजों की पहचान के लिए हमें उनका कुछ नाम रखना पड़ता है। कलम, कागज, किताब, गाड़ी, घर, छाता, जूता ताला ये सभी चीजें हैं। यदि एक स्थान पर बहुत सी चीजें रखी हों और हम उनमें से कोई चीज माँगना चाहें तो हमें उस चीज की पहचान के लिए उसका नाम बतलाना पड़ता है। हम कहते हैं—चौकी पर से किताब उठा लाओ, या पेटी में से कुरता निकाल लाओ। चौकी एक चीज है, किताब दूसरी चीज, पेटी तीसरी चीज और कुरता चौथी चीज। इन चारों चीजों की अलग अलग पहचान के लिए ही उनके ये चार नाम हैं। मनुष्यों के भी नाम होते हैं—कृष्ण, मोहन, राम, श्याम आदि। यही बात पशु-पक्षियों, वृक्षों आदि के सम्बन्ध में भी है। व्याकरण में इस प्रकार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं।

ये तो हुए वास्तविक चीजों के नाम। पर बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी कोई वास्तविक और मूर्त्त सत्ता नहीं होती। हम उन्हें देख या पकड़ नहीं सकते, केवल मन में उनकी कल्पना कर लेते अथवा कर सकते हैं; पर उन्हें भी हम चीज या वस्तु ही कहते हैं। जैसे–भूत-प्रेत, सच-झूठ, गरमी-सरदी आदि भी कुछ चीजों के ही नाम हैं। फिर कामों के भी नाम होते हैं। जैसे–जाँच-पड़ताल, देख-रेख, नौकरी, व्यापार आदि। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उनके अनुराग, उत्साह, दया, भय, सन्देह, हर्ष आदि नाम हैं। इसी प्रकार अत्याचार, क्रूरता, मोह, शक्ति आदि भी गुणों के नाम हैं। ये सब भी तात्विक दृष्टि से वस्तुएँ ही हैं, और इसी लिए इनके ये सब

नाम रख लिये गये हैं। संसार में जिस प्रकार वस्तुओं की कोई गिनती नहीं हो सकती, उसी प्रकार उनके नामो की भी गिनती नहीं की जा सकती। इस लिए व्याकरण में ऐसे सभी नाम सामूहिक रूप से 'संज्ञा' कहे जाते हैं। यहाँ यही ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नाम तो मूर्त्त पदार्थों के होते हैं और कुछ अमूर्त्त तत्त्वों या भावों के।

संज्ञाओं के साधारणतः निम्नलिखित सात भेद होते हैं—

मूर्त्त संज्ञाएँ	अमूर्त्त संज्ञाएँ
१–जाति-वाचक संज्ञा	५–भाव-वाचक संज्ञा
२–व्यक्ति-वाचक संज्ञा	६–क्रिया-वाचक संज्ञा
३–समूह-वाचक संज्ञा	७–गुण-वाचक संज्ञा
४–द्रव्य-वाचक संज्ञा	

जिस नाम या संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सभी जीवों या वस्तुओं में से प्रत्येक का समान रूप से बोध होता हो, उसे जाति-वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—गौ, घोड़ा, वृक्ष आदि, और जिस नाम या संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के किसी एक ही विशिष्ट जीव या वस्तु का बोध कराया जाता हो, उसे व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—राम, मोहन, कृष्ण आदि। 'नदी' शब्द जाति-वाचक संज्ञा है और 'गंगा' (या यमुना) व्यक्ति-वाचक संज्ञा। 'पर्वत' जाति-वाचक संज्ञा है और हिमालय (या विन्ध्याचल) व्यक्ति-वाचक संज्ञा। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जाति-वाचक संज्ञाएँ हैं, और वशिष्ठ, विश्वामित्र, अमीचंद आदि व्यक्ति वाचक संज्ञाएँ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शब्दों द्वारा हम लाखों करोड़ों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में से किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का बोध करा सकते हैं, इस लिए इन्हें जाति-वाचक संज्ञा कहते हैं। इसके विपरीत गंगा (या यमुना) नाम कहने से हमें संसार की समस्त नदियों में से मात्र एक नदी का बोध होता है, हिमालय कहने से संसार के सब पहाड़ों का नहीं, बल्कि केवल एक विशिष्ट पहाड़ का बोध होता है, और वशिष्ठ, विश्वामित्र या अमीचंद कहने से एक विशिष्ट व्यक्ति का बोध

होता है। किसी जाति के केवल एक और निश्चित विशिष्ट जीव या वस्तु का बोध करानेवाला नाम या संज्ञा विशिष्ट संज्ञा या व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ व्यक्ति से अभिप्राय एक विशिष्ट और निश्चित इकाई से है। यदि हम कहें—कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई भारत के मुख्य नगर हैं। तो इस वाक्य में 'नगर' तो जाति-वाचक संज्ञा है, और शेष नगरों के नाम व्यक्ति-वाचक संज्ञा हैं। उक्त वाक्य में का 'भारत' भी व्यक्ति-वाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक पृथक् और विशिष्ट देश का नाम है। परन्तु 'देश' जाति-वाचक संज्ञा ही है, क्योंकि संसार में सैकड़ों-हजारों देश हैं, और देश शब्द उन सबके लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है।

जिस प्रकार किसी जाति-वाचक संज्ञा से किसी वर्ग के प्रत्येक सदस्य का बोध होता है, उसी प्रकार समूह-वाचक संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सब या बहुत से सदस्यों का एक साथ या सामूहिक रूप से बोध होता है। जैसे—झुंड, दल, भीड़ आदि। सेना समूह-वाचक संज्ञा है, उसका कोई एक सदस्य सैनिक जाति-वाचक संज्ञा है; और उसका सेनापति जनरल थिमैया व्यक्ति-वाचक संज्ञा है। 'वर्ण' शब्द वर्ण-माला के प्रत्येक वर्ण का समान रूप से बोध कराता है, अतः वह जाति-वाचक संज्ञा है परन्तु 'क्' एक निश्चित वर्ण का ही बोध कराता है; इसलिए क् व्यक्ति-वाचक संज्ञा है; और वर्णमाला समूह-वाचक संज्ञा है।

संज्ञा का चौथा भेद द्रव्य-वाचक है। घी, तेल, चाँदी, सोना आदि द्रव्यों के नाम द्रव्य-वाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य वाचक संज्ञाएँ किसी द्रव्य की बहुत बड़ी राशि तथा उसके सूक्ष्म अंश दोनों के लिए प्रयुक्त होती हैं।

ऊपर अमूर्त्त संज्ञाओं के तीन भेद किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

(क) भाव-वाचक संज्ञाएँ, जैसे—अहंकार, इच्छा, प्रवृत्ति आदि। (ख) क्रिया-वाचक संज्ञाएँ, जैसे—अदला-बदली, लेन-देन, बहाव, जीत-

हार आदि और (ग) गुण-वाचक संज्ञाएँ जैसे--खटाई, गरमी, सरदी, वीरता, शीघ्रता आदि। भाव-वाचक संज्ञाएँ प्रायः अमूर्त्त भावों तथा वस्तुओं के स्वतंत्र नाम के रूप में होती हैं। गुण वाचक संज्ञाएँ गुण या विशेषता-सूचक शब्दों (विशेषणों) में और क्रिया-वाचक संज्ञाएँ क्रियाओं में प्रत्यय (आई, ई, ता, पन आदि) लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे—खट्टा, गरम, सरद, सुन्दर आदि विशेषता-सूचक शब्दों के बने हुए खटाई गरमी, सरदी, सुन्दरता आदि रूप गुण-वाचक संज्ञाएँ हैं; और बहना-मारना, जीतना, हारना आदि क्रियाओ से बने हुए रूप बहाव, मार, जीत और हार शब्द क्रिया-वाचक संज्ञाएँ हैं।

सुविधा के लिए संज्ञाओं के भेद का नीचे स्पष्टीकरण किया जाता है—

अभ्यास

१. संज्ञा किसे कहते हैं ? उसके भेद बतलाइये।

२ जाति-वाचक और समूह-वाचक संज्ञाओ मे आप क्या अन्तर समझते है ?

३. कारण सहित बतलाइये कि निम्नलिखित संज्ञाएँ किस किस वर्ग की है—राम, पेड़, पत्ता, जहाज, वीरता, सहनशीलता, लडका, जत्था, पनघट, नगर और दिल्ली।

छठा प्रकरण

सर्वनाम

सर्वनाम का शब्दार्थ है—सब का नाम। पर व्याकरण में सर्व-नाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों या संज्ञाओ के लिए अथवा उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि रूप में होता है। भाषा में ऐसे शब्दों की आवश्यकता इस लिए होती है कि नामो या संज्ञाओं का ही अनेक बार और हर जगह उपयोग न करना पड़े। जैसे—राम आज यहाँ आया था, राम यह पुस्तक दे गया है, क्योंकि कल राम को कलकत्ते जाना है। इस वाक्य में राम (संज्ञा) तीन बार आया है। इसी लिए संक्षेप के विचार से कहा जाता है— राम आज यहाँ आया था, वह यह पुस्तक दे गया है क्योंकि कल उसे कलकत्ते जाना है। इसमें राम तो संज्ञा है, और 'वह' तथा 'उसे' सर्व-नाम हैं। 'राधा ने सब बातें कहीं, और तब राधा उठकर चली गई।' न कहकर हम कहते हैं 'राधा ने सब बातें कहीं और तब वह उठकर चली गई।' इस वाक्य के दूसरे अंश में का 'वह' वस्तुतः राधा के स्थान पर, और उसका सूचक होकर आया है, इसके सिवा वह राम, कृष्ण, गोपाल, माधव सभी के लिए आ सकता है; इसी लिए वह सर्व-नाम है। सर्व-नाम का मुख्य काम होता है—संज्ञाओं की पुनरावृत्ति न होने देना। वाक्यों में वह संज्ञाओं के प्रतिनिधि के रूप में आता है।

सर्वनामों के भेद

सर्वनामों के पुरुष-वाचक, निज-वाचक, संबंध वाचक, निश्चय-वाचक, अनिश्चय-वाचक और प्रश्न-वाचक ये छः भेद किये गये हैं।

यहाँ हम इनका विवेचन करते हुए इनके स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं।

१. पुरुष-वाचक सर्वनाम

यह भेद वक्ता की दृष्टि से किया जाता है। वक्ता कभी अपने लिए भी सर्वनाम का प्रयोग करता है, कभी उस आदमी के लिए भी जिससे वह बातें कर रहा हो, और कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो बात-चीत में सम्मिलित न हो अथवा जो वहाँ उपस्थित न हो और जिसकी चर्चा केवल प्रसंग-वश हो रही हो। अपने लिए वक्ता मैं या हम का प्रयोग करता है, जैसे—मैं पढ़ने जाता हूँ या हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। उपस्थित व्यक्ति से वह कहता है—तू बाजार जा, तुम कपड़े पहन लो और अनुपस्थित व्यक्ति के लिए अथवा जिसके विषय में बात हो रही हो, उसके सम्बन्ध में कहता है—वह कल यहाँ आया था, या वे परसों यहाँ से चले जायँगे। जिस सर्व-नाम का वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम उपस्थित या सम्बोधित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और जो किसी अनुपस्थित या दूर-स्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों को व्यक्ति-वाचक सर्वनाम भी कहते हैं।

२. निज-वाचक सर्वनाम—

जो सर्वनाम निज के लिए अर्थात् स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—(क) मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। (ख) अपने आप यह काम सीख लूँगा।

उक्त वाक्यों में, स्वयं और आप सर्वनाम निज के अर्थात् अपने लिए प्रयुक्त हुए हैं; इसी लिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उर्दू फारसी के ढंग पर कुछ लोग 'स्वयं' के स्थान पर 'खुद' का भी प्रयोग करते हैं।

३. सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम विशेष रूप से वाक्यों में आये हुए अन्य सर्वनामों से सम्बद्ध हों और उन्हीं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हों, उन्हें सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—(क) जो पकावेगा, वह (या सो) खायगा। (ख) जो पढ़ेगा वह (या सो) विद्वान् होगा। उक्त वाक्यों में वह और सो सम्बन्धसूचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये 'जो' सर्वनाम के स्थान पर उसका सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

४. निश्चय-वाचक सर्वनाम—

किसी निश्चित पदार्थ का बोध करानेवाला सर्वनाम निश्चय-वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे—यह (खिलौना) अच्छा बना है। वह (कपड़ा) बढ़िया और सुन्दर है।

यहाँ 'यह' और 'वह' सर्वनाम निश्चित तथा विशिष्ट पदार्थों के ही सूचक हैं। इसलिए यहाँ ये निश्चय-वाचक सर्वनाम हैं।

५. अनिश्चय-वाचक सर्वनाम—

अनिश्चित तत्त्वों, पदार्थों या बातों का बोध करानेवाले सर्वनाम अनिश्चय-वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे—(क) भिखमंगे को कुछ दिया करो। (ख) किसी से कुछ पूछ लिया करो। (ग) वहाँ कई महात्मा भी थे। (घ) सवेरे कोई यहाँ आया था।

उक्त वाक्यों में, कुछ, किसी, कई और कोई सर्वनाम अनिश्चय-वाचक सर्वनाम हैं। क्योकि उनसे किसी निश्चित तत्त्व, पदार्थ या व्यक्ति का बोध नहीं होता।

६. प्रश्न-वाचक सर्वनाम—

कुछ सर्वनाम प्रश्न-वाचक भी होते हैं। जैसे—(क) आपके लिए बाजार से क्या लाऊँ ? (ख) क्या अभी मुझे किसी ने पुकारा था ? (ग) घर पर कौन रहेगा ?

उक्त वाक्यो में क्या, किस, और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनामो का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों मेंही होता है। वाक्यों के प्रश्नात्मक रूप देने के कारण ही ऐसे सर्वनामों को प्रश्नात्मक सर्व नाम कहते हैं।

सर्वनाम और संज्ञा—

साधारणतया सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही होता है, इसलिए यह कहा और समझा जाता है कि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता।

परन्तु कभी-कभी संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग एक साथ भी होता है। जैसे—'मैं, विश्वनाथ-प्रसाद जो नगर पालिका का सदस्य चुना गया हूँ .... ।' यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब वक्ता ने अपने लिये 'मैं' का प्रयोग किया है, तब उसे अपना नाम लेने की क्या आवश्यकता है। केवल मैं, सर्वनाम से काम चल सकता था। आपत्ति बिलकुल ठीक है। हमारे यहाॅ सर्वनाम और संज्ञा को साथ-साथ रखने की प्रथा नहीं थी। परन्तु कुछ अवसरों पर इस प्रकार के प्रयोग जोर देने, अपना परिचय कराने या स्पष्टीकरण करने के लिए होते ही हैं।

सर्वनाम और विशेषण—

एक और वाक्य लीजिए—वह नौकर अच्छा था। यहाँ नौकर संज्ञा के पहले का 'वह' सर्वनाम नहीं, बल्कि विशेषण है। पुरुष वाचक और निज वाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम स्वतन्त्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं और विशेषण रूप में भी। जब वे संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं, तब तो वे सर्वनाम ही रहते हैं, परन्तु जब वे संज्ञाओं के स्थान पर नहीं, बल्कि संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह नौकर अच्छा था। वह खाना बनाना भी जानता था।

इन वाक्यों में पहले वाक्य का 'वह' विशिष्ट नौकर की ओर संकेत करता है, इस लिए विशेषण है, और दूसरे वाक्य का 'वह' उसी नौकर के स्थान पर आया है, जिसका उल्लेख पहले वाक्य में हो चुका है; इस लिए दूसरे वाक्य का 'वह' सर्वनाम है।

अभ्यास

१. सर्वनाम की परिभाषा बतलाइये।

२. सर्वनाम के कितने विभेद होते हैं ? उदाहरण सहित लिखिए।

३. सर्वनाम किस अवस्था मे विशेषण होता है ? चार उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

सातवाँ प्रकरण

विशेषण

हम बतला चुके हैं कि संज्ञा किसी मूर्त्त या अमूर्त्त वस्तु के नाम को कहते हैं; और सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है। परन्तु विशेषण इन दोनों से भिन्न है। व्याकरण में विशेषण से अभिप्राय ऐसे शब्द से होता है जो किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी (क) कोई विशेषता बतलाता है या उसके किसी गुण का निर्देश करता है। (ख) स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति निर्धारित करता है अथवा (ग) किसी चीज को अन्य चीजों से पृथक् या भिन्न बतलाता है। नीचे लिखे वाक्य देखिए—

(क) राम भला है।
(ख) घर सुन्दर बना है।
(ग) पुस्तक अधूरी रह गई।
(घ) काम पूरा हो गया।
(च) यह खिड़की छोटी है।
(छ) वह काम मैं करूँगा।

(क) वाक्य में 'भला' शब्द राम (संज्ञा) की विशेषता बतलाता है और (ख) वाक्य में 'सुन्दर' शब्द घर (संज्ञा) के एक विशिष्ट गुण का सूचक है। (ग) और (घ) वाक्यों में 'अधूरा' और 'पूरा' शब्द क्रमात् पुस्तक और काम (संज्ञाओं) की विशिष्ट स्थितियों के सूचक हैं। तथा (च) और (छ) वाक्यों में 'यह' और 'वह' शब्द क्रमात् किसी खिड़की और काम को अन्य खिड़कियों तथा कामों से अलग या पृथक् करते हैं।

प्रायः सभी चीजों में अनेक गुण होते हैं; परन्तु जब हम किसी चीज के नाम (संज्ञा) के पहले कोई विशेषण लगाते हैं, तब हम एक प्रकार से उसके सब गुणों पर से दृष्टि हटाकर किसी एक विशिष्ट गुण पर ध्यान देते हुए उसकी चर्चा करते हैं; और अप्रत्यक्ष रूप से उसका

व्यावहारिक क्षेत्र कुछ सीमित करते हैं। पुस्तकें अनेक प्रकार की होती हैं। परन्तु जब हम कहते हैं—'वैज्ञानिक पुस्तक' तब विज्ञान से संबंध न रखनेवाली पुस्तकों को हम बिलकुल अलग छोड़ देते हैं। घोड़े बड़े, छोटे, काले, लाल, सफेद आदि कई आकारों तथा रंगों के होते हैं, परन्तु जब हम 'घोड़ा' शब्द से पहले उक्त विशेषणों में से कोई एक विशेषण लगाते हैं, तब हम उसे और सब घोड़ों से अलग करके उसकी कोई पहचान या विशेषता बतलाते हैं। जैसे—छोटा घोड़ा, काला घोड़ा आदि। इससे सिद्ध होता है कि विशेषण संज्ञाओं का विस्तार या व्याप्ति मर्यादित करते हैं। विशेषण जब संज्ञाओं की स्थिति स्पष्ट करते हैं, तब अप्रत्यक्ष रूप से ही सही किसी संज्ञा की कोई विशिष्ट स्थिति अन्य स्थितियों से अलग करके बतलाते हैं। कोई बात सच भी हो सकती है और झूठ भी। परन्तु जब यह कहा जाता है कि यह बात 'झूठ' है, तब बात के 'सच' होने की स्थिति को झूठवाली स्थिति से अलग करते हैं। इस प्रकार यहाँ भी विशेषण में अर्थ को मर्यादित करने का भाव निहित है। कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ जब विशेषण प्रयुक्त होते हैं, तब वे संज्ञाओं की व्याप्ति मर्यादित नहीं करते। जैसे—रावण निर्दय या विद्वान् था। यहाँ निर्दयता या विद्वत्ता मर्यादित करने का भाव नही है, बल्कि उसकी अधिकता जतलाना ही अभीष्ट है। फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यहाँ निर्दय या विद्वान् शब्द से रावण में होनेवाली सदयता या अविद्या का अभाव सूचित किया और इस प्रकार उसकी व्याप्ति कम की गई है।

हम ऊपर कह आये हैं कि विशेषण संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। तात्त्विक दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कुछ अवस्थाओं में तो विशेषण संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होते हैं और कुछ अवस्थाओं में संज्ञाओं के बाद। जैसे—

(क) यह *पुराना* घर है।

(ख) वह घर *नया* बना है। अथवा

(क) *खट्टा* फल नहीं खाना चाहिए ।

(ख) यह फल *मीठा* है ।

संज्ञा से पहले आनेवाले विशेषणों को 'विशेष्य विशेषण' और संज्ञाओं के बाद में आनेवाले विशेषणों को 'विधेय विशेषण' कहते हैं। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता किसी विशेषण के द्वारा बतलाई जाय, अर्थात् जिस संज्ञा के अर्थों को कोई विशेषण मर्यादित करता हो, वही विशेष्य है। इस प्रकार जो विशेष्य ही का विशेषण हो, वही विशेष्य विशेषण हुआ। जैसे—'काला आदमी', 'नई किताब' में के 'काला' और 'नई' शब्द। परन्तु जो विशेषण संज्ञाओं के पीछे, परन्तु क्रिया-पद अथवा विधेय[1] से पहले आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे—

मोहन अन्धा है, पुस्तक बढ़िया है, आकाश स्वच्छ है आदि वाक्यों में अन्धा, बढ़िया और स्वच्छ विधेय विशेषण हैं, क्योंकि मोहन, पुस्तक और आकाश के बाद आये हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक ही विशेषण एक प्रकार के वाक्यों में विशेष्य विशेषण हो सकता है और दूसरे प्रकार के वाक्यों में विधेय विशेषण।

विशेषणों के भेद

व्याकरण में सामान्यतः विशेषणों के चार भेद माने गये हैं :—

१. गुण-वाचक विशेषण।
२. संख्या-वाचक विशेषण।
३. परिमाण-वाचक विशेषण।
४. सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण।

अब हम विस्तार से उक्त भेदों पर विचार करेंगे।

---

१. विधेय उस शब्द या वाक्य को कहते हैं, जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ विधान किया अर्थात् कहा जाता है। विशेष देखें 'वाक्य रचना' अन्तर्गत।

१. गुण-वाचक विशेषण

गुण-वाचक विशेषण संज्ञा के गुण का बोध कराता है। गुण के अन्तर्गत संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, स्थिति, काल, देश, स्वभाव आदि सभी आ जाते हैं। जैसे—

(क) दृश्य *मनोरम* था। (रूप-वाचक)
(ख) जल *श्याम* था। (रंग-वाचक)
(ग) मकान *ऊँचा* या *लम्बा-चौड़ा* था। (आकार-प्रकार वाचक)
(घ) नदी *गहरी* थी। (आकार-प्रकार वाचक)
(ङ) राम *बीमार* था। (स्थिति-वाचक)
(च) मोहन *धनी* था। (स्थिति-वाचक)
(छ) *आगामी* रविवार को अधिवेशन होगा। (काल-वाचक)
(ज) *पिछले* वर्ष मैं पञ्जाब गया था। (काल-वाचक)
(झ) यह *बनारसी* आम है। (स्थान-वाचक)
(ट) यह *मदरासी* साड़ी है। (स्थान-वाचक)
(ठ) मोहन *भला* लड़का है। (विशेषता या गुण-वाचक)
(ड) वह *न्यायप्रिय* है। (स्वभाव-वाचक)

इस प्रकार गुण-वाचक विशेषणों के रूप-वाचक, रंग-वाचक, आकार-प्रकार वाचक, स्थिति-वाचक, काल-वाचक, स्थान-वाचक, विशेषता या स्वभाव-वाचक आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं। परन्तु विस्तार भय से इन सब का गुण-वाचक भेद ही रखा गया है। गुण-वाचक विशेषणों के साथ प्रायः सा, सी आदि अव्ययों का भी प्रयोग होता है। जैसे—

(क) वह छोटा-सा राज्य है।
(ख) यह छोटी-सी बात है।

उक्त दोनों वाक्यों में राज्य और बात की छोटाई को सा या सी जोड़कर और भी सीमित कर दिया गया है। कभी-कभी सा, सी के योग से सदृशता भी सूचित होती है। जैसे—वह नीली-सी साड़ी पहने थी।

२. संख्या-वाचक विशेषण

जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हों, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

इस विद्यालय में पाँच सौ विद्यार्थी हैं।
मैंने दस पुस्तकें पढ़ी हैं।
उसने कई काम किये हैं।
मैंने अनेक खेल खेले हैं।

उक्त वाक्यों में पाँच सौ, दस, कई और अनेक विशेषण क्रमात् विद्यार्थियों, पुस्तकों, कामों और खेलों की संख्याएँ बतलाते हैं; अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं।

संख्या-वाचक विशेषणों के दो प्रमुख भेद हैं :—

(क) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण; और

(ख) अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण।

पाँच, दस, पाँच सौ, हजार आदि निश्चित संख्या के सूचक विशेषण हैं; और अनेक, बहुत, सैकड़ों, हजारों, सब, कई, कुछ, अल्प, थोड़े आदि अनिश्चित संख्या के सूचक विशेषण हैं। 'कक्षा में पाँच-सात या बीस-बाईस छात्र पढ़ते हैं।' वाक्य में 'पाँच-सात' और 'बीस-बाईस' विशेषण भी स्वतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण होने पर भी यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसलिए यहाँ ये अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो गये हैं।

निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के भी पाँच भेद किये गये हैं :—

(क) गणना-वाचक विशेषण, संज्ञाओं की गिनती बतलाते हैं। जैसे—चार आम, पाँच केले। जब गणना पूर्ण अंकों में हो तो विशेषण पूर्णाङ्क-बोधक होगा; और जब गणना अपूर्ण अंकों में हो तो विशेषण अपूर्णाङ्क बोधक होगा। १, २, ३, ४ पूर्णाङ्क बोधक विशेषण हैं और १/२ २/३, ३/५, ४/७, आदि अपूर्णाङ्क बोधक विशेषण हैं।

(ख) क्रम-वाचक विशेषण, गणना क्रम में संज्ञाओं की क्रमिक स्थिति सूचित करते हैं। जैसे—इस गली में पहला घर राम का,

दूसरा कृष्ण का, तीसरा मोहन का और चौथा मेरा है। इसी प्रकार पाँचवाँ, छठा, सातवाँ आदि भी क्रम-वाचक विशेषण हैं।

(ग) आवृत्ति-वाचक विशेपण, किसी संख्या के कई गुने अधिक मान के बोधक होते हैं। जैसे—मै उसे दूने रुपये देने को तैयार हूँ। या वह चौगुना धन चाहते हैं। यहाँ दूना और चौगुना आवृत्ति-वाचक विशेषण हैं। अर्थात् जब हम किसी विशेषण की कई आवृत्तियाँ करते हैं, तो उसे आवृत्ति-वाचक विशेषण कहते हैं।

(घ) समूह-वाचक विशेषण, उन विशेषणों को कहते हैं जिनसे एक से अधिक संख्याओं का सामूहिक रूप से बोध होता है। जैसे—तीनों लड़कों ने मिलकर पेड़ गिरा दिया। या चारों भाई यात्रा करने गये हैं। 'तीनों' और 'चारों' समूहवाचक विशेषण हैं।

(च) विभाग-वाचक विशेषण, से अभिप्राय ऐसे विशेषण से होता है जो किसी समूह के सभी सदस्यों का एक साथ या सामूहिक रूप से नहीं, बल्कि, उसके एक-एक सदस्य का अलग-अलग बोध कराता हो। जैसे—हर आदमी को काम और खाना-कपड़ा मिलना चाहिए। या प्रत्येक देश को इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। उक्त वाक्यों में 'हर' और 'प्रत्येक' विभाग-वाचक विशेषण हैं।

३. परिमाण-वाचक विशेषण—

जिन विशेषणों से संज्ञाओं का भार, माप आदि सूचित होता है, उन्हें परिमाण-वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—सेर भर दूध, चुल्लू भर पानी, मुट्ठी भर आटा, कुछ कपड़े, सारा काम आदि। इन पदों में सेर भर, चुल्लू भर, कुछ और सारा *परिमाण-वाचक विशेषण* हैं।

परिमाण-वाचक विशेषणों के भी दो भेद किये जाते हैं—निश्चित परिमाण-वाचक और अनिश्चित परिमाण-वाचक। सेर, पाव, छटाँक, गज, फुट, इञ्च आदि निश्चित परिमाण-वाचक विशेषण हैं, और थोड़ा, बहुत, कुछ, सारा आदि अनिश्चित परिमाण-वाचक विशेषण हैं।

४. सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण—

'सर्वनाम' प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ सर्वनाम विशेषणों की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। साधारणतया सम्बन्ध-वाचक, निश्चय-वाचक, अनिश्चय-वाचक और प्रश्न-वाचक सर्वनाम जब संज्ञाओं का प्रतिनिधित्व न करके उनके पहले प्रयुक्त होते और उनकी विशेषता सूचित करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे—'यह मकान मेरा है।' या 'राम का वह घोड़ा है।' उक्त वाक्य में, 'यह' और 'वह' सर्वनाम होने पर भी विशेषणो का काम देते हैं। इस प्रकार तुम, हम आदि सर्वनामो के षष्ठी विभक्ति से युक्त रूप भी विशेषणों के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे—'तुम्हारा घर दूर है।' या 'हमारी छाया सदा हमारे साथ रहती है।' ऐसे अवसरों पर इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण विशेष रूप से किसी संज्ञा की ओर निर्देश करते हैं इसलिए इन्हें निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है।

विशेषणों में तुलनात्मक तत्त्व

कभी-कभी विशेषणों में तुलनात्मक तत्त्व भी रहता है। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं। जिन्हें सामान्य या मूलावस्था, उत्तरावस्था या तरप् स्थिति और उत्तमावस्था या तमप् स्थिति कहते हैं। जब प्रत्यक्ष रूप में किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों, चीजों के आधार पर किसी विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या चीज की स्थिति बतलाते हैं, तब उस स्थिति को सामान्य या मूल अवस्था कहते हैं। जैसे—

राम योग्य लड़का है।
सोहन वीर था।

उक्त वाक्य में 'योग्य' और 'वीर' सामान्य या मूल स्थिति के विशेषण हैं, परन्तु जब विशेषण से व्यक्त रूप में एक चीज को दूसरी चीज की अपेक्षा अधिक या कम गुणवाली सूचित करना पड़ता

है तब उस स्थिति को उत्तर अवस्था या तरप् स्थिति कहते हैं। जैसे—कृष्ण से राम अधिक योग्य है। या कृष्ण से राम योग्यतर है। अथवा मोहन से सोहन अधिक वीर है। या मोहन से सोहन वीरतर हैं। अधिक योग्य, अधिक वीर, योग्यतर और वीरतर उत्तर स्थिति के सूचक विशेषण होंगे। जब एक चीज का गुण अन्य सब चीजों की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया जाता है, तब उस स्थिति को उत्तमावस्था या तमप् स्थिति कहते हैं। जैसे—यदि कहा जाय, 'राम योग्यतम छात्र हैं'; अथवा कहा जाय, 'काश्मीर सुन्दरतम देश है' तो 'योग्यतम' और 'सुन्दरतम' विशेषण उत्तम स्थिति के वाचक विशेषण होंगे। उत्तर या तरप् स्थिति की अपेक्षा उत्तम या तमप् स्थिति और अधिक ऊँची बल्कि यों कहना चाहिए कि सबसे अधिक ऊँची होती है। स्वयं उत्तर शब्द भी विशेषण रूप में तरप् स्थिति का और उत्तम शब्द तमप् स्थिति का विशेषण है। मूलावस्था के विशेषण में पहले 'अधिक' या बाद में 'तर' प्रत्यय जोड़ने पर उत्तरावस्था का और पहले 'सबसे अधिक' या बाद में 'तम' प्रत्यय जोड़ने पर उत्तमावस्था का विशेषण बन जाता है। केवल संस्कृत विशेषणों में ही तर और तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

विशेषण और संज्ञाएँ—

कभी-कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं की तरह भी होता है और कभी-कभी संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

(क) बड़ों का आदर करना चाहिए।

(ख) छोटों को प्यार करना चाहिए।

(ग) दुष्टों का सङ्ग नहीं करना चाहिए।

(घ) कल्याणी ! तुमसे मेरा कल्याण ही होगा।

उक्त (क) वाक्य में बड़ा विशेषण 'बड़ों' रूप में बड़े लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। (ख) वाक्य में 'छोटों' का प्रयोग छोटे लोगों के लिए हुआ है। (ग) वाक्य में 'दुष्टों' का प्रयोग भी इसी प्रकार

दुष्ट लोगों के लिए ही हुआ है। और (घ) वाक्य,में कल्याणी विशेषण रूप में प्रयुक्त न होकर संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस प्रकार कल्याण करनेवाली स्त्री के लिए आया है। अतः यहाँ विशेषण ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ अवस्थाओं में संज्ञाओं का लोप हो जाता है और उनके विशेषण उन संज्ञाओं का अर्थात् विशेष्यों का और विशेष्यों की विशेषताओं का भी समान रूप से बोध कराने लगते हैं।

कुछ अवस्थाओं में संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं।

(क) वह लड़का भीम है।

(ख) तुम तो हरिश्चन्द्र निकले।

(ग) दुकानदार चोर है।

यहाँ भीम, हरिश्चन्द्र और चोर का प्रयोग संज्ञाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशेपणों के रूप में हुआ है। कारण यह है कि पहले वाक्य में भीम का प्रयोग अर्जुन के भाई भीम के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उस भीम नामक व्यक्ति की-सी मोटाई या शक्तिमत्ता सूचित करने के लिए हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हरिश्चन्द्र का प्रयोग राजा हरिश्चन्द्र का सत्य परायणतावाला गुण सूचित करने के लिए किया गया है इसलिए ऐसे अवसरों पर भीम और हरिश्चन्द्र गुण-वाचक विशेपण होंगे। दुकानदार चोर है, में चोर से अभिप्राय उस व्यक्ति से नहीं है जो रात को दूसरों के घर में चोरी से घुसकर सामान उठाकर ले जाता है, बल्कि यहाँ दूसरों का माल छल से कम तौलनेवाले से है। जिस प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेष्य के लुप्त हो जाने पर विशेषण उसका भी स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेषणों के लुप्त हो जाने पर स्वयं संज्ञाएँ भी अपनी विशेपताएँ सूचित करने लगती और विशेपण बन जाती हैं।

अभ्यास

१. विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य, विशेषण और विधेय विशेषणो में क्या अन्तर है?

२. विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?

३. गुणवाचक विशेषण के कितने उपभेद होते है ?

४. तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाओ का निर्देश कीजिए ।

५ सज्ञाओ' के स्थान पर 'विशेषण' और 'विशेषणो' के स्थान पर 'सज्ञाएँ' किन परिस्थितियो मे प्रयुक्त होती हैं ? उदाहरण देकर समझाइये ।

आठवाँ प्रकरण

क्रिया और क्रिया-विशेषण

जिस प्रकार 'संज्ञा' नाम को कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया काम को कहते हैं। विभिन्न संज्ञाएँ विभिन्न चीजों के नामों की सूचक होती हैं; और विभिन्न क्रियाएँ विभिन्न कामों की सूचक होती हैं। आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हँसना, बोलना, खाना, पीना, उतरना, चढ़ना, बनना, बिगड़ना आदि शब्द विभिन्न कामों का ही बोध कराते हैं। व्याकरण में कामों के बोधक शब्द को ही क्रिया कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होनेवाली सभी क्रियाएँ नाकारांत होती हैं, अर्थात् उनके अन्त में 'ना' होता है। परन्तु जब विभिन्न कालों में अथवा विभिन्न संज्ञाओं, सर्व-नामों आदि के साथ उनका प्रयोग होता है, तब उनमें कई प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, जिससे इनके रूपों में विकार होता है। जैसे—

लड़का हँसता है।
लड़की हँसती है। } 'हँसना' के विकारी रूप।

राम खेलेगा।
बच्चे खेलेंगे। } 'खेलना' के विकारी रूप।

मकान बनाया गया।
मिठाई बनती है। } 'बनाना' के विकारी रूप।

उक्त वाक्यों में हँसना, खेलना और बनाना क्रियाएँ दो-दो रूपों में आई हैं। व्याकरण में ऐसे रूप-परिवर्त्तन को विकार कहते हैं। इन विकारों के कारणों के संबंध में हम अगले प्रकरणों में बहुत-सी बातें बतलायेंगे। यहाँ यही स्मरण रखना चाहिए कि क्रियाओं के उक्त प्रकार के रूप क्रिया-पद कहलाते हैं।

क्रियाओं के भेद—

क्रियाओं के दो प्रकार या भेद होते हैं—सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 'अकर्मक' का अर्थ है कर्म-रहित और 'सकर्मक' का अर्थ है कर्म-सहित। क्रिया के करनेवाले को कर्त्ता कहते हैं और जिसपर कर्त्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। एक वाक्य लीजिये—

इस वाक्य में मोहन रोटी पकाने की 'क्रिया' कर रहा है। यहाँ कर्त्ता 'पकाना' क्रिया कर रहा है और इस क्रिया का फल पड़ रहा है रोटी पर, इसलिए रोटी *कर्म* हुई। 'मोहन सोता है।' वाक्य में सोने की क्रिया का फल स्वयं कर्त्ता मोहन पर पड़ रहा है किसी अन्य पर नहीं, इस लिए इस वाक्य में *कर्म* नहीं है। यहाँ 'सोना' क्रिया का व्यापार स्वयं कर्त्ता तक ही सीमित है। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से पहले उदाहरण में, पकाना क्रिया के साथ 'रोटी' कर्म आया है, इसी लिए यह क्रिया कर्म-सहित फलतः सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे उदाहरण में सोना क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आया है; इसलिए यह क्रिया कर्मरहित, फलतः अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ और उदाहरण लीजिए :—

(क) सीता आम खाती है। (खाना, सकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, कर्म, क्रियापद

(ख) वह पुस्तक लाता है। (लाना, सकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, कर्म, क्रियापद

(ग) वह मकान बनाता है। (बनाना, सकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, कर्म, क्रियापद

(घ) मोहन बातें करता है। (करना, सकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, कर्म, क्रियापद

(च) गाड़ी चलती है। (चलना, अकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, क्रिया-पद

(छ) राम तैरता है। (तैरना, अकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, क्रियापद

(ज) मैं उठता हूँ। (उठना, अकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, क्रियापद

(झ) मोर नाचता है। (नाचना, अकर्मक क्रिया)
कर्त्ता, क्रियापद

अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में भेद—

हम कहते हैं राम जाता है। ऊपर बतलाये हुए सिद्धान्त के अनुसार जाना अकर्मक क्रिया है। परन्तु हम यह भी कहते हैं—राम बनारस जाता है। अब इस वाक्य में बनारस क्या है? यहाँ देखना यह है कि जाना क्रिया करने से बनारस पर कुछ फल पड़ता है या नहीं। वस्तुतः कोई बनारस जाय या न जाय बनारस पर कुछ फल नहीं पड़ता। फलतः बनारस कर्म नहीं है, इस दृष्टि से जाना क्रिया अकर्मक हुई। यहाँ मन में यह खटक रह ही जाती है कि जब उक्त वाक्य में बनारस शब्द का प्रयोग किये बिना व्यापार की पूर्णता सूचित नहीं होती तब 'जाना' अकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए। परन्तु बात ऐसी नहीं है। व्याकरण की परिभापा में जाना अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसकी पूर्त्ति में कोई दूसरा शब्द (संज्ञा) सहायक हुआ है। अकर्मक क्रिया में सहायक होनेवाली संज्ञा को पूर्त्ति या पूरक कहते हैं। इसी प्रकार 'राम दिल्ली रहता है', में 'रहना' अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और 'दिल्ली' उसकी पूर्त्ति है। कुछ सकर्मक क्रियाओं के एक की जगह दो कर्म भी होते हैं। दो कर्मों के साथ प्रयुक्त होनेवाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—

(क) धनी निर्धन को भिक्षा देता है।
कर्त्ता कर्म कर्म क्रिया पद

(ख) कृष्ण राम के लिए पुस्तक लाता है।
कर्त्ता कर्म कर्म क्रिया-पद

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द्विकर्मक क्रियाओं में वास्तविक कर्म तो एक ही होता है जिसे मुख्य कर्म कहते हैं। उक्त वाक्य में 'भिक्षा' और 'पुस्तक' ही मुख्य कर्म हैं निर्धन और राम यहाँ कर्म नहीं हैं[1] फिर भी कर्म के सदृश जान पड़ते हैं। व्याकरण में कर्म के सदृश जान पड़नेवाले ऐसे कर्मों को गौण कर्म कहते हैं। उक्त दोनों वाक्यों में 'देना' और 'लाना' द्विकर्मक क्रियाएँ मानी जाती हैं।

जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं का एक भेद अपूर्ण अकर्मक क्रिया होता है, उसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं का भी एक भेद अपूर्ण सकर्मक क्रिया होता है। जैसे—

(क) राम भिक्षा देता है (होना चाहिए राम भिखारी को भिक्षा देता है)।

(ख) कृष्ण पुस्तक दिखलाता है (होना चाहिए कृष्ण राम को पुस्तक दिखलाता है)।

इन वाक्यों में देना और दिखलाना क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं की तरह प्रयुक्त हुई हैं, क्योंकि दोनों का एक-एक कर्म लुप्त है।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक भी होती हैं और सकर्मक भी। जैसे—

(क) हम लोग दिल्ली में मिले थे। (मिलना अकर्मक)
(ख) मुझे आपका पत्र मिला था। (मिलना सकर्मक)
(ग) मेरा हाथ खुजलाता है। (खुजलाना अकर्मक)
(घ) मैं सिर खुजलाता हूँ। (खुजलाना सकर्मक)

झुनझुनाना, झिलमिलाना, फटफटाना आदि ऐसी अनेक क्रियाएँ हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में समान भाव से प्रयुक्त

१. निर्धन और राम संप्रदान कारक मे प्रयुक्त हुए हैं, कर्म कारक में नहीं।

होती हैं। इनके उदाहरण और प्रयोग शब्द-कोशों में देखे जा सकते हैं। इनकी मुख्य पहचान यह है कि जब इनके साथ कर्म न रहे, तब इन्हें अकर्मक समझना चाहिए, और जब इनके साथ कर्म भी रहे, तब इन्हें सकर्मक समझना चाहिए।

कुछ क्रियाएँ ऐसी भी हैं जो एक अर्थ में तो सकर्मक होती है और दूसरे अर्थ में अकर्मक। जैसे—(क) उसने मुझसे १००) झटक लिये। (झटकना, धोखा देकर छीनने के अर्थ में; सकर्मक क्रिया।)

(ख) वह बीमारी से झटक गया। (झटकना, क्षीण होने के अर्थ में; अकर्मक क्रिया।)

(क) गरीबी में कष्ट झेलना। (झेलना, सहन करने अर्थ में; सकर्मक क्रिया।)

(ख) पानी झेलना। (झेलना, तैरने के अर्थ में; अकर्मक क्रिया।)

(क) नदी बहना। (प्रवाहित होना; अकर्मक क्रिया।)

(ख) भार बहना (वहन करना; सकर्मक क्रिया।)

प्रेरणार्थक क्रियाएँ—

जब कर्त्ता स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से कोई क्रिया कराता है अथवा किसी और को कोई क्रिया करने में प्रवृत्त करता है, तो ऐसी अवस्था में क्रिया का जो रूप बनता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक का अर्थ है जो प्रेरणा के रूप में हो। नीचे के वाक्य देखिए—

'राम कोई काम करता है।' और 'राम कोई काम कराता है।' 'मोहन पुस्तक देता है।' और 'मोहन पुस्तक दिलाता है।'

पहले और तीसरे वाक्यों में राम और मोहन स्वयं क्रियाएँ करते हैं; पर दूसरे और चौथे वाक्यों में वे वही क्रियाएँ दूसरों से कराते हैं। जहाँ कोई क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा कराई जाती है, वहाँ क्रिया प्रेरणार्थक हो जाती है। कुछ और उदाहरण लीजिए :—

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
गिरना	गिराना	गिरवाना
बैठना	बैठाना	बैठवाना
सुनना	सुनाना	सुनवाना
बनना	बनाना	बनवाना
चलना	चलाना	चलवाना
दौड़ना	दौड़ाना	दौड़वाना

क्रिया और धातु—

क्रिया का जो मूल रूप प्रत्यय आदि से रहित होता है, वह धातु कहलाता है। संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप अर्थात् धातु पठ् (पढ़ना) कृ (करना) चल् (चलना) आदि माने गये हैं। इन्हीं मूल रूपों में प्रत्यय आदि लगाकर इनके विभिन्न रूप पठति (वह पढ़ता है) पठामि (मैं पढ़ता हूँ) अपठत (उसने पढ़ा) आदि रूप बनाये जाते हैं। परन्तु हिन्दीवालों ने 'कर' धातु से करता, करेगा, करूँगा, करता हूँ आदि रूप नहीं बनाये हैं। हमारे यहाँ 'पढ़ना' क्रिया 'पढ़' धातु से नहीं, बल्कि संस्कृत के 'पठन' शब्द से बनी है। इसी प्रकार 'करना' क्रिया 'कर' धातु से नहीं, बल्कि संस्कृत 'करण' शब्द से और 'चलना' क्रिया हिं० 'चल' धातु से नहीं, बल्कि सं० 'चलन' शब्द से बनी है। हमारे यहाँ के अधिकतर क्रियापद भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के विभिन्न क्रिया-पदों के ही अभ्रष्ट, परिवर्तित तथा विकसित रूप हैं। ऐसे क्रिया-पद बहुत थोड़े हैं, जो हमने सीधे क्रियाओं या धातुओं से बनाये हों;- और जो बनाये भी हैं, वे भी वस्तुतः अन्य क्रिया-पदों के अनुकरण पर ही बनाये हैं। परन्तु संस्कृत के अनुकरण पर हिन्दी के कुछ वैयाकरणों ने भी हिन्दी क्रियाओं के धातु रूप ढूँढ़ निकाले और स्थिर कर लिये हैं। फिर भी सिद्धान्ततः यह मानना ठीक नही है कि 'पढ़' धातु से पढ़ना क्रिया बनी और 'पढ़ना' क्रिया से विभिन्न क्रिया-पद (पढ़ो, पढ़ा, पढ़ूँ आदि

रूप) बने हैं; क्योंकि हिन्दी में धातुओं से क्रियाएँ नहीं बनती हैं। हम केवल शब्द-रचना विधान की दृष्टि से कह सकते हैं कि क्रियाओं से यदि 'ना' प्रत्यय हटा दें तो उनके जो रूप बच रहेंगे, उन्हें धातु कहेंगे, और उनमें विभिन्न प्रत्यय आदि लगने से उनके अमुक अमुक क्रिया-पद या रूप बनेंगे।

जिस प्रकार धातुओं में 'ना' प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है, उसी प्रकार कुछ संज्ञाओं, विशेषणों, अव्ययों आदि में भी प्रत्यय जोड़कर क्रियाएँ बनाई जाती हैं। जैसे—'दुःख' संज्ञा से 'दुखना' क्रिया, 'अपना' विशेषण से 'अपनाना' क्रिया, 'बड़-बड़' अव्यय से 'बड़बड़ाना' क्रिया आदि। इससे स्पष्ट है कि कुछ संज्ञाएँ, विशेषण और अव्यय भी धातुओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें व्याकरण में क्रमात् संज्ञा या नाम-धातु, विशेषण-धातु और अव्यय-धातु कहते हैं।

सकर्मक क्रिया की धातु सकर्मक धातु, अकर्मक क्रिया की धातु अकर्मक-धातु, अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं की धातु उभयविध-धातु और प्रेरणार्थक क्रिया की धातु प्रयोज्य-धातु कहलाती है।

प्रयोग के आधार पर धातुओं के ये तीन भेद किये जाते हैं—मूल धातु, संयोज्य धातु और सहायक धातु। वाक्य में कर्ता, पुरुष, लिंग, वचन, काल आदि के विचार से क्रिया का जो रूप होता है, उसे क्रियापद कहते हैं। राम पुस्तक *लिखता है*; और राम से पुस्तक लिखी जाती है; वाक्यों में *'लिखता है'* और *'लिखी जाती है'* ये दोनों क्रिया-पद हैं। इन दोनों क्रिया-पदों में 'लिख' मुख्य या मूल धातु है और 'ह'[1] सहायक धातु है; तथा दूसरे क्रिया-पद में 'जा' धातु, 'लिख' मूल धातु और 'ह' सहायक धातु का संयोजन करती है इसलिए इसे संयोज्य धातु कहते हैं। संयोज्य धातु कर्मवाच्य और भाववाच्य में होती है; कर्तृवाच्य में नहीं। इस सम्बन्ध में 'क्रिया-पद' प्रकरण में विशेष रूप से विचार किया गया है। हिन्दी की प्रमुख संयोज्य धातुएँ उठ, जा, छोड़, डाल, दे, पड़, मार, रख और ले हैं।

---

१. है, ही, हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी आदि 'ह' धातु के ही रूप माने जाते हैं।

क्रियार्थक संज्ञा

धातु में 'ना' प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का जो साधारण रूप बनता और संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है, वह 'क्रियार्थक संज्ञा' कहलाता है। सामान्यतः जब धातु से बने हुए क्रियार्थक संज्ञा रूप का प्रयोग होता है, तब उसके साथ अन्य संज्ञाओं की तरह विभक्तियाँ भी लगती हैं; और विभक्ति लगने के फलस्वरूप उसका आकारान्त रूप एकारान्त हो जाता है। जैसे—

(क) उन्होंने अपने *रहने* के लिए मकान बनवाया था।
(ख) मैंने *खाने* के लिए नकली दाँत लगवाये हैं।
(ग) वह ब्याह *करने* को तैयार हो गया है।
(घ) तुम तो हरदम *लड़ने* को तैयार रहते हो।
(ङ) मेरा भी वहाँ *बैठने* को जी चाहता है।

जब क्रियार्थक-संज्ञा कर्ताकारक या कर्मकारक में होती है, तब विभक्ति का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे—(क) समझना क्या था! (ख) आप क्या *सुनने* आये थे? (अर्थात् क्या सुनने को आये थे?)

'आ' तथा 'जा' धातुओं से आरंभ होनेवाले क्रिया-पदों से पहले प्रायः क्रियार्थक संज्ञाओं की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—(क) वे मुझे देखने (के लिए) आवेंगे। (ख) वे हमसे मिलने (के लिए) आये थे।

जब चाह, पड़, हो आदि धातुओं के क्रिया-पद होते हैं, तब क्रियार्थक संज्ञा कर्म के पुंलिंग होने पर आकारान्त ही रहती है, कर्म के स्त्री-लिङ्ग एकवचन या बहुवचन होने पर ईकारान्त होती है और कर्म के पुंलिंग बहुवचन होने पर एकारान्त होती है। जैसे—

(क) मुझे *आम खाना* चाहिए।
(ख) उसे *रोटी खानी* चाहिए।
(ग) तुममें *अच्छाइयाँ होनी* चाहिए।
(घ) राम को *शास्त्र पढ़ने* चाहिए।
(ङ) कृष्ण को *अत्याचार सहना* पड़ा।

(च) मोहन को कष्ट सहने पड़े।

(छ) उन्हें भाइयों के व्यंग्य सुनने पड़ते हैं।

'ना' प्रत्यय युक्त धातु से बनी हुई क्रिया या क्रियार्थक-संज्ञा क्रिया-पद के रूप में आदेश देने, प्रार्थना करने आदि के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे—वहाँ मत जाना; उपस्थिति अवश्य लिखाना, कुछ देर यहीं बैठना आदि।

चाह, लग आदि संयोज्य क्रिया-पदों के पहले क्रियार्थक संज्ञा मूल धातु के रूप में आती है। जैसे—

(क) बच्चा रोने लगा।

(ख) लड़का गाने लगा।

(ग) वह जाना चाहती है।

(घ) मैं पत्र लिखना चाहती हूँ।

(ङ) वह कूदने लगा था। आदि

क्रिया-विशेषण—

जिस प्रकार संज्ञाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति मर्यादित तथा स्पष्ट करनेवाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार क्रियाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति मर्यादित तथा स्पष्ट करनेवाले शब्द क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। परन्तु कुछ अवसरों पर क्रिया-विशेषणों से क्रियाओं के अतिरिक्त विशेषणों की भी विशेषताएँ सूचित होती अथवा उनकी स्थिति मर्यादित तथा स्पष्ट होती है। इसलिए अंग्रेजी व्याकरण के अनुकरण पर हमें क्रिया-विशेषण की व्याख्या कुछ विस्तृत करनी पड़ती है। इस दृष्टि से क्रिया-विशेषण ऐसे शब्द कहलाते हैं जो क्रियाओं और विशेषणों की विशेषता बतलाते तथा उनकी स्थिति मर्यादित या स्पष्ट करते हैं। हम कहते हैं—जल्दी चलो। यहाँ 'जल्दी' शब्द चलने की क्रिया में कुछ विशेषता का आरोप करता है, इसलिए जल्दी क्रिया-विशेषण है। 'उसने बहुत बड़ा मकान बनाया है' में 'बहुत' शब्द 'बड़ा' विशेषण

को विशेषित करता है, इस लिए यह क्रिया-विशेषण हुआ। इसी प्रकार 'वह अत्यन्त भूखा है' में 'अत्यन्त' क्रिया-विशेषण है।

हिंदी में क्रिया-विशेषणों का कोई स्वतंत्र वर्ग नहीं है। संज्ञाएँ, विशेषण और अव्यय जब क्रियाओं की विशेषता बतलाने लगते हैं, तब वही क्रिया-विशेषण कहलाने लगते हैं। जैसे—

संज्ञा—	**क्रिया-विशेषण—**
तुम्हें *जल्दी* किस बात की है।	*जल्दी* चलो।
वह उनका *पीछा* करता रहा।	उनके *पीछे* चलो।
यह हमारे *सामने* की बात है।	*सामने* देखो।
विशेषण—	**क्रिया-विशेषण—**
पहले लड़के को बुलाओ।	काम *पहले* करो।
अच्छे दिन आयेंगे।	हम कब *अच्छे* होंगे।
थोड़ा काम करो।	*थोड़ा* बोलो।
अव्यय—	**क्रिया-विशेषण—**
धीरे काम करो।	*धीरे* चलो।
इधर ऐसा होता है।	*इधर* आओ।

अभ्यास

१. क्रिया किसे कहते हैं, और विशेषण से उसमे क्या अन्तर है ?

२. सकर्मक और अकर्मक क्रियाओ के भेद बतलाइये।

३. पूर्ति या पूरक किसे कहते हैं ? दो वाक्य बनाकर इसके उदाहरण दीजिए।

४. ऐसे पाँच वाक्य बनाइए जिनमे प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग हो।

५. क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ? उसकी प्रयोग-विधि-उदाहरण देकर समझाइये।

६. धातु किसे कहते हैं ? धातुएँ कितनी प्रकार की होती हैं ?

७ क्रिया-विशेषण की व्याख्या कीजिए ? दस ऐसे शब्द बतलाइए जो प्रसंग के अनुसार क्रिया-विशेषण भी होते हो और संज्ञा या विशेषण अथवा अव्यय भी।

—०—

नवाँ प्रकरण

अव्यय

'अव्यय' का शब्दार्थ है—जिसमें कभी किसी प्रकार का व्यय अर्थात् परिवर्त्तन या विकार न हो। इसी आधार पर व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं, जिनके रूप में परिवर्त्तन या विकार नहीं होता। दूसरे शब्दों में, हम अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हों, जिनपर न तो वाक्यों की बनावट का और न उनके सर्वनामों, संज्ञाओं, विशेषणों, क्रियाओं के लिंगों, वचनों, कारकों या वाच्यों का कोई प्रभाव पड़ता हो। अव्यय पद सभी लिंगों, वचनों, कारकों आदि में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसीलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। संज्ञाएँ, विशेषण, सर्वनाम और क्रियाएँ तो विकारी होती हैं, पर अव्यय सदा अविकारी होते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए—

१. राम यह पत्र कल लाया था।
२. सीता यह पत्र कल ले जायगी।
३. कल के आये हुए पत्र सम्भाल कर रखना।
४. कल सोमवार होगा।
५. आज का काम कल पर नही छोड़ना चाहिए।

ऊपर के वाक्य ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि उनमें संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रियाओं तथा उनके कालों, लिंगों, वचनों, क्रियापदों आदि के रूप तो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, परन्तु इन सभी वाक्यो में एक 'कल' शब्द ऐसा है जो सब अवस्थाओं में बराबर एक ही रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके रूप में कहीं कोई परिवर्त्तन या विकार नहीं हुआ, और न कभी होता ही है, इसलिए 'कल' शब्द अव्यय है।

अव्यय और क्रिया-विशेषण—

कई बातों में अव्यय और क्रिया-विशेषण बहुत कुछ एक से होते हैं, इन दोनों के रूपों में कभी विकार नहीं होता है। ये दोनों स्वतंत्र शब्द भी हो सकते हैं और अन्य शब्दों के विकारी रूप भी। क्रिया-विशेषण के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी क्रिया (अथवा विशेषण) की विशेषता बतलाता हो अथवा उसके प्रकार, स्वरूप, आदि को मर्यादित तथा स्पष्ट करता हो, परन्तु अव्यय क्रिया (या विशेषण) की विशेषता नहीं बतलाते। वे केवल विशिष्ट स्थितियों के द्योतक होते हैं। इसी लिए क्रिया-विशेषणों और अव्ययों को बहुत कुछ एक नहीं मानना चाहिए। जैसे—

(क) यह घोड़ा तेज चलता है।
(ख) आगे घोड़ा चल रहा था और उसके पीछे हाथी।

(क) वाक्य में 'तेज' शब्द चलना क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसलिए वह क्रिया-विशेषण है। परन्तु (ख) वाक्य में आगे और पीछे शब्द क्रियाओं की विशेषता नहीं बतलाते, बल्कि विशिष्ट स्थितियाँ मात्र सूचित करते हैं। किसी क्रिया या विशेषण से उनका कोई संबंध नहीं हैं। पर इनके रूप सदा एक से रहते हैं, इसी लिए उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जब क्रिया की विशेषता बतलाये तब उसे क्रिया-विशेषण मान लेना चाहिए, अन्य अवस्थाओं में उसे अव्यय ही कहना चाहिए।

हम ऊपर कह आये हैं कि क्रिया-विशेषणों और अव्ययों का रूप-परिवर्तन नहीं होता, परन्तु 'तेज' का एक रूप 'तेजी' भी होता है। 'आगे' का एक रूप 'आगा' और 'पीछे' का एक रूप 'पीछा', भी होता है। वास्तव में बात यह है कि 'तेज' विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होता है, और क्रिया-विशेषण की तरह भी। परन्तु 'तेज' की जो भाववाचक रूप 'तेजी' बनता है वह विशेषण 'तेज' से ही बना है, क्रिया-विशेषण 'तेज' से नहीं बना है। 'आगे और पीछे' (अव्यय)

क्रमात् 'आगा' और 'पीछा' संज्ञाओं से बने हैं, उनके अव्यय रूपों से संज्ञाएँ नहीं बनी हैं। अव्ययों के साथ विभक्तियाँ भी प्रयुक्त होती हैं, परन्तु क्रिया-विशेषणों के साथ नहीं होतीं। जैसे—

(क) वह पीछे से आया।

(ख) चुपके से यहाँ आना।

इसके अतिरिक्त दो या अधिक अव्ययों का तो एक साथ प्रयोग होता है परन्तु दो क्रिया-विशेषणों का प्रयोग एक साथ नहीं होता। जैसे—अब तक वहाँ तथा यहाँ आम मिलते हैं। अनेक अवसरों पर क्रिया-विशेषणों की पुनरावृत्ति अवश्य होती है—जैसे—धीरे-धीरे चलो, जल्दी-जल्दी पढ़ो।

अव्यय शब्दों का प्रयोग कभी-कभी केवल कुछ शब्दों पर जोर देने के लिए भी होता है। जैसे—

(क) उसे कुछ भी नहीं आता।

(ख) मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।

(ग) उन्होंने छोटा सा मकान बनवाया है।

(घ) वह इस समय घर में ही मिलेंगे।

उक्त वाक्यों में भी, तो, सा, और ही अव्यय जोर देने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसके सिवा इनका यहाँ कोई और काम या अर्थ नहीं है। सा (अव्यय) के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक मुख्य बात है। 'सा' का स्त्रीलिंग रूप 'सी' भी होता है, जैसे—जरा सी बात पर वे बिगड़ गये, और बहुवचन रूप में 'से' होता है। जैसे—वहाँ बहुत से लोग आये थे। इसी लिए सा, सी और से सिद्धान्ततः अव्यय नहीं हो सकते, क्योंकि इनके रूपों में परिवर्तन होता है, फिर भी हिन्दी में ये अव्यय ही माने जाते हैं अतः उन्हें उक्त सिद्धान्त के अपवाद रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है।

अव्ययों के भेद

प्रयोग के विचार से अव्ययों के नीचे लिखे भेद हो सकते हैं—

(१) स्थिति सूचक अव्यय
(२) परिमाण सूचक अव्यय
(३) रीति बोधक अव्यय
(४) अवधारक अव्यय
(५) विधि सूचक अव्यय
(६) विस्मयादि बोधक या भावबोधक अव्यय
(७) संबोधक अव्यय
(८) समुच्चय बोधक अव्यय
(९) संबंध सूचक अव्यय

विशिष्ट स्थिति सूचित करनेवाले अव्ययों को स्थिति सूचक अव्यय कहा जा सकता है, जैसे—(क) वह सदा सच बोलता है। (ख) अब घर चलो। (ग) वे पास रहते हैं। (घ) सर्वत्र ऐसा होता है। और (च) वहाँ गरमी पड़ती है। (क) और (ख) वाक्यों में सदा और अब अव्यय समय की स्थिति के सूचक हैं, और शेष वाक्यों में पास, सर्वत्र और वहाँ अव्यय स्थान के सूचक हैं। 'तुम किधर रहते हो' और 'नदी उधर पड़ती है।' वाक्यों में 'किधर' और 'उधर' अव्यय दिशा-सूचक हैं।

(क) जरा दम तो लेने दो। (ख) बस, अब चलिए। (ग) चाहे तो और लेते जाओ। और (घ) अधिक क्या कहूँ। उक्त चारों वाक्यों में जरा, बस, और तथा अधिक अव्यय विभिन्न चीजों का परिमाण बतलाते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक अव्यय हैं।

तरह, प्रकार, रीति आदि के सूचक अव्ययों को रीति बोधक अव्यय कह सकते हैं। जैसे—(क) मैं तुम्हारा कहना कैसे मान लूँ। (ख) जैसे बनेगा, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। (ग) ऐसे काम नहीं चलेगा। और (घ) वैसे वह भला आदमी है। उक्त वाक्यों में आये हुए कैसे, जैसे, ऐसे और वैसे अव्यय रीति बोधक अव्यय हैं।

जब किसी अव्यय का प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने या किसी बात का विशिष्ट रूप से अवधारण कराने के लिए होता है, तब उसे अवधारक अव्यय कहा जाता है। जैसे—(क) आपकी बात में रखा ही क्या है। (ख) मातृभूमि ही तो तुम्हारी वास्तविक माँ है। और (ग) तुम तो बात भी नहीं करने देते। यहाँ ही, तो और भी अव्यय केवल जोर देने या अवधारण करने के सूचक हैं।

जो अव्यय कार्यों की स्वीकृति देते, सहमति प्रकट करते या उनका निषेध करते हों अथवा निश्चय, धारणा अदि बतलाते हों वे विधि सूचक अव्यय हैं। जैसे—

(क) हाँ! मैंने ही उसे मारा था।
(ख) अच्छा! यही सही।
(ग) अधिक बातें मत करो।
(घ) देखो झूठ न बोलना।

उक्त वाक्यों में हाँ और अच्छा स्वीकृति सूचक और मत और न निषेध सूचक अव्यय हैं। ऐसे अव्ययों का अन्तर्भाव विधि सूचक अव्यय में होता है।

मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं। कभी-कभी वह एकाएक शब्दों में अपना पूरा मनोभाव प्रकट करने में असमर्थ होता है। ऐसे अवसरों पर उसके मुँह से कुछ अर्थ-रहित किन्तु कुछ विशिष्ट भावों की सूचक ध्वनियाँ आप से आप निकलती हैं। ऐसी ध्वनियाँ भी अव्यय ही होती हैं। जैसे—

(क) हैं! वह मर गया। (विस्मय बोधक)
(ख) हाय! मैं मारा गया। (दुःख सूचक)
(ग) छिः! तुम तो पूरे पिशाच निकले। (घृणा सूचक)
(घ) आहा! कैसा सुहावना दृश्य है। (हर्ष बोधक)
(च) उफ! कमर टूट रही है। (व्यथा सूचक)
(छ) वाह! क्या बढ़िया बात कही। (हर्ष बोधक)

अन्य वैयाकरणों ने ऐसे अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा है जो कुछ अधिक उपयुक्त नाम नहीं है। कारण यह है कि ऐसे अव्यय केवल विस्मय के बोधक या सूचक नहीं होते, बल्कि हर्ष, शोक, तिरस्कार, प्रेम आदि के भी सूचक होते हैं। अतः इन्हें भाव-बोधक अव्यय ही कहना ठीक है।

अजी, अरे, ऐ, रे, हो, भई आदि संबोधक अव्यय हैं। इनका प्रयोग किसी को बुलाने या किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। जैसे—

(क) अरे! मोहन बाजार से पान तो लाओ।
(ख) अजी! मेरा कहना तो मानो।
(ग) क्यों रे! सुनता नहीं।
(घ) हे मित्र! तुम ने सदा के लिए मुझे अपना अनुगृहीत बना लिया।
(च) भई! हम तो वहाँ नहीं जा सकेंगे!

जो शब्द दूसरे शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का समुच्चयन करते अर्थात् उनका एक साथ बोध कराते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—

(क) राम *और* कृष्ण दो भाई थे।
(ख) मोहन *एवं* श्याम विद्यालय जाते हैं।
(ग) वे इतिहास *तथा* भूगोल दोनों के पंडित हैं।
(घ) पैर पर जूता *न* सिर पर पगड़ी।
(च) मुझे कहीं जाना है *अतः* आपके साथ न चल सकूँगा।
(छ) वे कृपण तो है *पर* झूठा नहीं है।

कुछ समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं। जैसे—

इसलिए...कि—वह इसलिए चिंतित है कि कहीं तुम पकड़े न जाओ।
क्या.....क्या—क्या राजा क्या प्रजा सबको अपनी-अपनी पड़ी रहती है।

चाहे····चाहे—चाहे आप जायँ चाहे वह, किसी को जाना अवश्य चाहिए।

चाहे······पर—चाहे प्राण निकल जायँ पर मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं।

यदि······तो—यदि रुपये मिल गये तो मकान बनवा लूँगा।

यद्यपि···तथापि—यद्यपि हम दीन हैं तथापि हीन नहीं हैं।

क्यों कि, न कि, नहीं तो आदि अव्यय साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है।

वह उसकी पत्नी है न कि बहिन।

सच बोलना, नहीं तो मुझ से बुरा और कोई नहीं होगा।

९. सम्बन्ध-सूचक अव्यय

जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता आदि न बतलाकर स्वतंत्र शब्दों के समान प्रयुक्त होते हैं और विशेष रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित स्थापित हैं, उन्हें संबंध-सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे—

राम-*सा* सुन्दर बालक।

सीमा *तक* पहरा बैठा है।

तुम्हारे *सरीखा* बहादुर और कौन है ?

उक्त तीनों वाक्यों में सा, तक और सरीखा संबंध-सूचक अव्यय है, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना वाक्यों के अन्य शब्दों का परस्पर कोई संबंध स्थापित नहीं होता।

साधारणतया संबंध-सूचक अव्यय संज्ञाओं या सर्वनामों के बाद ही आते हैं, परंतु कुछ अवस्थाओं में ये संज्ञाओं या सर्वनामों के पहले भी आते हैं। जैसे—(क) *मारे* लज्जा के उसने सिर झुका लिया। (ख) परे हटाओ कम्बख्त को। (ग) *सिवा* मेरे वहाँ कौन जायगा। आदि।

साधारणतया सम्बन्ध-सूचक वाक्यों में की, के या से विभक्ति के साथ ही प्रयुक्त होते देखे जाते हैं। जैसे—

(क) वह नवाबों *की तरह* चलता है।

(ख) घर के *पास* सड़क है।

(ग) शहर *से* दूर उसका गाँव था।

का, को, तक, ने, पर्यंत, में, सा, से, सरीखा आदि स्वतंत्र संबंध-सूचक अव्यय हैं। परंतु तरह, पास, आगे, कारण, परे, पहले, पीछे, अपेक्षा, ऊपर, नीचे आदि पर-तंत्र संबंध-सूचक अव्यय हैं, क्योंकि इनके साथ की, के, या से रहना आवश्यक होता है। तले, द्वारा, पीछे, बिना, सहित, समेत आदि कुछ सम्बन्ध-सूचक अव्यय ऐसे भी हैं जो कभी तो स्वतंत्र रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और कभी परतंत्र रूप में भी। को, ने, से, में आदि सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ हैं और इन विभक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले कुछ अन्य सम्बन्ध-सूचक अव्यय भी होते हैं। तृतीया विभक्ति के स्थान पर द्वारा, चतुर्थी के स्थान पर लिए, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि, पंचमी विभक्ति के स्थान पर अपेक्षा, सप्तमी के स्थान पर अन्दर, भीतर, मध्य, बीच, आगे, पीछे आदि अनेक सम्बन्ध-सूचक शब्द अव्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

कुछ अवस्थाओं में दो-दो स्वतंत्र सम्बन्ध-सूचक भी एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

कोने *में से* साँप निकला।

छत *पर से* लड़का गिरा।

कूएँ *में का* पानी सूख गया। आदि

अभ्यास

१. अव्यय किसे कहते हैं ? क्रिया विशेषण और अव्यया में क्या अन्तर है ?

२. अव्ययो के कितने भेद हैं, उनके नाम बतलाओ और उदाहरण दो।

३. निम्नलिखित अव्यय किस प्रकार के हैं—

कल, आज, तो, नही, न, भी, अरे, उफ, और छिः।

दसवाँ प्रकरण

शब्द-विकार

इस प्रकरण में हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शब्द का एक रूप किसी दूसरे रूप में कैसे परिवर्त्तित होता है, अर्थात् क्रियाओं से विशेषण, संज्ञाएँ और क्रिया-विशेषण कैसे बनते हैं, संज्ञाओं से क्रियाएँ, विशेषण, अव्यय आदि कैसे बनते हैं। और इसी प्रकार विशेषणों आदि से अन्य शब्द-भेदों के रूप कैसे बनते हैं।

क्रियाओं से बननेवाले विकारी रूप

निम्नलिखित वाक्य ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता चलेगा कि इनमें रेखांकित क्रियाएँ अपने सामान्य रूप में ही संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त हुई हैं। जैसे—

(क) दूसरों पर *हँसना* अच्छी बात नहीं है।

(ख) दो कोस *चलना* उनके लिए पहाड़ हो गया है।

(ग) तुम्हारा *रोना* यहाँ कोई नहीं सुनेगा।

(घ) दाँत *काटना* बुरी बात है।

उक्त वाक्यों में हँसना से अभिप्राय हँसने की क्रिया और भाव से, चलना से अभिप्राय चलने की क्रिया और भाव से, रोने से अभिप्राय रोने की क्रिया और भाव से, और काटना से अभिप्राय काटने की क्रिया और भाव से है। क्रियाओं के जो सामान्य रूप संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में क्रियाओं में से 'ना' हटा देने पर उनके रूप संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात् धातु रूप ही संज्ञाओं की तरह चलने लगते हैं। जैसे—

निखारना—निखार

परखना —परख

फूटना —फूट

हारना —हार
मारना —मार
लूटना —लूट आदि।

कभी-कभी क्रियाओं के अन्तिम आकार का रूप अकार करने से भी संज्ञा बनती है जैसे—

चलना —चलन
मरना —मरन
पटकना —पटकन

धातु में आ जोड़ने से भी कुछ संज्ञाएँ बनती हैं। जैसे—

झगड़ (ना) —झगड़ा
घेर (ना) —घेरा। आदि

और कभी-कभी क्रियाओं के आकार को ईकार करने से भी संज्ञा बन जाती है। जैसे—

करना —करनी
भरना —भरनी
मरना —मरनी। आदि

विशिष्ट अवसरों पर क्रिया के धातु रूप में आई प्रत्यय जोड़ने से भाव-वाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे—

क्रिया	धातु	प्रत्यय	भाव-वाचक संज्ञा
दौड़ना	दौड़	+आई	दौड़ाई
हँसना	हँस	+आई	हँसाई
लड़ना	लड़	+आई	लड़ाई। आदि

आई प्रत्यय लगने से संज्ञा का जो रूप बनता है, उसका अर्थ होता है—कोई काम करने की क्रिया या भाव। परन्तु अनेक सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाओं की धातुओं में आई प्रत्यय लगने पर उक्त अर्थ के अतिरिक्त क्रिया करने की मजदूरी या पारिश्रमिक भी सूचित होता है। जैसे—

	क्रिया	धातु	प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा
(सकर्मक)	पढ़ना	पढ़	+ आई	पढ़ाई
(प्रेरणार्थक)	पढ़वाना	पढ़ + वा	+ आई	पढ़वाई
(सकर्मक)	बनाना	बन	+ आई	बनाई
	बनवाना	बन + वा	+ आई	बनवाई
(सकर्मक)	रंगना	रंग	+ आई	रंगाई
(प्रेरणार्थक)	रंगवाना	रंग + वा	+ आई	रंगवाई आदि आदि

क्रियाओं के 'ना' रहित रूपों में आन, आप, आवट आदि प्रत्यय लगाकर भी उनके भाव-वाचक रूप बनाये जाते हैं।

क्रिया	धातु		प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा
उड़ना	उड़	+	आन	उड़ान
मिलना	मिल	+	आप	मिलाप
मिलाना	मिला	+	आवट	मिलावट
बढ़ना	बढ़	+	आवा	बढ़ावा
पीना	पी	+	आस —	पीआस से प्यास
समझना	समझ	+	औता	समझौता
कटना	कट	+	औती	कटौती
घटना	घट	+	ती	घटती
खेलना	खेल	+	वाड़	खेलवाड़ आदि

क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त जाति-वाचक और समूह वाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं। जाति-वाचक संज्ञा बनाने में धातुओं में निम्नलिखित प्रत्यय लगाये जाते हैं—

क्रिया	धातु प्रत्यय	संज्ञा (जातिवाचक)
झूलना	झूल + आ	झूला
ठेलना	ठेल + आ	ठेला
रेतना	रेत + ई	रेती

झड़ना	झड़ + ई	झड़ी
बिछाना	बिछ + औना	बिछौना
खेलना	खेल + औना	खिलौना या खेलौना
छीलना	छील + का	छीलका से छिलका
फिरना	फिर + की	फिरकी
फूटना	फूट + की	फूटकी से फुटकी

कुछ अवस्थाओं में क्रिया के अन्तिम आकार को अकार करने अथवा धातुओं में 'न' प्रत्यय जोड़कर जाति-वाचक और समूह-वाचक संज्ञाएँ बनाई जाती हैं। जैसे—

क्रिया	संज्ञा
कतरना	कतरन
झाड़ना	झाड़न
फटकना	फटकन
बेलना	बेलन। आदि

कुछ अवस्थाओं में क्रियाओं से संज्ञा बनाते समय क्रिया के धातु के प्रथम व्यञ्जन के अकार को आकार, इकार को एकार, उकार को ओकार करना पड़ता है। जैसे—बढ़ना से बाढ़, चलना से चाल, मिलना से मेल, जुड़ना से जोड़ और मुड़ना से मोड़ आदि। कभी-कभी धातु और प्रत्यय को जोड़ते समय संस्कृत व्याकरण की कुछ सन्धियों के अनुसार वर्ण परिवर्त्तन भी होता है। जैसे—ई + अ = य (पी + आस—प्यास)।

क्रियाओं से विशेषण

क्रियाओं से विशेषण बनाने में भी अनेक प्रत्यय सहायक होते हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं—

क्रिया	धातु		प्रत्यय	विशेषण
टिकना	टिक	+	आऊ	टिकाऊ
चलना	चल	+	आऊ	चलाऊ

अड़ना	अड़	+	इयल	अड़ियल
सड़ना	सड़	+	इयल	सड़ियल
मरना	मर	+	इयल	मरियल
काटना	काट	+	ऊ	काटू
खाना	खा	+	ऊ	खाऊ

कुछ अवस्थाओं में ऊ, एरा आदि प्रत्यय लगने पर धातु के रूप में भी विकार होता है। जैसे—

क्रिया	धातु		प्रत्यय	विशेषण
चलना	चल	+	ऊ	चालू
भागना	भाग	+	ऊ	भग्गू
लूटना	लूट	+	एरा	लुटेरा
हँसना	हँस	+	ओड़	हँसोड़
भूलना	भूल	+	क्कड़	भुलक्कड़
काटना	काट	+	वाँ	कटवाँ

(उक्त विशेषणों में धातु के रूपों में स्पष्ट परिवर्त्तन दिखाई देता है)

वाला प्रत्यय लगने से क्रिया का नाकार रूप से नेकार हो जाता है।

करना	करने	+	वाला	करनेवाला
जलना	जलने	+	वाला	जलनेवाला
मरना	मरने	+	वाला	मरनेवाला
हारना	हारने	+	वाला	हारनेवाला
पीना	पीने	+	वाला	पीनेवाला

हार और हारा प्रत्यय लगने पर क्रिया के नाकार का रूप नकार हो जाता है। जैसे—

होना	होन	+	हार	होनहार
रोकना	रोकन	+	हारा	रोकनहारा

कुछ क्रियाओं का नाकार हटा देने से विशेषण रूप बन जाता है। जैसे—

निघटना—निघटक (न घटनेवाला)
अमिलना—अमिल (न मिलनेवाला)

'क्रिया-पदों की रचना' शीर्षक वाले प्रकरण में बतलाया गया है कि कभी-कभी क्रिया-पद बनाने के लिए धातुओं में कुछ प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं। जैसे—'धो' धातु में 'या' प्रत्यय जोड़ने से बननेवाला क्रिया-पद धोया (जैसे—कपड़ा धोया) अथवा 'चल' धातु में 'ता' प्रत्यय जोड़ने से बननेवाला 'चलता' आदि क्रिया-पद (जैसे—घोड़ा चलता है) बनते हैं। जो क्रिया-पद प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं, वे भी कुछ अवस्थाओं में विशेषणों, अव्ययों आदि की तरह प्रयुक्त । जैसे—

धोया कपड़ा पहनना चाहिए।
चलता इंजन हमने देखा है।

ऐसे आकारांत विशेषण अपने विशेष्यों के लिंग, तथा वचन के अनुसार तथा अन्य आकारांत विशेषणों की तरह अपना रूप भी परिवर्तित करते हैं। जैसे—

धोई (धोयी) दाल।
धोए (धोये) कपड़े।
चलती गाड़ी या गाड़ियाँ।
चलते जहाज। आदि।

इसी प्रकार 'फूल खिला' में 'खिला' क्रिया-पद है और 'खिला फूल' में 'खिला' विशेषण है। 'दिन गया' में 'गया' क्रिया-पद है, और 'गया दिन' में 'गया' विशेषण है। उक्त रूपों में प्रयुक्त होनेवाले विशेषणों के साथ प्रायः हुआ (हुई या हुए) भी लगाया जाता है। जैसे—

धोई हुई दाल।
धोए हुए कपड़े।
चलती हुई गाड़ी।

चलते हुए जहाज ।
खिला हुआ फूल ।
खिले हुए कमल । आदि ।

क्रियाओं से बननेवाले क्रिया-विशेषण

उक्त विशेषण रूप क्रिया-पदों के पूरक भी होते हैं। जैसे—

फूल *खिला हुआ* लाना ।
घोड़े *दौड़ते हुए* जा रहे थे ।
मालती *रोती हुई* आई । आदि ।

प्रयोग के आधार पर उक्त रूप विशेषणों की तुलना में क्रिया-विशेषण के अधिक निकट हैं। क्रिया-विशेषणों की तरह प्रयुक्त होनेवाले अन्य पद धातुओं में कर (या करके), ते, ही आदि जोड़कर बनाये जाते हैं। जैसे—

मैं खाकर जाऊँगा या मैं खा करके आया हूँ ।
वह चलते-चलते रुका ।
वह लेटते ही सो गया ।

धातु के अंतिम अकार या आकार को एकार रूप देने पर भी क्रिया-विशेषण बन जाते हैं। जैसे—

मुझे वहाँ *पहुँचे* बहुत दिन हुए ।
यह बोझ उससे उठे तो सही ।
उसने *सोये-सोये* दिन बिताया ।
वह बिना *बोले* न रहेगा । आदि ।

संज्ञाओं से बननेवाली क्रियाएँ तथा विशेषण

जिस प्रकार क्रियाओं में कई विभिन्न प्रत्यय लगाकर उनसे संज्ञा और विशेषण बनाये जाते हैं, उसी प्रकार संज्ञाओं से भी विशेषण और क्रियाएँ बनती हैं। हिन्दी में संज्ञाओं से बननेवाली क्रियाएँ

तो बहुत कम हैं और जो हैं भी वे मरती चली जा रही हैं। संज्ञाओं से बननेवाले विशेषण बहुत हैं।

हमारे यहाँ संस्कृत वर्त्तन (संज्ञा) का बरतन (संज्ञा) रूप हुआ और उसमें आकार जोड़कर हमने बरतना (क्रि०) बना लिया। पूजन से पूजना, दीपन से दीपना, पालन से पालना, पोषण से पोसना, प्रकाशन से प्रकाशना, पोतन से पोतना आदि अनेक क्रियाएँ नकारान्त संज्ञाओं में आ जोड़कर बनाई गई हैं। और जो नकारांत संज्ञाएँ नहीं होती हैं उनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाया जाता है। जैसे—

कोप + ना = कोपना
निबाह + ना = निबाहना
निर्गम + ना = निर्गमना
निनाद + ना = निनादना
बीज + ना = बीजना
चमक + ना = चमकना आदि।

इसी नियम के अनुसार अरबी फारसी की कुछ संज्ञाओं से भी हिन्दी क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—बख्शिश से बख्शना, वसूल से वसूलना आदि।

आकारान्त संज्ञाओं को अकारान्त करके तथा ना प्रत्यय लगाने से भी क्रियाएँ बनती है। जैसे—

न्योता न्योत + ना = न्योतना

इसके विपरीत कुछ ऐसी अकारांत संज्ञाएँ भी हैं, जिन्हें पहले आकारांत बनाया जाता है और तब उनमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—

थरथर = थरथराना
खटखट = खटखटाना
बड़बड़ = बड़बड़ाना
तह = तहाना आदि।

ईला	खरच	+ ईला	= खरचीला
	भड़क	+ ईला	= भड़कीला
	चमक	+ ईला	= चमकीला
	लचक	+ ईला	= लचकीला
	जहर	+ ईला	= जहरीला आदि।
ऊ	पेट	+ ऊ	= पेटू
	बाजार	+ ऊ	= बाजारू
	गरज	+ ऊ	= गरजू
ऐरा	मौसा	+ ऐरा	= मौसेरा
	चाचा	+ ऐरा	= चचेरा
	मामा	+ ऐरा	= ममेरा
एला	एक	+ एला	= अकेला
ऐला	विष	+ ऐला	= विषैला
	वन	+ ऐला	= वनैला
कार (सं० प्रत्य०)	पत्र	+ कार	= पत्रकार
	गीत	+ कार	= गीतकार
कार (फारसी प्रत्य०)	पेश	+ कार	= पेशकार
	सलाह	+ कार	= सलाहकार
गार (फारसी प्रत्य०)	गुनाह	+ गार	= गुनाहगार
गीर (फारसी प्रत्य०)	राह	+ गीर	= राहगीर
	जहाँ	+ गीर	= जहाँगीर
ची (फारसी प्रत्य०)	मशाल	+ ची	= मशालची
	खजान	+ ची	= खजानची
दार (फारसी प्रत्य०)	थाना	+ दार	= थानेदार
	दूकान	+ दार	= दूकानदार
	माल	+ दार	= मालदार
	मकान	+ दार	= मकानदार

प्रत्यय	शब्द		
बाज (फारसी प्रत्यय)			
	धोखा	+ बाज	= धोखेबाज
	चाल	+ बाज	= चालबाज
ला	लाड़	+ ला	= लाड़ला
	धुँध	+ ला	= धुँधला
वंत	गुण	+ वंत	= गुणवंत
	दया	+ वंत	= दयावंत
वर (फारसी प्रत्य०)			
	नाम	+ वर	= नामवर
	ताकत	+ वर	= ताकतवर
वाल	कोत	+ वाल	= कोतवाल
वाला	घर	+ वाला	= घरवाला
	मकान	+ वाला	= मकानवाला
	दिल	+ वाला	= दिलवाला
वैया	रखना	+ वैया	= रखवैया
	गाना	+ वैया	= गवैया
हरा	सोना	+ हरा	= सुनहरा
	रूपा	+ हरा	= रुपहरा आदि ।

विशेषणों से बननेवाली संज्ञाएँ

विशेषणों से संज्ञाएँ बनाते समय उनमें आपा, आयत, आहट, ई, ता, पन आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे—

बूढ़ा	+ आपा	= बुढ़ापा
बहुत	+ आयत	= बहुतायत
पंच	+ आयत	= पंचायत आदि ।
खट्टा	+ आस	= खट्टास
मीठा	+ आस	= मीठास
गरम	+ आहट	= गरमाहट
चिकना	+ आहट	= चिकनाहट

नेक	+ ई	= नेकी
खुश	+ ई	= खुशी
मंजूर	+ ई	= मंजूरी
नवीन	+ ता	= नवीनता
मधुर	+ ता	= मधुरता
सुंदर	+ ता	= सुन्दरता
मनोहर	+ ता	= मनोहरता
सम	+ ता	= समता ।
पागल	+ पन	= पागलपन
दिवाना	+ पन	= दीवानापन

कभी-कभी किसी विशेषण में एक से अधिक प्रत्यय लगने पर उसके कई संज्ञा रूप भी बनते हैं। जैसे—मीठा से मिठास और मिठाई; चिकना से चिकनाहट और चिकनापन, रूखा से रुखाई और रूखापन आदि आदि।

हिन्दी में कुछ संज्ञाओं से तो क्रियाएँ बन जाती हैं, पर विशेषणों से क्रियाएँ नहीं बनती। आज-कल संज्ञाओं से भी क्रियाएँ बनाने की परिपाटी धीरे-धीरे कम हो रही है।

संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाओं से बननेवाले क्रिया-विशेषण और अव्यय

हमारे यहाँ अधिकतर क्रिया विशेषण तथा अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं। कुछ संज्ञाओं और विशेषणों के अन्तिम अकार या आकार को एकार रूप दिये जाने पर उनके क्रिया विशेषण और अव्यय रूप बनते हैं।

लेखा	—लेखे
तड़का	—तड़के
बदला	—बदले
पीछा	—पीछे
आगा	—आगे

क्रियाओं से क्रिया-विशेषण या अव्यय रूप साधारणतया नहीं बनते। इसके कुछ अपवाद भले ही हों। जैसे—

जानना —जाने

हिन्दी भाषा में न तो संज्ञाओं और न क्रियाओं से सर्वनाम बनते हैं और न सर्वनामों से संज्ञा, विशेषण और क्रियाएँ ही बनती हैं। कुछ सर्वनामों में आँ प्रत्यय लगने से क्रिया विशेषण और अव्यय रूप अवश्य बनता है। जैसे—यह से यहाँ, वह से वहाँ, जो से जहाँ, कौन से कहाँ आदि आदि।

हमारे यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं की भी बहुत सी संज्ञाएँ और विशेषण चलते हैं और उनके बने हुए विशेषण और संज्ञा रूप भी हमारे यहाँ अपनाये गये हैं। इस प्रकार उनके रूप में जो विकार हुए हैं, वे उन्हीं भाषाओं के व्याकरण के नियमों के अनुसार और उनके प्रत्ययों के योग से हुए हैं। अधिकतर ऐसे विदेशी प्रत्यय हमारे यहाँ नहीं चलते, भले ही उनसे बने हुए शब्द चल रहे हों। ऐसे प्रत्ययों को उक्त विवेचन में स्थान नहीं दिया गया, वे बहुत से हैं और हमारे अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हैं।

अव्यय और क्रिया-विशेषण अविकारी पद होते हैं इसलिए इनसे अन्य शब्द-भेद नहीं बनते।

कृदंत और तद्धित

हम अब तक बतला चुके हैं कि शब्दों के रूपों में विकार कैसे उत्पन्न किया जाता है। किसी शब्द भेद में जो वर्ण या शब्द (अन्त में या पीछे) जोड़ा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं।

संस्कृत में प्रत्ययों के दो भेद किये जाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं में लगाये जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और जो प्रत्यय संज्ञाओं और विशेषणों में लगाये जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय लगने पर बननेवाले शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय लगने पर बननेवाले शब्द तद्धित कहलाते हैं।

अर्थ विकार के साधन

शब्दों के पहले जो वर्ण या शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग कहते हैं। इनके जोड़ने से शब्दो के अर्थ में कुछ विकार होता है या उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए उपसर्गों को अर्थ-विकार का साधन कहा जाता है। उपसर्गों के चार भेद किये गये हैं। शब्द का अर्थ नकारात्मक बनानेवाले उपसर्ग, शब्द को असद् या दूषित अर्थ से युक्त करनेवाले उपसर्ग, शब्द के अर्थ में अच्छाई लानेवाले उपसर्ग और विविध उपसर्ग जिनके लगने पर शब्दों से अनेक प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं।

१. ऐसे उपसर्ग जो शब्द का अर्थ नहिक या नकारात्मक कर देते है, ये हैं—

(क) अ;

जैसे—अन्याय; न्याय का अभाव।
अक्षत; क्षतरहित
अखंडित; जो खंडित न हो
असीमित; जो सीमित न हो
अशिक्षित; जो शिक्षित न हो
अचिकित्स्य; जिसकी चिकित्सा न हो सके।

(ख) अन;

जैसे—अनपढ़; जो पढ़ा न हो
अन-गढ़; जो गढ़ा हुआ न हो
अन-चाहा; जो चाहा न जाय
अन-चीन्हा; जिसे चीन्हा न गया हो
अन-जान; न जाना हुआ; अथवा जो न जानता हो
अन-होनी; (बात) जो कभी हुई न हो।

(ग) गैर;

गैर-कानूनी; जो कानून के अनुसार न हो
गैर-मुस्लिम; जो मुस्लिम न हो

(घ) ना;

नापसंद; जिसे पसंद न किया गया हो
नालायक; जो लायक न हो
नादान; जो दाना या विज्ञ न हो

(ङ) नि;

निडर; जिसे डर न हो
निखट्टू; जो खटता अर्थात् कमाता न हो
निकम्मा; जिसे कोई काम न हो या जो किसी काम का न हो

(च) बे;

बेईमान; जो ईमानदार न हो
बेहोश; जो होश में न हो
बे-परवाह; जिसे परवाह न हो
बे-जोड़; जिसका कोई जोड़ न हो

(छ) ला;

लावारिस; जिसका कोई वारिस न हो
लाजवाब; जिसका कोई जवाब न हो
लाइलाज; जिसका कोई इलाज न हो

(ज) परा;

पराजय; जय का विरोधीभाव; अर्थात् हार

(झ) प्रति;

प्रतिवादी; वादी के सामने खड़ा होनेवाला
प्रत्युपकार; उपकार के बदले में किया जाने वाला उपकार

२. निम्नलिखित प्रत्यय दूषित या बुरे अर्थ के वाचक होते हैं।

(क) अप;

अपशब्द; बुरा शब्द, गाली
अपकार, अहित, बुराई
अपव्यय; अनुचित या व्यर्थ का व्यय

(ख) अव;

अवगुण; बुरा गुण
अवरूप; बुरा रूप

(ग) कु;

कुचाल; बुरी या खराब चाल
कुमार्ग; बुरा मार्ग
कुठाँव; बुरा ठाँव या स्थान
कुरूप; बुरा या भद्दा रूप
कुपुत्र; बुरा पुत्र
कुख्यात; बुरी ख्यातिवाला
कुदृष्टि; बुरी दृष्टि
कुपंथ; बुरा पंथ

(घ) बद;

बदसूरत; बुरी या भद्दी सूरतवाला
बददिमाग; बुरे दिमागवाला
बदनसीब; बुरे नसीब या खराब भाग्यवाला
बदबू; बुरी बू या गन्ध

(ङ) दुर्;

दुर्जन; बुरा मनुष्य
दुर्गति; बुरी गति
दुराचार; बुरा आचरण

३. विशेषता, अच्छाई आदि दिखलाने के लिए ये उपसर्ग लगाये जाते हैं—

(क) सु;

सुगति;	अच्छी गति
सुकर्मा;	अच्छे कर्मोंवाला
सुकृति;	अच्छी कृति
सुकृत्य;	अच्छा कृत्य या काम
सुविचार;	अच्छा विचार

(ख) सत्;

सज्जन;	भला व्यक्ति
सद्गति;	अच्छी गति
सदाचार;	अच्छा आचरण
सन्मार्ग;	अच्छा मार्ग

(ग) बड़;

बड़भागी;	अच्छे भाग्यवाला

(घ) खुश;

खुश-नसीब;	अच्छे नसीबवाला
खुशमिजाज;	अच्छे स्वभाववाला

(ङ) अभि;

अभिधर्म;	श्रेष्ठ धर्म

४. विविध उपसर्ग

अति; अधिक अर्थ में; जैसे—अतिकाय

अधि; मुख्य, प्रधान, अतिरिक्त आदि अर्थों में; जैसे—अधिराज, अधिमास आदि।

अधि; अधिकार अर्थ में; जैसे—अधि-क्षेत्र, अधि-नियम आदि।

अनु; पीछे, समान, बारंबार, प्रत्येक आदि अर्थों में; जैसे—अनुचर, अनुरूप, अनुपान, अनुशीलन, अनुदिन आदि।

अभि; सामने, समीप, ऊपर, पुनः पुनः आदि अर्थों में; जैसे—अभ्यागत, अभिसार, अभिषेक, अभ्यास आदि।

आ; तक, से, भर, सहित आदि अर्थों में; जैसे—आसेतु, आजन्म, आजीवन, आबालवृद्ध आदि।

परि;	चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशय, पूर्णता, आदि अर्थों में; जैसे—परिक्रमण, परिपूर्ण, परिवर्धन, परित्याग, परिहास आदि ।
प्र;	अधिक, अच्छी तरह आदि अर्थों में; जैसे—प्रगति, प्रपूर्ण, प्रफुल्ल आदि ।
प्रति;	विपरीत, सामने, बदले में, हरएक, मुकाबले में आदि अर्थों में; जैसे—प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रतिद्वंद्वी आदि ।
वि;	विशेष रूपता, अनेक रूपता, विपरीतता आदि अर्थों में; जैसे—विक्षुब्ध, विविध, विक्रम आदि ।
सम्;	एकत्र, अधिक आदि अर्थों में; जैसे—संग्रह, संताप आदि ।
ब;	से, के अनुसार अर्थ में; जैसे-ब-दस्तूर, बशौक आदि ।
अध;	आधे अर्थ में; जैसे—अधमरा, अधखिला आदि ।
पन;	पानी अर्थ में; जैसे—पन-चक्की, पनडुब्बी आदि ।
हथ;	हाथ अर्थ में; जैसे—हथकड़ी, हथौड़ा आदि ।
हम;	साथ का, बराबर का आदि अर्थों में; जैसे—हमराही, हम नाम आदि ।

अभ्यास

१. निम्नलिखित संज्ञाओं के विशेषण रूप बतलाइये—बाजार, प्यार, नमक, रस, चमक, बनारस, और ठंढ ।

२. निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञाएँ बनाइए—सुंदर, मोटा, चिकना, बहुत और मीठा ।

३ निम्नलिखित क्रियाओ के संज्ञा रूप बनाइए—देना, बनना, चलना, छूटना, मिलना और मारना ।

४. प्रत्यय किसे कहते हैं ? कृत और तद्धित प्रत्ययों में भेद बतलाइये ।

५. उपसर्ग किसे कहते हैं ? शब्दों में लगकर वे क्या काम करते हैं ?

ग्यारहवाँ प्रकरण

कारक और विभक्तियाँ

कारक का शब्दार्थ है—करनेवाला, पर व्याकरण में कारक संज्ञा या सर्वनाम की उस स्थिति को कहते हैं जिसके फल-स्वरूप क्रिया का रूप साधन होता है। हम कहते हैं—राम सोता है। इस वाक्य में 'सोना' क्रिया का रूप बनानेवाला राम है, इसलिए राम कारक हुआ। एक और वाक्य लीजिए—मोहन कुत्ते को रोटी देता है। यहाँ मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों मिलकर 'देना' क्रिया का रूप-साधन कर रहे हैं। यदि मोहन न होता तो कुत्ते को रोटी कौन देता? यदि कुत्ता न होता तो मोहन रोटी किसे देता? और यदि रोटी न होती तो मोहन कुत्ते को क्या देता? इस प्रकार मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों उक्त वाक्य में कारक हैं।

अब इस बात पर एक और दृष्टि से विचार कीजिए। क्या 'मोहन कुत्ते को रोटी देता है।' इस वाक्य में मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों एक ही प्रकार से 'देना' क्रिया का रूप-साधन करते हैं। मोहन तो रोटी देने वाला है और कुत्ता रोटी पानेवाला। इसलिए मोहन और कुत्ता दोनों अलग अलग प्रकार से कारक हुए; और रोटी इन दोनों से भिन्न एक तीसरे ही प्रकार से कारक है। व्याकरण में इन्हीं सब बातों के विचार से कारकों के अलग अलग प्रकार या भेद निश्चित किये गये हैं; और उनके अलग अलग नाम रखे गये हैं।

हिन्दी में मुख्य रूप से ये आठ कारक माने जाते हैं—कर्त्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन। पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सम्बन्ध और सम्बोधन दोनों कारक नहीं हैं, क्योंकि ये क्रियाओं का रूप-साधन नहीं करते। जैसे—राम का भाई मोहन पत्र लिखता है। उस वाक्य में 'लिखना' क्रिया का रूप

बनाने या उसका साधन करने वाले हैं—मोहन और पत्र। यहाँ राम का 'लिखना' क्रिया से कुछ भी लगाव नहीं है। वह तो मोहन से उसका भाईवाला सम्बन्ध ही सूचित करता है। स्पष्ट है कि यहाँ राम कारक नही है। इसी प्रकार 'देवदत्त की पुस्तक चोर ले गया।' में 'ले जाना' क्रिया का रूप बनानेवाले चोर और पुस्तक हैं। देवदत्त 'ले जाना' क्रिया का रूप नहीं बनाता। इसलिए देवदत्त कारक नहीं है। इन दोनों उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि सम्बन्ध कारक वास्तव में कोई कारक नहीं है, क्योंकि वह क्रिया का रूप-साधन नही करता। इसी प्रकार सम्बोधन भी कारक नहीं होता। वक्ता यदि श्रोताओं को सम्बोधित करता हुआ कहे—'देवियों और सज्जनों! अब आपके सम्मुख मैं एक नई बात रखता हूँ।' तो यहाँ 'रखना' क्रिया सम्पन्न करने या उसका रूप-साधन करनेवाले 'मैं' और 'विचार' शब्द हैं। 'देवियों या सज्जनों' ने 'रखना' क्रिया के रूप-साधन में कुछ भी सहयोग नहीं किया है; इसलिए 'देवियों' और सज्जनों' भले ही सम्बोधन कारक मान लिये जायँ, पर वास्तव में वे कारक नहीं हैं।[1]

विभक्तियाँ—

किसी वाक्य में क्रिया का रूप-साधन करनेवाले जितने कारक होते हैं, वे सब क्रिया के सम्पादन या साधन में अलग अलग प्रकार से सहायक होते हैं। हम कहते हैं—'राम ने कृष्ण को डण्डे से मारा।' यहाँ राम ने जिस रूप में 'मारना' क्रिया के रूप साधन में सहयोग

---

१ वास्तव मे बात यह है कि संस्कृत मे (और हिन्दी में भी) छः ही कारक हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादन और अधिकरण। सम्बन्ध और सम्बोधन ये दोनो कारक अधिकतर हिन्दी वैयाकरणो ने अंग्रेजी के रिलेटिव और वोकेटिव कारको (Relative और Vocative case) के अनुकरण पर ही ले लिये हैं; और इस बात पर विचार नही किया है कि वास्तव मे वे कारक हैं या नही। इस भूल का परिमार्जन होना चाहिये।

किया है, उस रूप में 'कृष्ण' या 'डंडे' ने सहयोग नहीं किया है, बल्कि दोनों ने कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार से सहयोग किया है। राम प्रहार करता है, कृष्ण प्रहार सहता है और डंडे के द्वारा प्रहार किया जाता है। यही इन तीनों के अलग-अलग प्रकार या स्थितियाँ हैं।

यहाँ प्रत्येक संज्ञा का कार्य या स्थिति अलग-अलग है। जिन चिह्नों से हमें उनके अलग-अलग कार्यों या स्थितियों का ज्ञान होता है, व्याकरण में उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। उक्त वाक्य में इस प्रकार की स्थिति के सूचक ये विभक्ति-चिह्न आये हैं, ने, को और से। यदि इन चिह्नों को परस्पर स्थानान्तरित कर दिया जाय तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जायगा। यदि हम कहें—'कृष्ण को राम ने डंडे से मारा।' तो इस वाक्य में राम और कृष्ण दोनों की स्थितियाँ बिलकुल बदल जायँगी।

कारक और विभक्ति

जो स्वयं कोई क्रिया करता हो अथवा कोई क्रिया करने में बिलकुल स्वतंत्र हो, वह कर्ता कारक होता है; और उसकी जो विभक्ति उसका व्यापार या स्थिति सूचित करती है, उसे कर्ता कारक की विभक्ति कहते हैं। 'राम ने कृष्ण को डंडे से मारा' वाक्य में 'मारना' क्रिया करनेवाला राम है। यहाँ राम कर्ता कारक में है और उसका उक्त व्यापार 'ने' विभक्ति लगने पर सूचित होता है; इसलिए 'ने' कर्ता कारक की विभक्ति हुई। 'राम जायगा' वाक्य में राम कोई क्रिया नहीं कर रहा है, फिर भी वह यहाँ जाने की क्रिया करने में स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ वह कर्ता कारक में माना जायगा। कर्ता से भिन्न वह संज्ञा या सर्वनाम जिसपर क्रिया का परिणाम या फल होता हो अथवा जो कर्ता को सबसे अधिक अभीष्ट हो वह कर्म कारक में होता है; और उसकी विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति कहलाती है। 'राम ने कृष्ण को डंडे से मारा।' वाक्य में 'कृष्ण' कर्म कारक में है और 'को' कर्म कारक की विभक्ति है।

किसी क्रिया के रूप-साधन में जो कारक सबसे अधिक साधक

हो, वह करण कारक होता है। उक्त वाक्य में राम ने कृष्ण को मारने के लिए डंडे को साधन बनाया है। स्पष्ट है कि क्रिया मुख्य रूप से डंडे के द्वारा संपन्न हुई है। इस लिए डंडा यहाँ करण कारक है और 'से' करण कारक की विभक्ति है। जिस संज्ञा के उद्देश्य से कोई क्रिया की जाती है, वह संप्रदान कारक में होती है; और उसकी विभक्ति संप्रदान कारक की विभक्ति कहलाती है। जैसे—अशोक ने अजीत को पुस्तक दी। यहाँ अजीत संप्रदान कारक में है; क्योंकि पुस्तक उसे दी गई है; और उसकी विभक्ति 'को' है। 'के लिए' भी संप्रदान कारक की विभक्ति है। जैसे—'मैं राम के लिए फल लाया हूँ।' दो चीजों के एक दूसरी से पृथक् होने पर जो चीज निश्चल या यथा-स्थित रहे, वह अपादान कारक में होती है। जैसे—गुफा से शेर निकलता है। यहाँ 'गुफा' अपादान कारक में है। क्योंकि शेर के निकल जाने पर भी वह निश्चल या यथा-स्थित रहती है। अपादान कारक की विभक्ति 'से' है। जब कोई संज्ञा किसी चीज या बात के आधार के रूप में होती है, तब उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे—झोपड़ी में साधु रहता है। 'झोपड़ी' यहाँ आधार होने के नाते अधिकरण कारक में है; और 'में' इस कारक की विभक्ति है। 'पर' से भी आधार सूचित होता है। इस लिए 'पर' भी अधिकरण कारक की ही विभक्ति है। जैसे—तोता पेड़ पर बैठा है। 'का' 'के' और 'की' ये तीनों ऐसे चिह्न हैं जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों का पारस्परिक संबंध मात्र बतलाते हैं। जैसे—राम का भाई, मोहन के मित्र; या सीता की सखी। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, ये विभक्तियाँ जिन संज्ञाओं के साथ आती हैं, वे सिद्धांततः कारक नहीं होतीं, क्योंकि क्रिया के रूप-साधन में उनसे कोई सहायता नही मिलती; परंतु अन्य वैयाकरण इन विभक्तियों से युक्त संज्ञाओं को संबंध कारक और इन विभक्तियों को संबंध कारक की विभक्तियाँ मानते हैं। का, के और की संबंध-सूचक विभक्तियाँ कही जानी चाहिए, न कि संबंध कारक की विभक्तियाँ।

इसी प्रकार हे, ओ, अजी, अरे, रे आदि अव्यय शब्द कुछ संज्ञाओं

के साथ उन्हें सम्बोधित करते समय प्रयुक्त होते हैं। जैसे—हे मोहन! ओ लड़के! बाप रे! आदि। सिद्धांततः सम्बोधन रूप में प्रयुक्त संज्ञा या विशेषण भी कारक नहीं होता। फिर भी भ्रमवश अनेक वैयाकरण उक्त चिह्नों से युक्त संज्ञाओं और विशेषणों को सम्बोधन कारक और उनके चिह्नों को संबोधन कारक के विभक्ति चिह्न मानते हैं। इसके अतिरिक्त हे, ओ, रे आदि शब्दों को विभक्तियाँ मानना भी भूल है। वास्तव में ये अव्यय हैं। इनका पूरा विवेचन अव्ययवाले प्रकरण में किया गया है।

कारकों का प्रयोग

कारकों का प्रयोग विवक्षा पर निर्भर होता है। किसी वाक्य में किसी संज्ञा को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न कारकों में रखा जा सकता है। लेखक या वक्ता जब जिस संज्ञा या सर्वनाम को जिस कारक में रखना आवश्यक और उचित समझता है, तब उस कारक में रखता है।

कारकों और उनकी विभक्तियों की तालिका

कारक	विभक्तियाँ
कर्त्ता	ने
कर्म	को
करण	से
संप्रदान	को
अपादान	से
अधिकरण	में, पर

संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा का प्रयोग बिना विभक्ति लगाये नहीं किया जाता। परंतु हिन्दी में कर्ता और कर्म कारको में आनेवाली संज्ञाओं के साथ विभक्तियाँ प्रायः नहीं लगाई जातीं। जैसे—

मोहन (कर्ता)		रोता है।
गाड़ी (,,)		चलती है।
कुत्ता (,,)		भूँकता है।
पानी (,,)		बरसता है।
		आदि।

राम (कर्ता)	पानी (कर्म)	पीता है।
लड़की (,,)	रोटी (,,)	खाती है।
जुलाहा (,,)	कपड़ा (,,)	बुनता है।
कृष्ण (,,)	फल (,,)	तोड़ता है।

हिन्दी में अधिकतर अवस्थाओं में 'ने' विभक्ति का लोप देखा जाता है। आवश्यक रूप से इसका प्रयोग तभी होता है, जब वाक्य में भूल-कालिक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे—

राम ने चोर को पकड़ा।

यहाँ 'पकड़ा' क्रियापद 'पकड़ना' क्रिया का भूतकाल में होना सूचित करता है, इस लिए यहाँ 'पकड़ना' क्रिया भूतकाल में प्रयुक्त हुई है। इसके साथ कर्म 'चोर' भी है; इस लिए यह सकर्मक क्रिया भी हुई। जब क्रिया अकर्मक होती है, तब 'ने' विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे—

राम जाता है।
राम गया।
राम जायगा।

यदि सकर्मक क्रिया वर्तमान या भविष्यत् काल में हो तब भी 'ने' विभक्ति नहीं लगती। जैसे—

राम रोटी खाता है।
राम रोटी खायगा।

'ने' विभक्ति केवल सकर्मक भूतकालिक क्रिया होने पर ही कर्ता कारक की संज्ञा के साथ लगती है। जैसे—

राम ने रोटी खाई ।

कृष्ण ने पाठ पढ़ा ।

'को' विभक्ति कर्म कारक में प्राणि-वाचक संज्ञाओं के साथ आती है, निर्जीव पदार्थों की वाचक संज्ञाओं के साथ नहीं आती । जैसे—

राम ने मोहन को मारा ।

मोहन ने शेर को भगाया ।

(यहाँ मोहन और शेर प्राणी हैं ।)

राम रोटी खाता है ।

मोहन पुस्तक पढ़ेगा ।

(यहाँ रोटी और पुस्तक प्राणी नहीं हैं, इस लिए कर्म कारक में होने पर भी इनके साथ 'को' विभक्ति नहीं लगी ।)

'कहना' आदि कुछ क्रियाओं के कर्म के साथ 'को' के स्थान पर 'से' विभक्ति का भी प्रयोग होता है । जैसे—

राम ने राजा से कहा ।

कृष्ण ने मुझसे पूछा ।

शेष विभक्तियों का साधारणतः लोप नहीं होता ।

विभक्तियों के कुछ विचित्र प्रयोग :—

साधारणतया देखा जाता है कि एक कारक की विभक्ति दूसरे कारकों में भी प्रयुक्त होती है । जैसे—सामान्यतः 'को' विभक्ति कर्म और संप्रदान कारकों में ही आती है । परंतु कुछ अवसरों पर अन्य कारकों में भी इसका प्रयोग देखा जाता है । जैसे—

मोहन को नौकरी कर लेनी चाहिए ।

—(कर्ता कारक में 'को' विभक्ति)

रात को कहाँ जाऊँ ?

—(अधिकरण कारक में 'को' विभक्ति)

करण और अपादान कारकों में तो 'से' विभक्ति आती ही है, परंतु कर्ता और कर्म कारकों में भी इसका प्रयोग देखने में आता है । जैसे—

राम से यह काम न हो सकेगा।

—(कर्त्ता कारक में 'से' विभक्ति)

मैंने राम से कहा था।

—(कर्म कारक में 'से' विभक्ति)

इसी प्रकार अधिकरण कारक की 'पर' विभक्ति संप्रदान कारक में भी प्रयुक्त होती है। जैसे—

तुम तो पैसे पर मरते हो।

वह बच्चे पर जान देता है।

ऐसे अवसरों पर 'पर' के स्थान पर 'के लिए' का भी प्रयोग होता है।

ने, से और का विभक्तियाँ

यहाँ उक्त विभक्तियों के सबंध में जानने योग्य कुछ और विशेष बातें बतलाई जाती हैं।

'ने' विभक्ति केवल सकर्मक धातु के सामान्य भूतकालिक, आसन्न भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक और संदिग्ध भूतकालिक क्रिया-पदों के कर्ताओं के साथ आती है, केवल बोल, भूल और ला धातुओं के उक्त भूतकालिक क्रिया-पदों के कर्ताओं के साथ नहीं आती। जैसे—

वह कुछ बोला।

वह पुस्तक लाया।

मैं बात भूला। आदि।

अन्य भूत-कालिक पदों के कर्ताओं के साथ 'ने' विभक्ति नहीं आती।

साधारणतया यह माना जाता है कि कर्ता में 'ने' विभक्ति लगने पर क्रिया भी कर्म के अनुसार होती है। जैसे—

राम ने पुस्तक पढ़ी है।

राम ने ग्रंथ पढ़ा था।

राम ने लेख पढ़े।

परंतु यदि कर्म 'को' विभक्ति के साथ आये तो क्रिया-पद कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होगा। जैसे—

राम ने पुस्तक को पढ़ा है।

पंडितजी ने लड़कियों को पढ़ाया है।

यदि कर्त्ता 'ने' विभक्ति से युक्त हो और द्विकर्मक धातु हो तो मुख्य कर्म के विभक्ति रहित होने पर क्रिया-पद मुख्य कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होगा। जैसे—

(क) राम ने दिनेश को पुस्तक दी।

(ख) वक्ता ने श्रोताओं को कहानी सुनाई।

करण कारक की 'से' विभक्ति साधन अर्थ में (जैसे—राम चाकू से आम काटता है), कारण अर्थ में (जैसे—वह बुढ़ापे से दुःखी है), रीति अर्थ में, (जैसे—मेहनत से पैसा कमाया जाता है), दशा अर्थ में (जैसे—राम स्वभाव से सरल है) और तुलनात्मक प्रसंगों में भी (जैसे—वह हिसाब से अधिक ले गया) आती है।

अपादान कारक की 'से' विभक्ति निम्न प्रकार की संज्ञाओं के साथ आती है—(क) जिससे कोई चीज अलग होती हो (जैसे—पहाड़ से मोटर गिरी) (ख) जिसकी किसी से तुलना की जाती हो (जैसे—वह तुमसे अधिक योग्य है), (ग) जिससे कोई चीज उत्पन्न होती हो। (जैसे—गोबर से कीड़े निकलते हैं) और (घ) जिसके फल-स्वरूप कोई क्रिया या परिणाम हो। (जैसे—लड़का शेर से डरता है)।

अधिकरण कारक की 'में' और 'पर' विभक्तियाँ आधार (जैसे—कमरे में राम है), मूल्य (जैसे—दो आने में कलम मिलेगी); अन्तर (जैसे—मुझमें और आप में कैसी समानता), पार्थक्य (जैसे—अंधों में काना राजा), कारण (जैसे—बुलाने पर वह आ सकता है), नियम या निश्चय (जैसे—वह अपने वचन पर दृढ़ रहेगा), समय (जैसे—दिन में आना), स्थिति (जैसे—वह मजे में है) आदि की सूचक संज्ञाओं के साथ भी आती हैं।

सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ सम्बन्ध सूचित करने के अतिरिक्त स्वामित्व के अर्थ में (जैसे—वह किसकी पुस्तक है ?) मूल कारण वाले अर्थ में (जैसे—सोने का हार), प्रयोजन के अर्थ में (जैसे—

रहने का मकान), आर्थिक प्रसंगों में (जैसे—१०० रुपए का कपड़ा) आदि में भी आती है।

विभक्ति लगने पर कारकों के रूपों में होनेवाला विकार

हम कहते हैं—'लड़के ने आम खाया', 'लड़के को राम ने मारा', 'लड़के से पुस्तक मँगवा लेना', 'लड़के को धन दो' 'लड़के से फल ले लो' 'लड़के में गुण हैं' आदि आदि। ऐसे प्रयोगों से सिद्ध होता है कि आकारांत पुंल्लिग शब्दों के साथ विभक्ति लगने पर उनका रूप एकारांत हो जाता है। जब उनमें विभक्ति नहीं लगती, तब उनका रूप आकारांत ही रहता है। जैसे—लड़का अच्छा है, लड़का काम पर गया है। आदि। आकारांत पुंलिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुंलिग तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विभक्ति लगने पर उनके रूपों में विकार नहीं होता।

सम्बन्ध सूचक विभक्ति लगने पर भी आकारांत पुंलिग संज्ञाओं का रूप एकारांत हो जाता है। जैसे—लड़के का भाई, लड़के की बहन, लड़के के मित्र आदि। सम्बोधन में आकारांत पुंलिग संज्ञा का एकारांत रूप हो जाता है। जैसे—अरे लड़के। चाचा, मामा, दादा, नाना आदि पूज्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते समय तथा विभक्तियाँ लगाये जाने पर भी उनके रूप एकारांत नहीं किये जाते। परंतु पश्चिम में ऐसी अवस्थाओं में भी उक्त रूप एकारांत हो जाते हैं। जैसे—मैं चाचे की दूकान पर गया था, पर हिंदी में 'चाचा की दूकान पर' ही प्रशस्त और शिष्ट-सम्मत प्रयोग माना जाता है।

संज्ञाओं के बहुवचन रूपों के प्रयोग के लिए अकारांत एकवचन संज्ञाओं में 'ओं' (इकारांत तथा उकारांत संज्ञाओं में 'यों) प्रत्यय जोड़कर तब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसे—बालकों ने ऐसा कहा; फलों में कीड़े पड़े; मुनियों ने प्रवचन किये; साधुओं ने जल पिया; आदि आदि। ईकारांत और ऊकारांत संज्ञाएँ उक्त प्रत्यय जोड़े जाने पर इकारांत और उकारांत हो जाती हैं। जैसे—मालियों ने, सखियों को, डाकुओं ने, बहुओं को आदि आदि।

संज्ञाओं के बहुवचन रूपों में जब विभक्तियाँ नहीं लगतीं, तब
(क) आकारांत पुंलिंग संज्ञाएँ एकारांत हो जाती हैं। जैसे—

लड़के चले गये।
गडढे भर गये।
कुत्ते इधर नहीं आते।

(ख) इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ याँकारांत हो जाती हैं। जैसे—

लड़कियाँ गा रही हैं।
चपातियाँ पक रही हैं।
घड़ियाँ बन चुकी हैं। आदि आदि।

(ग) आकारांत स्त्रीलिग संज्ञाओं में 'एँ' लगाना पड़ता है। जैसे—

आशाएँ नष्ट हो जायँगी।
चिताएँ खा जायँगी।
दवाएँ नहीं आयँगी।
तारिकाएँ निकल आईं।
लताएँ सूख गईं। आदि।

(घ) अन्य संज्ञाएँ अपने सामान्य एकवचन रूप में ही रहती हैं। जैसे—

मुनि पहाड़ों पर रहते हैं।
बालक घर चले गये।
विद्यालय बंद हो गये।
डाकू गाँव लूटकर चलते बने।
माली फूलों की मालाएँ लाये। आदि।

सर्वनामों में विभक्तियाँ लगने पर कभी तो उनके रूप विकृत हो जाते हैं और कभी सर्वनाम और विभक्तियाँ मिलकर कुछ नया रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ कुछ ऐसे सर्वनामों के विभक्ति-युक्त रूपों की तालिका दी जाती है।

सर्वनाम	मैं	हम	तू	तुम	वह	वे	इस	कौन, कोई	जो
कर्ताकारक	मैं, मैंने	हम, हमने	तू, तूने	तुम, तुमने	उसने	उन्होंने	इसने	किसने	जिसने
कर्मकारक	मुझे, मुझको	हमें, हमको	तुझे	तुम्हें	उसे	उन्हें	इसे	किसे	जिसे
करणकारक	मुझसे, मेरे द्वारा	हमसे, हमारे द्वारा	तुझसे	तुमसे	उससे	उनसे	इससे	किससे	जिससे
संप्रदानकारक	मुझे, मुझको	हमें, हमको	तुझे	तुम्हें	उसे	उन्हें	इसे	किसे	जिसे
अपादानकारक	मुझसे	हमसे	तुझसे	तुमसे	उससे	उनसे	इससे	किससे	जिससे
अधिकरणकारक	मुझमें, मुझ पर	हममें, हम पर	तुझमें, तुझपर	तुममें, तुमपर	उसमें, उसपर	उनमें, उनपर	इसमें, इसपर	किसमें, किसपर	जिसमें, जिसपर
[संबंध-सूचक	मेरा※	हमारा	तेरा	तुम्हारा	उसका	उनका	इसका	किसका	जिसका
विभक्ति लगने	मेरे	हमारे	तेरे	तुम्हारे	उसके	उनके	इसके	किसके	जिसके
पर सर्वनाम	मेरी	हमारी	तेरी	तुम्हारी	उसकी	उनकी	इसकी	किसकी	जिसकी
विशेषण की									
तरह प्रयुक्त होता है।]									

※ मेरा आकारांत पुंलिंग एकवचन विशेषण रूप होगा इसका पु० बहुवचन रूप 'मेरे' और स्त्रीलिंग एकवचन तथा बहुवचन रूप 'मेरी' होगा। इसी प्रकार 'हमारा' 'तुम्हारा, आदि के हमारे, हमारी' तुम्हारे, तुम्हारी आदि रूप चलेंगे।

बारहवाँ प्रकरण

लिंग

लिग का मूल अर्थ है—ऐसा चिह्न या लक्षण जिससे किसी चीज की जाति की पहचान हो सके। जीवों या प्राणियों के शरीर में कुछ ऐसे चिह्न या लक्षण होते हैं, जिनसे इस बात की पहचान होती है कि वे पुरुष-वर्ग के हैं या स्त्री-वर्ग के अर्थात् नर हैं या मादा। इसी आधार पर हिन्दी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के साथ लिग के तत्त्व का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। जो तत्त्व हमें यह बतलाता है कि अमुक संज्ञा पुरुप-वर्ग की है या स्त्री-वर्ग की, उसे लिंग कहते हैं। साधारणतः भापाओं में मुख्य दो ही लिग होते हैं—पुंलिग अर्थात् पुरुप-वर्ग का बोधक लिंग; और स्त्रीलिंग अर्थात् स्त्री-वर्ग का बोधक लिग। व्याकरण के क्षेत्र में हमें कहना पड़ता है—कृष्ण या राम पुंलिंग शब्द हैं, और राधा या सीता स्त्री-लिग है। परन्तु संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंगरेजी आदि कुछ भाषाओं में इन दोनों लिगो के सिवा एक तीसरा नपुंसक-लिंग भी माना जाता है, जिसका प्रयोग प्रायः निर्जीव तत्त्वो, पदार्थों, भावनाओं आदि के सम्बन्ध में होता है। जैसे—आग, पत्थर, पानी, क्रोध, दया, भक्ति, श्रद्धा आदि। पर हिन्दी व्याकरण में व्यावहारिक दृष्टि से इस तीसरे नपुंसक-लिग का न तो कोई उपयोग ही है और न कोई स्थान ही।

जो संज्ञाएँ जीवों या प्राणियों की वाचक होती हैं, उनके लिंग का निर्णय हम उसके वाच्य के पुरुष और स्त्रीवाले भेद के आधार पर सहज में कर लेते हैं। हम पुरुष वर्ग की बोधक संज्ञाओं को पुंलिग और स्त्री-वर्ग की बोधक संज्ञाओं को स्त्री-लिग कहते और मानते हैं। जैसे—घोड़ा या लड़का पुंलिंग है और घोड़ी या लड़की स्त्री-लिग है। कुछ अवस्थाओं में जीव-जन्तुओं के वाचक शब्दों के रूप के आधार पर ही

उनका लिंग स्थिर कर लिया जाता है; और इस बात का विचार नहीं किया जाता कि उनमें से कौन पुरुष वर्ग का है और कौन स्त्री-वर्ग का। जैसे—चिड़िया, च्यूँटी, बकरी, मक्खी, मछली सब स्त्री और खटमल, पिस्सू, मच्छर आदि सब पुंलिंग होते हैं। पर कठिनता उस समय होती है, जब ऐसे तत्त्वों, पदार्थों आदि के वाचक शब्द हमारे सामने आते हैं, जिनमें शरीरतः किसी प्रकार का लिंगभेद होता ही नहीं। जैसे—बाजार, मकान, गाड़ी, नाव, चाँदी, सोना, धर्म, मुक्ति, विश्वास, आदि। व्याकरण में इस प्रकार की सभी संज्ञाओं का एक न एक लिंग माना ही जाता है। इसलिए सभी भाषाओं के व्याकरणों में कुछ ऐसे नियम या सिद्धान्त बना लिये जाते हैं जिनसे शब्दों का लिंग-निर्णय करने में बहुत कुछ सहायता मिलती है। हमारी हिन्दी भाषा मूलतः संस्कृत भाषा की कुछ शाखाओं से निकली है; इसलिए अनेक अवसरों पर हमें संस्कृत भाषा के लिंग-सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार चलना पड़ता है। फिर भी एक तो हिन्दी स्वतंत्र भाषा है; और दूसरे उस पर अंगरेजी, अरबी, फारसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के भी कई प्रकार से प्रभाव पड़े हैं, इसलिए हिन्दी में संज्ञाओं के लिंग-निर्णय के नियम, प्रकार और सिद्धान्त भी कुछ स्वतंत्र हैं। अब हम यहाँ संज्ञाओं के लिंग के पहचान के कुछ सामान्य नियम बतलाते हैं।

१—हिन्दी में प्रचलित अकारांत संस्कृत शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—राम, कृष्ण, नाम, ध्यान, विचार, युवक, प्रकाशक, प्रकरण, प्रकार, मत, मठ, विक्रम, रामायण, संघ, शब्द, लेख, लेखक, हस्त आदि।

२—हिन्दी में प्रचलित देशज, तद्भव तथा विदेशी अकारांत शब्द स्त्री-लिंग होते हैं। जैसे—भीख, आग, रात, बात, माँग, थकान, पटान, भीड़, झालर, नसल, मालिश, किताब, नसीहत, पैदाइश, राख, लपेट, लूट, हक, शाम, शामत, आदि। अपवाद रूप में कुछ जकारांत, बकारांत, रकारांत, हकारांत, आदि संज्ञा शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—जहाज, पटेबाज, प्याज, काज, मतलब, मकतब, नवाब, हिसाब, जवाब, खिताब, झुकाव, पटाव, बहाव, झींगुर, शायर, मुसाफिर,

ब्याह, निबाह, मल्लाह आदि शब्द[1]। सेठ, भांड, कदम आदि अकारांत संज्ञा शब्द भी पुंलिंग ही है।

३—संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्री लिंग होते हैं। जैसे—विद्या, लता, श्रद्धा, नवोढा, राधा, क्रिया, समर्थता, सुरक्षा आदि। 'देवता' शब्द संस्कृत में तो स्त्री लिग है; परन्तु हिन्दी में पुंलिंग माना जाता है।

४—तद्भव, देशज तथा विदेशी, आकारांत शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—उलाहना, साँचा, ताना, दावा, लुटेरा, मलेरिया, नशा, पेशा, पलीता, लेखा, झपट्टा आदि।

५—संस्कृत के इकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्री लिंग होते हैं। जैसे—भूमि, विनति, सृष्टि, प्रकृति, विधि, रात्रि, शांति, दानवी, देवी, पत्नी आदि शब्द। कवि, पति, यति, विद्यार्थी, हरि आदि कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग भी होते हैं।

६—ईकारांत देशज, तद्भव तथा विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—खिड़की, झिड़की, रोटी, कुरसी, बही, बाल्टी, चोरी, झोंपड़ी, दाई, राई, रिहाई, नवाबी, हेठी, खरीददारी, रानी, लोई, तरक्की, तलाशी, जिंदगी आदि।

७—कुछ ईकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग भी होते हैं। जैसे—पानी, घी, हाथी, दही, सिपाही, मोती, नाई, तेली, माली आदि। अधिकतर ऐसी पुंलिंग संज्ञाएँ अन्त में नी, ती, थी, ली, ही आदि से युक्त होती हैं।

८—अधिकतर उकारांत और ऊकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग होते हैं; जैसे—साधु, शम्भु, लट्टू, डाकू, लहू, स्वयंभू आदि। परन्तु बहू, जू, बू, आदि कुछ संज्ञाएँ स्त्री-लिंग भी होती हैं।

ऊपर जो नियम बतलाये गये हैं, उनसे संज्ञाओं के लिंग जानने

---

[1] हिन्दी में शब्दों का लिंग-निर्णय करने के समय अनेक अवसरों पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस भाषा से कोई शब्द हमारे यहाँ आया है, उस भाषा मे वह किस लिंग में चलता है।

का थोड़ा बहुत मार्ग-दर्शन अवश्य हो जाता है; फिर भी बहुत से अवसरों पर लिंग का भ्रम बराबर बना ही रहता है। ऐसे अवसरों पर अच्छे शब्द-कोशों से सहायता ली जा सकती है।

संज्ञाओं के लिंग-भेद जानने का एक ढंग और भी है। साधारणतः किसी वाक्य में एक पुंलिंग संज्ञा शब्द के साथ जो विशेषण, क्रिया-पद आदि आते हैं, वही अन्य सभी पुंलिंग संज्ञा शब्दों के साथ भी उसी रूप में आते हैं या आ सकते हैं। परन्तु किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द को पुंलिंग शब्द के स्थान पर बैठाने पर उक्त प्रकार के वाक्य के विशेषण, क्रिया-पद आदि के रूपो में आवश्यक रूप से परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरणार्थ एक वाक्य लीजिए :—

घर अच्छा बना है।

अब हम यदि इस वाक्य की 'घर' संज्ञा के स्थान पर चाहे कोई पुं० एकवचन संज्ञा लाकर रखें, तो वाक्य के अन्य पदों अर्थात् 'अच्छा' (विशेषण') और 'बना है' (क्रिया-पद) के रूप सदा ज्यों के त्यों बने रहेंगे, उनमें कभी कोई अन्तर न होगा। जैसे—

कपड़ा अच्छा बना है।
कटोरा अच्छा बना है।
चावल अच्छा बना है।
जूता अच्छा बना है।
भोजन अच्छा बना है।
तालाब अच्छा बना है। आदि।

ऐसे अवसरों पर वाक्य का रूप ही बतला देता है कि इसमें प्रयुक्त संज्ञा पुं० है, फिर उन संज्ञाओं की बनावट या रचना-प्रकार चाहे जैसा हो, उनके पुं० होने में सन्देह नहीं रह जाता। यदि उक्त वाक्य में 'घर' पुंलिंग के स्थान पर 'कविता' स्त्रीलिंग शब्द रखा जाय तो वाक्य का रूप होगा—

कविता अच्छी बनी है।

यहाँ हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि स्त्रीलिंग संज्ञा के आने पर विशेषण और क्रिया-पद दोनों के रूपों में परिवर्त्तन हो जाता है। अब यदि इस वाक्य में 'कविता' (स्त्री०) संज्ञा के स्थान पर कोई और स्त्री० संज्ञा शब्द रखें तो भी वाक्य ऐसा ही रहेगा।

दाल अच्छी बनी है।
रोटी अच्छी बनी है।
खिड़की अच्छी बनी है।
चौकी अच्छी बनी है।
सड़क अच्छी बनी है। आदि

वाक्य की इस प्रकार की रचना ही सिद्ध करती है कि इसमें प्रयुक्त संज्ञा निर्विवाद रूप से स्त्री-लिंग है, भले ही संज्ञाओं की बनावट या रचना-प्रकार किसी तरह का हो। कभी-कभी पुंलिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा के प्रयोग से केवल विशेषणों का रूप बदलता है, क्रियापदों का रूप नहीं बदलता। जैसे—

कैसा काम करते हो।
कैसी बातें करते हो।
कैसा आम लाये हो।
कैसी टोपी लाये हो।

उक्त वाक्यों में पुंलिग संज्ञाओं के साथ 'कैसा' विशेषण आया है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ 'कैसी' विशेषण, परन्तु दोनों प्रकार के वाक्यों में क्रिया-पद समान हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जिसमें क्रियापद का रूप बदल जाता है। जैसे—

राम बढ़िया (या सुन्दर) कविता करता है।
सीता बढ़िया (या सुन्दर) सिलाई करती है।

उक्त वाक्यों में विशेषण का रूप दोनों लिंगों की संज्ञाओं के साथ ज्यों का त्यों है; परन्तु क्रिया-पद का रूप बदल गया है।

कभी-कभी वाक्य में एक वर्ग की संज्ञा के स्थान पर दूसरे वर्ग की

संज्ञा रखने से केवल विशेषणों और क्रिया-पदों का ही रूप नहीं बदलता, बल्कि वाक्य की विभक्तियों तथा अन्य संज्ञाओं के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे—

मोहन का भाई अच्छा लड़का है।

अब यदि उक्त वाक्य में से 'भाई' (पुंलिंग संज्ञा) हटाकर उसके स्थान पर 'बहन' (स्त्रीलिंग संज्ञा) रख दें तो वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायगा—

मोहन की बहन अच्छी लड़की है।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'भाई अच्छा लड़का है' और 'बहन' अच्छी लड़की है।' में जो रूप-विकार हुआ, वह उसी सिद्धान्त के अनुसार हुआ है जो ऊपर बतलाया गया है।

अब इस प्रकार की वाक्य-रचनाओं पर एक और दृष्टि से विचार कीजिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कुछ भाषाओं में तीन लिंग होते हैं—पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उन भाषाओं में नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं (जैसे—फल, पुस्तक, ईंट, गाड़ी आदि) का तथा कुछ दूसरी संज्ञाओं का एक अलग वर्ग बना लिया जाता है। परन्तु हिन्दी में दो ही लिंग हैं—पुंलिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ प्रश्न यह होता है कि पदार्थों का लिंग—निर्णय कैसे किया जाय। उनको पुंलिंग वर्ग में रखा जाय या स्त्रीलिंग वर्ग में ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है—जो निर्जीव पदार्थों के वाचक शब्द साधारण पुंलिंग संज्ञाओं द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए वाक्य के रूपों को ज्यों के त्यों ग्रहण कर लेते हैं, वे पुंलिंग हैं, और जो उन स्थानों में विकार लाते हैं, वे स्त्रीलिंग हैं। इसी लिए हम कहते हैं कि—

वह अच्छा पत्थर है।
वह अच्छा कपड़ा है।
वह अच्छा फल है। आदि।
वह अच्छी कलम है।
वह अच्छी गाड़ी है। आदि।

हमारी कसौटी पर कसने के दो वाक्य होंगे—'घर अच्छा बना है।' और 'कविता अच्छी बनी है' पहले वाक्य के अनुसार पत्थर, कपड़ा और फल पुंलिंग संज्ञाएँ हैं और दूसरे वाक्य के अनुसार कलम, तथा गाड़ी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ हैं।

पुंलिंग का स्त्रीलिंग रूप

हिन्दी में केवल कुछ जाति-वाचक पुंलिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप होते हैं। अन्य प्रकार की संज्ञाओ के स्त्री-लिंग रूप नहीं होते। पुंलिंग जाति-वाचक संज्ञाओं से बनी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ भी जाति-वाचक ही रहती हैं। अधिकतर ऐसी जाति-वाचक पुंलिंग संज्ञाएँ जिनके स्त्रीलिंग रूप भी बनते हैं वे अकारांत, आकारान्त और ईकारांत होती हैं। जैसे-

कबूतर	–कबूतरी	अकारांत पुंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत करने से उनके स्त्रीलिंग रूप बने हैं।
ब्राह्मण	–ब्राह्मणी	
हिरन	–हिरनी	
साँप	–साँपिन	कुछ अकारांत पुं० संज्ञाओं का अन्तिम अकार लुप्त करके तथा इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनता है।
चमार	–चमारिन	
भगत	–भगतिन	

अकारांत पुंलिंग शब्दों में नी और आनी प्रत्यय जोड़ने से भी उनके स्त्रीलिंग रूप बनते हैं। जैसे—

ऊँट	–ऊँटनी	
सिंह	–सिंहनी	
देवर	–देवरानी	
सेठ	–सेठानी	
नौकर	–नौकरानी	
बाबू	–बबुआइन	ऊकारांत और एकारांत पुंलिंग संज्ञाओं में 'आइन' प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाये जाते हैं।
दूबे	–दुबाइन	
पांडे	पंडाइन	

गधा	–गधी	(आकारांत पुंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत करने से उनके स्त्रीलिंग रूप बने हैं ।
तोता	–तोती	
लड़का	–लड़की	
बिल्ला	–बिल्ली	
भतीजा	–भतीजी	
कुत्ता	–कुतया	(यहाँ आकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का अन्त्य आ लुप्त करके इया प्रत्यय जोड़ा गया है ।
चूहा	–चुहिया	
दुल्हा	–दुल्हिन	(अंत्य 'आ' लुप्त करके तथा इन प्रत्यय जोड़ने से आकारांत पुं० संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप भी बनते हैं ।
धोबी	–धोबिन	ईकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का स्त्रीलिंग रूप बनाते समय अन्त्य ई स्वर का लोप हो जाता है और तब उनमें इन प्रत्यय लग जाता है ।
मोची	–मोचिन	
तेली	–तेलिन	
माली	–मालिन	
भंगी	–भंगिन	

कुछ पुंलिंग जातिवाचक संज्ञाओं के स्वतंत्र स्त्रीलिंग रूप भी होते हैं। जैसे—आदमी का औरत, पुरुप का स्त्री, मर्द का जनानी, पति का पत्नी, ससुर का सास, राजा का रानी आदि। लोक में भाई की स्त्री को भौजाई और पुत्र की स्त्री को पुत्र-वधू कहते हैं। परन्तु भाषा में भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप बहन ही है और पुत्र शब्द का स्त्रीलिग पुत्री, साला का स्त्रीलिंग रूप साली ही होता है, सलहज नहीं। भाषा में बहन और भौजाई के पुं० रूप नहीं होते।

अल्पार्थक रूप

ऊपर हमने जिन पुंलिंग जातिवाचक संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप बतलाये हैं, वे सभी नर प्राणियों के सूचक हैं। निर्जीव पदार्थों के वाचक पुंलिंग शब्दों के भी स्त्रीलिंग रूप होते हैं। जैसे—पहाड़ का

पहाड़ी, रस्सा का रस्सी, मटका का मटकी, नद का नदी, परचा का परची, जूता का जूती, पत्ता का पत्ती, दौरा का दौरी स्त्रीलिंग रूप हैं। परन्तु इन्हें अल्पार्थक स्त्रीलिंग रूप कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाएँ ऐसी भी होती हैं जिनके पुंलिंग रूप तो बनते हैं, फिर भी वे अल्पार्थक ही होती हैं। और कुछ ऐसी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ भी होती हैं जिनके अल्पा० स्त्री रूप भी होते हैं। जैसे–

पुस्तक से पुस्तिका (स्त्रीलिंग अल्पार्थक)
खाट स्त्री० से खटिया (स्त्री० अल्पार्थक)
खाट से खटोला (पुंलिंग अल्पार्थक)

कुछ शब्दों के बने हुए स्त्रीलिंग रूप अर्थ के विचार से उनसे बहुत दूर चले जाते हैं और वे अलग पदार्थों के वाचक होते हैं। जैसे—

जड़—जड़ी
शीशा—शीशी
ताला—ताली
बूटा—बूटी आदि।

बोल-चाल और लिंग

कहीं-कहीं स्थानिक बोल-चाल के आधार पर भी एक ही शब्द में लिंग-भेद देखने में आता है। गेहूँ और अखबार उत्तर प्रदेश में पुं० रूप में और पंजाब में स्त्री० रूप में चलते हैं। कहीं दही खट्टा है; और कहीं दही खट्टी है बोला जाता है। गेंद पुं० होने पर भी ब्रज भाषा में स्त्री० है। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जिन्हें कुछ लोग पुंलिंग मानते हैं और कुछ लोग स्त्रीलिंग। यदि कोई शब्द अधिकतर क्षेत्रों में पुंलिंग बोला जाता हो, तो उसे पुंलिंग मान लेना चाहिए। और यदि वह अधिकतर क्षेत्रों में स्त्रीलिंग बोला जाता हो, तो उसे स्त्रीलिंग मान लेना चाहिए। कुछ लोगों का यह मत है कि पश्चिमी हिन्दी में लिंगों का जो रूप मान्य हो, वही ठीक और शिष्ट-सम्मत है। यह सिद्धान्त अच्छा है, और प्रायः माना भी जाता

है। जिस संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग और पुंलिग दोनों रूपों में समान प्रयोग होता हो, उसे पुंलिंग ही मान लेना अच्छा होगा। यह सिद्धान्त नये अपनाये जानेवाले विदेशी शब्दों के सम्बन्ध में भी अधिक उपयोगी तथा ठीक सिद्ध होगा।

पुंलिग विशेषणों और क्रिया-पदों के स्त्रीलिंग रूप

जब वाक्य में पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग संज्ञा आती है, तब विशेषणों और क्रिया-पदों के रूप परिवर्त्तित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वे स्त्रीलिंग विशेषण और स्त्रीलिंग क्रिया-पद कहलाते हैं। उदाहरण लीजिए :—

मोहन अच्छा घोड़ा लाया है।
मोहन अच्छी घोड़ी लाया है।
मोहनी अच्छा घोड़ा लाई है।
मोहनी अच्छी घोड़ी लाई है।

उक्त वाक्यों में से हर वाक्य में दो-दो संज्ञाएँ हैं जिनमें से पहली संज्ञा कर्त्ता है और दूसरी कर्म है। एक-एक विशेषण है और एक-एक क्रिया-पद है। पुंलिंग (कर्त्ता) संज्ञाओं के साथ 'लाया है' क्रिया-पद आया है, और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ 'लाई है' आया है। पुंलिंग संज्ञाओं के साथ आनेवाला क्रिया-पद पुंलिग और परिवर्त्तित रूप में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ आनेवाला क्रिया-पद स्त्रीलिंग हुआ। इसी प्रकार पुंलिंग संज्ञा 'घोड़ा' के साथ 'अच्छा' विशेषण आता है, परन्तु स्त्रीलिंग संज्ञा 'घोड़ी' के साथ 'अच्छी' विशेषण आता है। इस प्रकार 'अच्छा' को पुंलिग विशेषण और 'अच्छी' को स्त्रीलिग विशेषण कहते हैं।

परन्तु यदि पुंलिग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग संज्ञाएँ रखने पर विशेषण के रूप में परिवर्त्तन नहीं होता तो वह पुंलिंग विशेषण ही कहलाता है। जैसे—

देवदत्त बढ़िया कपड़ा पहनता है।

शकुंतला बढ़िया कपड़ा पहनती है।
देवदत्त बढ़िया धोती माँगता है।
शकुंतला बढ़िया धोती माँगती है।

उक्त वाक्यों में 'बढ़िया' का प्रयोग जिस रूप में पुंलिंग संज्ञाओं के साथ हुआ है, उसी रूप में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ भी हुआ है। उसके रूप में परिवर्त्तन या विकार नहीं हुआ, इसलिए 'बढ़िया' ऐसा विशेषण है जो दोनों लिंगों में समान रूप से चलता है। ऐसे, विशेषण उभय-लिंगी होते हुए भी व्याकरण तथा कोशों में सर्वदा पुंलिंग विशेषण ही माने जाते हैं।

सर्वनामों के पुंलिंग और स्त्रीलिंग रूप अलग-अलग नहीं होते, वे दोनों लिंगो में समान-रूप से चलते हैं। जैसे—

वह जाता है।
वह जाती है।
तू जाता है।
तू जाती है।
मैं आता हूँ।
मैं आती हूं। आदि।

ऐसे अवसरों पर वाक्य-रचना के रूप के आधार पर ही जाना जाता है कि सर्वनाम पुंलिग संज्ञा के स्थान पर आया है, या स्त्री-लिंग संज्ञा के स्थान पर।

अभ्यास

१. सज्ञाओ के लिंग जानने के कौन कौन से मुख्य नियम हैं ?
२. स्त्री-लिंग संज्ञा और अल्पार्थक स्त्री-सज्ञा मे क्या भेद है ?
३. निम्नलिखित पुलिंग संज्ञाओ के स्त्री-लिंग और स्त्रीलिंग सज्ञाओ के पुंलिंग रूप बनाइए—
   तेली, हिरन, माता, वधू, दुल्हा, स्त्री, भेड़, बहन और साली।

तेरहवाँ प्रकरण

वचन

संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, उसे व्याकरण में वचन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में तो संज्ञाओं के तीन वचन माने गये हैं—एक-वचन, द्वि-वचन और बहु-वचन; परन्तु अधिकतर अन्यान्य भाषाओं की तरह हिन्दी में वचन के दो ही भेद माने गये हैं—एक वचन और बहु-वचन। जब संज्ञा के रूप से किसी एक चीज अथवा एक सामूहिक इकाई का बोध होता है, तब उसे एक वचन संज्ञा कहते हैं, और जब उसके रूप से एक से अधिक अर्थात् अनेक चीजों या अनेक सामूहिक इकाइयों का बोध होता है, तब उसे बहु-वचन कहते हैं। जैसे—

लड़का रोटी खाता है। (लड़का, रोटी दोनो एक-वचन)
ग्वाला गाय पालता है। (ग्वाला, गाय दोनों एक-वचन)
लड़के रोटी खाते हैं। (लड़के बहु-वचन और रोटी एक-वचन)
लड़के रोटियाँ खाते हैं। (लड़के और रोटियाँ दोनों बहु-वचन)
ग्वाला गौएँ पालता है। (ग्वाला एक-वचन और गौएँ, बहु-वचन)
ग्वाले गौएँ पालते हैं। (ग्वाले और गौएँ दोनों बहु-वचन)

पहले वाक्य में एक लड़का और एक रोटी है। लड़का और रोटी दोनों संज्ञाएँ एक-एक चीज की वाचक हैं, इसलिए वचन की दृष्टि से इनके ये रूप एक-वचन हुए। दूसरे वाक्य में ग्वाला और गौ भी एक-एक चीज के सूचक होने के कारण एक-वचन में ही हैं। तीसरे वाक्य में

लड़के कहने से एक से अधिक अर्थात् अनेक लड़कों का बोध होता है, परन्तु रोटी संख्या में एक ही है, इसलिए लड़के बहु-वचन रूप में और रोटी एक वचन रूप में है। चौथे वाक्य में 'लड़के' बहु-वचन के साथ रोटियाँ भी बहु-वचन हैं। पाँचवें वाक्य में ग्वाला एक-वचन और गौएँ बहु-वचन हैं, और छठे वाक्य में ग्वाले भी बहु-वचन है और गौएँ भी।

उक्त उदाहरणों से दो बातें ध्यान में आती हैं। एक तो यह कि संज्ञा के एक-वचन से बहु-वचन बनाते समय उस रूप में कुछ विकार करना पड़ता है। जैसे—लड़का से लड़के, ग्वाला से ग्वाले, रोटी से रोटियाँ और गौ से गौएँ आदि रूप बनते हैं। दूसरी बात यह है कि कर्तृ वाचक एक-वचन संज्ञा का बहु-वचन रूप करने पर क्रिया-पदों में भी विकार होता है[1]। बहु-वचन संज्ञा के साथ क्रिया-पद का आनेवाला रूप भी बहु-वचन होता है। 'खाता है' एक वचन क्रिया-पद है; और 'खाते हैं' बहु-वचन क्रियापद है। क्रिया-पदों की तरह विशेषणों के भी बहु-वचन रूप हो जाते हैं। 'यह' और 'भला' विशेषण एक वचन है, तथा 'ये' और 'भले' विशेषण बहु-वचन हैं।

कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक वचन और बहु-वचन दोनों में संज्ञा एक ही रूप में चलती हैं, अर्थात् उसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे—

अच्छा आम खाया जाता है।
अच्छे आम खाये जाते हैं।
घर सुन्दर बना है।
घर सुन्दर बने हैं।

पहले और तीसरे वाक्यों में आम तथा घर एक-वचन रूप में प्रयुक्त हुए हैं और दूसरे तथा चौथे वाक्यों में वही आम तथा घर बहु-वचन रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे अवसरों पर संज्ञाओं का वचन

---

१. इस विषय की विशेष बाते 'क्रिया-पदो की रचना' शीर्षक प्रकरण मे बतलाई गई हैं।

उनके विशेपणों तथा क्रिया पदों के आधार पर जाना जाता है। अर्थात् यदि क्रिया-पद, विशेपण आदि बहु-वचन रूप में हों तो संज्ञा भी बहु-वचन कही जायगी, और यदि क्रिया-पद तथा विशेषण एक-वचन में हों तो संज्ञा भी एक-वचन मानी जायगी।

बहु-वचन का एक और रूप भी होता है जिसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। क्रिया-पदों के आधार पर संज्ञाओं के वचन का निर्धारण करते समय संज्ञाओं के इस आदरार्थक प्रयोग का भी ध्यान रखना पड़ता है। संज्ञा के एक-वचन रहने पर भी यदि हम उसका आदरपूर्वक उल्लेख करेंगे तो हमें आदरार्थक बहु-वचन रूप में उसका प्रयोग करना पड़ेगा, और क्रिया-पद तथा विशेषण भी बहु-वचन रूप में रखने पड़ेंगे। कुछ अवसरों पर आदरार्थक प्रयोग के समय संज्ञा के साथ आदर-सूचक 'जी' भी लगा देते हैं। जैसे—

भैया जी आ रहे हैं।
पिता जी जा रहे हैं।
गुरु जी पढ़ा रहे हैं।
माता जी पाठ कर रही हैं।

ऐसे अवसरों पर संज्ञा तो वस्तुतः एक-वचन ही होती है; पर क्रिया-पद के आधार पर उसे आदरार्थक बहु-वचन कहते हैं।

संज्ञाओं के एक-वचन रूप से बहु-वचन रूप बनाते समय निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(क) यदि संज्ञा आकारांत पुंलिंग एक-वचन हो तो बहु-वचन रूप में उसके अन्तिम 'आ' का 'ए' हो जायगा। जैसे—

लड़का —लड़के
बच्चा —बच्चे
पौधा —पौधे
कपड़ा —कपड़े
कुत्ता —कुत्ते

बेटा —बेटे
पोता —पोते आदि।

तद्भव (विदेशी नहीं) आकारात एक-वचन विशेषण भी बहु-वचन रूप में प्रयुक्त होने पर एकारांत हो जाते हैं। जैसे—

बड़ा —बड़े
अच्छा —अच्छे
नया —नये
हरा —हरे
काला —काले
मैला —मैले आदि।

क्रिया के एक-वचन ता है, ता था, ता होगा, आदि के भी ते हैं, ते थे, ते होंगे' आदि रूप हो जाते हैं। जैसे—'खाता है' का 'खाते हैं।' 'खाता था' का 'खाते थे' और 'खाता होगा' का 'खाते होंगे' आदि।

हिन्दी में अधिकतर संबंध वाचक आकारांत एक-वचन संज्ञाओं के बहु-वचन रूप बनाते समय उनके रूप में विकार नहीं होता। जैसे—

हमारा चाचा (या मामा) कानपुर में रहता है।

हमारे चाचा (या मामा) कानपुर में रहते हैं।

दूसरे वाक्य से यह भ्रम हो सकता है कि कहीं चाचा (या मामा) का प्रयोग आदरार्थक रूप में तो नहीं हुआ है। यदि ऐसे अवसरों पर यह भ्रम दूर करने के लिए संज्ञा के साथ लोग, गण, वर्ग, जन आदि में से कोई एक समूह-वाचक शब्द जोड़ दिया जाय अथवा उनके पहले 'दोनों' 'चारों' आदि संख्या-वाचक-विशेषण लगा दिये जायँ तो इस प्रकार का भ्रम नहीं होता। जैसे—हमारे चाचा लोग कानपुर में रहते हैं अथवा मेरे दोनों मामा कानपुर में रहते हैं।

संस्कृत की आकारांत पुंलिंग एक-वचन संज्ञाएँ भी बहु-वचन में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं, उनके रूप में विकार नहीं होता। जैसे—
वह बहुत अच्छा योद्धा था, और वे सभी बहुत अच्छे योद्धा थे।

(ख) हिन्दी की आकारांत एक-वचन पुंलिंग संज्ञाओं को छोड़कर

अन्य पुंलिग संज्ञाओं को बहु-वचन बनाते समय उनके रूपों में कोई विकार नहीं करना पड़ता। ऐसी संज्ञाएँ एक-वचन और बहु-वचन दोनों रूपों में एक ही तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

बालक पढ़ता है।
बालक पढ़ते हैं।
पड़ोसी चोर निकला।
पड़ोसी चोर निकले।
साधू चला गया।
साधू चले गये।

ठीक-ठीक बोध कराने के लिए ऐसी संज्ञाओं का बहु-वचन रूप में बालकगण, पड़ोसी लोग, साधुजन आदि लिखना ही अधिक प्रशस्त माना जाता है।

(ग) अकारांत एक-वचन स्त्री-लिंग संज्ञाओं को बहु-वचन रूप देते समय उनके अकारांत रूप को 'एं'कारांत कर दिया जाता है। जैसे—

रात —रातें
बात —बातें
चाल —चालें
दाल —दालें
पुस्तक —पुस्तकें
बेगम —बेगमें
पेन्सिल —पेन्सिलें
चादर —चादरें आदि।

(घ) आकारांत, उकारांत तथा ऊकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञाओं का बहु-वचन रूप बनाते समय उनमें एँ जोड़ा जाता है। जैसे—

लता —लताएँ
सीमा —सीमाएँ
हवा —हवाएँ
घटा —घटाएँ

पताका —पताकाएँ
छटा —छटाएँ
माता —माताएँ
विद्या —विद्याएँ
वस्तु —वस्तुएँ
ऋतु —ऋतुएँ
लू —लूएँ
जूँ —जूँएँ
गौ —गौएँ आदि।

(च) कुछ ऊकारांत एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के उकारांत रूप बनाकर तब उनमें 'एँ' जोड़ा जाता है। जैसे—

बहू = बहु + एँ = बहुएँ
वधू = वधु + एँ = वधुएँ

(छ) इकारांत एक-वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के एक-वचन रूप में याँ जोड़कर उन्हें बहु-वचन बनाया जाता है जैसे—

शक्ति —शक्तियाँ
रीति —रीतियाँ
सृष्टि —सृष्टियाँ
भूमि —भूमियाँ
सन्धि —सन्धियाँ आदि।

(ज) ईकारांत एक-वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहु-वचन बनाते समय पहले उन्हें इकारांत किया जाता है, और तब उनमें याँ जोड़ा जाता है। जैसे—

क्यारी —क्यारियाँ
जूती —जूतियाँ
टोपी —टोपियाँ
धोती —धोतियाँ
लड़की —लड़कियाँ

दरी –दरियाँ
शादी –शादियाँ
चिट्ठी –चिट्ठियाँ आदि।

(झ) जिन स्त्रीलिंग एक-वचन संज्ञाओं के अंत में या होता है, उन पर केवल चन्द्रबिंदु लगाने से उनका बहु-वचन रूप बन जाता है। जैसे—

गुड़िया –गुड़ियाँ
बतिया –बतियाँ
डिबिया –डिबियाँ
चिड़िया –चिड़ियाँ
पुड़िया –पुड़ियाँ
चुहिया –चुहियाँ आदि।

संस्कृत आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञाओं के बहुवचन 'एं' प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। जैसे—

छाया का छायाएं
माया का मायाएं
काया का कायाएं आदि बनते हैं।

(ट) शेष स्त्रीलिंग संज्ञाएँ एक-वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से चलती हैं।

वचन के संबंध में एक बात और जान लेनी चाहिये। यदि वाक्य में एकवचन या बहुवचन संज्ञाओं के उपरांत विभक्तियाँ नहीं आतीं तो वे अपने सामान्य रूपों में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

एक वचन पुंलिंग चोर और घर } चोर घर लूट कर ले गया।

बहुवचन पुंलिंग संज्ञा चोर या चोर लोग और घर } चोर अनेक घर लूटकर ले गये। अथवा चोर लोग अनेक घर लूट कर ले गये।

एक-वचन स्त्रीलिंग संज्ञा-लड़की } लड़की रोटी पकाती है।

बहु-वचन स्त्रीलिंग संज्ञा-लड़कियाँ } लड़कियाँ कमरे सजाती हैं।

परन्तु यदि बहु-वचन पुंलिंग अथवा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के उपरांत विभक्तियाँ आती हैं तो उनके रूप 'ओं'कारांत हो जाते हैं। जैसे—

चोरों ने घर लूटे हैं।
चोरों ने घरों को लूटा।
लड़कियों ने कमरे सजाये।
लड़कियों ने कमरों को सजाया।

फिर भी उक्त अवसरों पर 'घरों को' और 'कमरों को' कहना ठीक नहीं समझा जाता। शिष्ट-सम्मत रूप 'घर लूटे' और 'कमरे सजाये' ही माने जाते हैं। एक-वचन संज्ञाओं में विभक्तियाँ लगने पर किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होता। जैसे—

चोर ने घर को लूट लिया।
मोर ने साँप को खा डाला आदि।

उक्त वाक्यों के रूप उनकी एक-वचन संज्ञाओं को बहु-वचन बना देने पर इस प्रकार हो जायँगे—

चोरों ने घरों को लूट लिया।
मोरों ने साँपों को खा लिया।

बहुवचन विशेष्यों में विभक्ति लगने पर भी विशेषणों के बहुवचन में होनेवाले सामान्य रूपों में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। जैसे—

काला घोड़ा आया। (एक-वचन पुंलिंग विशेषण)
काले घोड़े आये। (बहु-वचन पुंलिंग विशेषण)
काले घोड़ों ने घास खाई। (कोई विकार नहीं)
काली घोड़ी आई। (स्त्रीलिंग विशेषण एक वचन और
काली घोड़ियाँ आईं। बहुवचन में समान रूप से
चलते हैं)।

काली घोड़ियों ने घास खाई आदि।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि आकारांत-पुंलिंग एक-वचन संज्ञाओं के बहुवचन रूप एकारांत हो जाते हैं, जैसे—कमरा से कमरे, लोटा से लोटे आदि। एक-वचन रूप में भी विभक्ति लगने पर उनके रूप

एकारांत हो जाते हैं। जैसे—कमरे में, कमरे से, कमरे को, कमरे पर, कमरे तक, लोटे का, लोटे पर, लोटे में आदि। यहाँ यह भ्रम हो सकता है कि 'कमरे' क्या 'कमरा' का बहु-वचन रूप तो नहीं है? यहाँ कमरे में, कमरे से या कमरे का 'कमरा' बहु-वचन रूप नहीं आया है। बहु-वचन रूप तो कमरों में, कमरों से, कमरों का आदि होगा। हम ऊपर बतला चुके हैं कि विभक्ति लगने पर बहु-वचन संज्ञाएँ सदा ओंकारांत हो जाती हैं। 'कमरा' का बहु-वचन रूप विभक्ति लगने पर 'कमरों' हो जायगा 'कमरे' नहीं रहेगा।

सर्वनामों के बहु-वचन रूप इस प्रकार बनते हैं—

मैं—हम (या हम लोग)
तू—तुम (या तुम लोग)
वह—वे (या वे लोग)

कुछ सर्व-नामों के बहु-वचन रूप दिखलाने के लिए उनकी पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे—

वहाँ कौन-कौन लोग आये थे?
किस-किस ने चंदा दिया?
कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं।

इधर कुछ संज्ञाओं की भी बहु-वचन रूप में पुनरावृत्ति देखी जाती है। जैसे—लड़के घर-घर जाकर चंदा लाये थे, वह बात-बात में आपत्ति करता था। कुछ संज्ञाओं में उनके अनुकरण-वाचक रूप जोड़ने पर भी, वे बहु-वचन बन जाती हैं। जैसे—

यहाँ चोर वोर नहीं रहते।
दिल्ली में मकान वकान नहीं मिलते।
पेड़ वेड़ लेकर क्या करेंगे।

दर्शन, देवता, प्राण आदि शब्द बहु-वचन रूप में ही प्रयुक्त करने चाहिएँ, एक-वचन में नहीं। 'भगवान का दर्शन किया' के स्थान पर 'भगवान के दर्शन किये' और 'प्राण निकल जायगा' के स्थान पर 'प्राण निकल जायँगें' कहना ही अधिक-प्रशस्त माना जाता है।

अभ्यास

१. वचन किसे कहते हैं ? हिंदी मे कितने वचन है ।

२ आकारात और ईकारात पुलिग एकवचन सज्ञाओ के तथा आकारांत और इकारांत स्त्रीलिग एकवचन संज्ञाओ के बहुवचन रूप कैसे बनते हैं । पाँच-पाँच उदाहरण देकर समझाइये ।

३. निम्नलिखित सज्ञाओ के बहुवचन रूप बनाकर दिखलाओ—
घटा, बेगम, डिबिया, पौधा, दरी, शादी, सन्धि, बात और कपड़ा ।

४. बताइये किस प्रकार की सज्ञाओ के रूप दोनो वचनों में एक-से रहते हैं । उदाहरण सहित समझाइये ।

चौदहवाँ प्रकरण

क्रिया-पद

किसी क्रिया की धातु से अनेक क्रिया-पद बनते हैं। उदाहरणार्थ 'खाना' क्रिया की 'खा' धातु से खाता हूँ, खाते हो, खाते हैं, खाती हूँ, खाती हो, खाती हैं, खाते हैं, खाता था, खा रहा था, खायेगा, खायेगी, खायँगे आदि अनेक क्रिया-पद बनते हैं। इसी प्रकार होना, जाना, आना, लेना, देना, करना, मारना आदि क्रियाओं की हो, जा, आ, ले, दे, कर, मार आदि धातुओं से भी अनेक क्रिया-पद बनते हैं। स्वभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि विभिन्न क्रिया-पदों के रूप किन-किन कारणों से बनते हैं। वैयाकरण बतलाते हैं कि पुरुष, लिंग, वचन, वाच्य, काल और अर्थ इन छः कारणों से विभिन्न क्रिया-पद बनते हैं। यहाँ हम इन्हीं कारणों पर क्रमशः विचार करेंगे।

१. पुरुष और क्रिया-पद

जब कोई व्यक्ति अपने लिए 'जाना' क्रिया का प्रयोग करता है, तब वह 'जा' से निम्नलिखित क्रिया-पद बनाता है—मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा; और जब वह अन्य पुरुष के लिए जाना क्रिया का प्रयोग करता है, तब कहता है—तू जाता है, तू गया, तू जायगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न पुरुषों के साथ कुछ क्रिया पद समान रूप से प्रयुक्त होते हैं (जैसे—यहाँ गया क्रिया-पद तीनों एकवचन पुरुषों के साथ समान रूप से प्रयुक्त हुआ है); और कुछ अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न क्रिया-पद भी प्रयुक्त होते हैं। 'तू जाता है' और 'वह भी जाता है' तक तो ठीक है; परंतु 'मैं' के साथ 'जाता हूँ' हो जाता है।

२. लिंग और क्रिया-पद

'राम जाता है' और 'सीता जाती है'; 'मैं (पुरुष) जाता हूँ' और 'मैं (स्त्री) जाती हूँ', तथा 'तू (पुरुष) जाता है' और 'तू (स्त्री)

जाती है' रूप होते हैं। इसी प्रकार मैं (पुं०) गया और मैं (स्त्री०) गई, वह (पुं०) गया और वह (स्त्री०) गई तथा तू (पुं०) गया और तू (स्त्री०) गई होती है। लिंग के संबंध में स्पष्ट है कि मूल धातु से बना हुआ कृदंत आकारांत रूप ईकारांत हो जाता है, और सहायक धातु का जो रूप मूल धातु के कृदंत के साथ मिलकर क्रिया-पद बनाता है, वह वैसा ही रह जाता है। जैसे मैं (पुं०) जाता हूँ और मैं (स्त्री०) जाती हूँ, में 'जा' धातु का 'जाता' आकारांत कृदंत रूप ईकारांत हो गया; पर हूँ ज्यों का त्यों उसी रूप में बना रहा।

जब मूल धातु के साथ सहायक धातु नहीं आती, तब दोनों लिंगों में क्रिया-पद समान रहते हैं। जैसे—

तू (पुरुष) जा।
तू (स्त्री) जा।
मैं (पुरुष) जाऊँ।
मैं (स्त्री) जाऊँ।
वह (पुरुष) जाए या जाय।
वह (स्त्री) जाए या जाय।

३. वचन और क्रिया-पद

वचन की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य देखें—

मैं (पुरुष) जाता हूँ	और	हम (पुरुष) जाते हैं
मैं (स्त्री) जाती हूँ	और	हम (स्त्रियाँ) जाती हैं
लड़का जायगा[1]	और	लड़के जायँगे
लड़की जायगी	और	लड़कियाँ जायँगी

---

१. 'जायगा' का एक और रूप 'जावेगा', और 'जायँगे' का एक और रूप 'जावेंगे' भी प्रयुक्त होता है, परंतु 'जावेगा' और 'जावेंगे' रूपों का प्रयोग अब बहुत कम हो गया है।

तू (पुं०) गया और तुम (लोग) गये या गए[1]
तू (स्त्री) गई या गयी और तुम (स्त्रियाँ) गईं, गयीं

उक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि पुंलिंग एकवचन के कर्त्ता के साथ जो क्रिया-पद आते हैं, उनके बहुवचन रूप होने पर वाक्य के क्रिया-पदों के रूप भी बदल जाते हैं। यही बात स्त्री-लिंग एकवचन कर्त्ता और स्त्री० बहुवचन कर्त्ता के संबंध में भी है। दूसरी बात यह है कि पुंलिंग बहुवचन कर्त्ता के साथ आनेवाले क्रिया-पदों और स्त्रीलिंग बहुवचन कर्त्ता के साथ आनेवाले क्रिया-पदों में भी अंतर होता है। पुंलिंग बहुवचन कर्त्ता के क्रिया-पद के एकारान्त रूप ईकारान्त हो जाते हैं और येकारान्त रूप ईकारान्त हो जाते हैं।

वाच्य और क्रिया-पद

वाच्य का शब्दार्थ है जो कहा जाने को हो अथवा जो कहा गया हो। पर व्याकरण में वाच्य से अभिप्राय क्रिया-पद के उस तत्त्व से होता है जो किसी के संबंध में कुछ कहता है। अधिकतर क्रिया-पद कर्त्ता के संबंध मे ही कुछ कहते हैं, परंतु कुछ क्रिया-पद कर्त्ता के संबंध में कुछ न कह कर कर्म के संबंध में कहते हैं। और कुछ ऐसे क्रिया-पद भी होते हैं जो न तो कर्ता के संबंध में ही कुछ कहते हैं और न कर्म के संबंध में ही, बल्कि किसी क्रिया के भाव के संबंध में कुछ कहते हैं।

राम पुस्तक पढ़ता है
मोहन रोटी खायगा
दरजी कपड़ा सीता है
रमेश सोता है
नारायण रोया आदि।

---

१. गए, गयी, गयी के संबंध मे एक बात ध्यान रखने की यह है कि आज कल इनके गये, गई और गई रूप ही प्रशस्त और शिष्ट—सम्मत माने जाते हैं।

यहाँ क्रिया-पद कर्त्ताओं के संबंध में ही कुछ कह रहे हैं। यदि उक्त क्रिया-पदों के योग से प्रश्न किया जाय—कौन? और प्रश्न का उत्तर मिले तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया-पद कर्त्ता के संबंध में ही कुछ कह रहा है।

पढ़ता है—कौन?—राम,
खायेगा—कौन?—मोहन;
सीता है—कौन?—दरजी;
सोता है—कौन?—रमेश;
रोया—कौन?—नारायण,

उक्त सभी क्रिया-पदों के योग से 'कौन' प्रश्न का उत्तर मिलता है; इस लिए ये सभी क्रिया-पद कर्ता के संबंध में कुछ कहते हैं। ऐसे क्रिया-पदों को कर्तृवाच्य क्रिया-पद कहते हैं।

कर्म के संबंध में कुछ कहनेवाले क्रिया-पदों को कर्मवाच्य क्रिया-पद कहते हैं। जैसे—

पुस्तक राम से पढ़ी जाती है।
मोहन से रोटी खाई जायगी।
दरजी से कपड़ा सीया जाता है।
महेश से पत्र लिखा जाता है।

यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि उक्त वाक्यों के कर्त्ता कर्त्ताकरक में नहीं आये हैं, बल्कि कर्मकारक में आये हैं। और दूसरे यह कि क्रिया-पद कर्त्ता के बारे में कुछ न कहकर कर्म अर्थात् कर्मकारक में आई हुई संज्ञा के संबंध में कुछ कह रहे हैं। यदि क्रिया-पद के योग से 'क्या' प्रश्न किया जाय और उसका उत्तर मिल जाय तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया-पद कर्म के संबंध में कुछ कह रहा है। जैसे—

पढ़ी जाती है—क्या?—पुस्तक;
खाई जायगी—क्या?—रोटी;

सीया जाता है—क्या ?—कपड़ा;
लिखा जाता है—क्या ?—पत्र।

इस प्रकार ये सभी क्रिया-पद कर्मों के संबंध में कुछ कह रहे हैं। ऐसे क्रिया-पद कर्मवाच्य क्रिया पद कहलाते हैं।

अकर्मक क्रियाओं के कर्म नहीं होते, इस लिए अकर्मक क्रिया-पद कर्मवाच्य में नहीं होते।

रामसे सोया जाता है।
कृष्ण से दौड़ा गया।
मुझसे बैठा नहीं गया।
कुलदीप से चढ़ा नहीं जाता।
राजेश से चला नहीं जायगा।

उक्त वाक्यों में क्रिया-पद न कर्त्ता के संबंध में कुछ कहते हैं और न कर्म के संबंध में। क्योंकि इन क्रिया-पदों के योग से न तो 'कौन' का ही उत्तर मिलता है और न 'क्या' का ही। ये केवल क्रिया के कार्य या भाव के संबंध में ही कुछ कह रहे हैं। 'सोया नहीं जाता" में सोने का कार्य नहीं किया जा रहा है। 'दौड़ा गया' अर्थात् दौड़ने की क्रिया संपन्न की गई। 'बैठा नहीं गया' अर्थात् बैठने की क्रिया नहीं हो सकी। 'पढ़ा नहीं जाता' अर्थात् पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता। 'चला नहीं जायगा' से सूचित होता है कि चलने का कार्य या क्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। उक्त क्रिया-पद क्रिया के कार्य या भाव के संबंध में कुछ कहते हैं, इसलिए इन्हें भाववाच्य क्रिया-पद कहते हैं। 'भाववाच्य क्रिया-पद' केवल अकर्मक क्रियाओं के होते हैं।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाच्य के कारण भी क्रिया का रूपांतर हो जाता है। 'दरजी कपड़ा सीता है' और 'दरजी से कपड़ा सीया जाता है' इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय एक ही है परन्तु कहने का ढंग अलग अलग है। परन्तु एक में क्रिया-पद क्रमात् कर्तृवाच्य में है और दूसरे में कर्मवाच्य है। इसी प्रकार 'मैं दौड़ता हूँ' और 'मुझसे

दौड़ा जाता है' वाक्यों का भी अभिप्राय तो एक ही है, परन्तु क्रिया-पद क्रमात् कर्तृवाच्य और भाववाच्य होने के कारण उनके रूपों में अन्तर है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया-पद बनाते समय मुख्य क्रिया के कृदंत रूप (जैसे—सीना और दौड़ना) में परिवर्तन होता है। कुछ अवसरों पर सहायक क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है और साथ में 'जाना' 'पड़ना' 'उठना' आदि क्रियाओं के कृदंत रूपों की भी संयोज्य-क्रिया-पदों के रूप में वृद्धि करनी पड़ती है। 'सीया है' का रूप 'सीया जाता है' हो जाता है और 'दौड़ता है' का रूप 'दौड़ा जाता है' हो जाता है।

सकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्रिया-पद बनते हैं और अकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और भाववाच्य क्रिया-पद बनते हैं।

५. काल और क्रिया-पद

क्रिया-पद के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। हिन्दी और प्रायः सभी भाषाओं या उनके व्याकरणों में काल के मुख्य तीन भेद होते हैं :—

१. वर्तमान काल
२. भूत काल
३. भविष्यत् काल।

वर्तमान काल से अभिप्राय क्रिया-पद के उस रूप से होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई स्थिति इस समय विद्यमान है अथवा कोई कार्य इस समय हो रहा है। जैसे—(क) पेड़ में फल लगे हैं। (ख) राम रोटी खा रहा है। (क) वाक्य में क्रिया-पद साधारण रूप से वर्तमान स्थिति का सूचक है और (ख) वाक्य से सूचित होता है कि कार्य अभी चल या हो रहा है। भूतकाल से अभिप्राय क्रिया-पद के उस रूप से होता है जिससे बीते हुए समय में किसी घटना, बात या स्थिति का होना या होते रहना सूचित होता है। जैसे—'दिल्ली में रेल दुर्घटना हुई।' 'वहाँ भाषण हुआ।' 'मकान

बनाया गया।' 'कारखाना बन रहा था' आदि वाक्यों में क्रिया-पद भूतकालिक हैं। जब क्रिया-पद आनेवाले समय में किसी घटना या बात का होना सूचित करता है, तब वह भविष्यत् कालिक होता है; और उसके द्वारा सूचित होनेवाला समय भविष्यत् काल कहलाता है। जैसे—'राम जायगा'; 'मोहन पढ़ेगा'; 'दिन निकलेगा' आदि।

कालों के उप-भेद—

तीनों कालों के तीन तीन उप-भेद भी किये गये हैं—सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान; सामान्य भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत तथा सामान्य भविष्यत्, पूर्ण भविष्यत् और अपूर्ण भविष्यत्। व्यावहारिक क्षेत्र में इनके रूप इस प्रकार होते हैं—

काल	सामान्य	पूर्ण	अपूर्ण
वर्तमान	राम जाता है	राम गया है	राम जा रहा है
भूत	राम गया	राम गया था	राम जाता था
भविष्यत्	राम जायगा	राम जा चुकेगा	राम जाता होगा

सामान्य वर्तमान से सूचित होता है कि (क) कार्य आदि का आरम्भ बोलने के समय हो रहा है; जैसे—पत्र भेजा जाता है, (ख) कोई कार्य स्वाभाविक रूप से प्रायः या सदा हुआ करता है; जैसे—गाड़ियाँ आती हैं, आँधियाँ चलती हैं, बच्चे खेलते हैं, और (ग) कोई कार्य सदा नियमित अथवा सत्य रूप से होता है; जैसे—चार और चार आठ होते हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, पक्षी उड़ते हैं आदि। पूर्ण वर्तमान काल से सूचित होता है कि जो काम भूत काल में आरम्भ किया गया था, वह वर्तमान काल में समाप्त हुआ है। जैसे—लड़का गया है, आदमी आया है, राम ने रोटी खाई है आदि। पूर्ण वर्तमान को आसन्न भूतकाल कहना अधिक उपयुक्त है; क्योंकि यह भूत काल का अभी अभी बीतना सूचित करता है। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य का क्रम चल रहा होता है। जैसे—पानी बरस रहा है, खाना बनाया जा रहा है, युद्ध हो रहा है आदि।

सामान्य भूतकाल से सूचित होता है कि कार्य बोलने से पहले समाप्त हो चुका है। जैसे—राम गया, गाड़ी आई, पत्र मिला, पुस्तक छपी आदि। पूर्ण भूत से सूचित होता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे—राम पटने गया था, भारत का विभाजन हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था आदि। अपूर्ण भूत से ज्ञात होता है कि भूत काल में काम हो रहा था। जैसे—राम जाता था, घर बनता था, नौकर उनके घर पर रहता था आदि।

सामान्य भविष्यत् काल से सूचित होता है कि कार्य आरंभ होनेवाला है या होने को है। जैसे—राम जायगा, पत्र आवेगा, घर बनेगा, शहर बसेगा आदि। पूर्ण भविष्यत् से सूचित होता है कि आनेवाले समय में काम हो चुकेगा। जैसे—मैं खा चुकूँगा, धन नष्ट हो चुकेगा, लोग भूखों मर चुके होंगे आदि। अपूर्ण भविष्यत् काल से सूचित होता है कि कार्य हो रहा होगा या उसका क्रम चलता रहेगा। जैसे—गरमी पड़ती रहेगी, घड़ी चलती रहेगी आदि।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न कालों को सूचित करने के लिए क्रिया से भिन्न-भिन्न क्रिया-पद ही नहीं बनाये जाते, बल्कि उनके उप-भेद सूचित करने के लिए उनके कई-कई रूप भी बनाने पड़ते हैं।

६. अर्थ और क्रिया-पद

व्याकरण में अर्थ से अभिप्राय क्रिया-पद के उस तत्त्व से होता है जिससे यह जाना जाता है कि कर्त्ता की स्वाभाविक धारणा क्या है। अर्थात् अर्थ कर्त्ता की वृत्ति बतलाते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कभी क्रिया-पद से वक्ता का निश्चय सूचित होता है, कभी संदेह और कभी संभावना। 'राम काम करता है', 'राम सच बोलता है', 'राम गाड़ी चलाता है' वाक्यों से वक्ता का निश्चित मत सूचित होता है। यहाँ वक्ता को राम द्वारा उक्त क्रियाएँ करने में कोई सन्देह नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है। परन्तु, 'राम काम करता होगा', 'राम सच बोलता होगा' या 'राम गाड़ी चलाता होगा' वाक्यों में वक्ता राम के निश्चित

रूप से उक्त क्रियाएँ करने के सबंध में कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि उसके कहने के प्रकार से यह पता चलता है कि उसे अनिश्चय या सन्देह है कि वह ऐसा करता भी हो या न भी करता हो। कभी-कभी क्रिया-पद से केवल संभावना सूचित होती है। जैसे—पानी बरसेगा। 'राम पढ़े', 'राम काम करे', 'राम दिल्ली जाय' आदि। वाक्यों में वक्ता न तो राम के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक ही कह रहा है और न उसके संबंध में सन्देह ही प्रकट कर रहा है। वह तो यहाँ आशा या संभावना मात्र व्यक्त कर रहा है।

जब क्रिया-पद से निश्चय सूचित होता है, तब उसे निश्चयार्थ कहते हैं, जब संदेह सूचित होता है, तब उसे संदेहार्थ कहते हैं, और जब संभावना (आशा, अनुमान या इच्छा,) सूचित होती है, तब उसे संभावनार्थ कहते हैं। इन तीन अर्थों के अतिरिक्त दो अर्थ और भी होते हैं, जिन्हें आज्ञार्थ और संकेतार्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा या विधान, उपदेश या प्रार्थना सूचित होती है, उसे आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे—तुम घर जाओ, सच बोलो, भिक्षा दें। उक्त तीनों वाक्यों से क्रमात् आज्ञा या विधान, उपदेश और प्रार्थना सूचित होती है, इस लिए यहाँ तीनों क्रिया-पद आज्ञार्थ हैं। जब क्रिया-पद से किसी क्रिया के होने में कोई शर्त लगी रहती है या जब दो घटनाओं की असिद्धि सूचित होती है, तब उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे—राम आता तो उसे पुरस्कार मिलता। यहाँ 'आता' क्रिया-पद में आने की शर्त लगी है इस लिए यह संकेतार्थ हुआ। इसी प्रकार 'तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे।' में भी 'करोगे' क्रिया-पद संकेतार्थ ही है। क्योंकि उसमें परिश्रम करने की शर्त लगी है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वक्ता को विभिन्न अर्थों का बोध कराने के लिए विभिन्न क्रिया-पद बनाने पड़ते हैं।

इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई वाक्य बोलते या लिखते समय उसमें जिस क्रिया-पद को स्थान दिया जाय, वह पुरुष

लिंग, वचन, वाच्य, काल और अर्थ इन सभी दृष्टियों से ठीक हो। अगले प्रकरण में क्रिया-पदों की रचना पर विचार किया जायगा, जहाँ इस सम्बन्ध की कुछ और बातें बतलाई जायँगी।

अभ्यास

१. क्रिया-पद बनानेवाले कितने कारण हैं? उनका उदाहरण सहित निर्देश करें।

२. वाच्य किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण मे वाच्यो के भेदो पर टिप्पणी लिखिए।

३. अर्थ किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण सहित बतलावें।

४. काल किसे कहते हैं? उसके भेदों और उपभेदो के नाम बतलाइए।

पन्द्रहवाँ प्रकरण

क्रिया-पदों की रचना

धातुओं में प्रत्यय जोड़कर और कुछ अवस्थाओं में प्रत्यय जोड़ने के अतिरिक्त सहायक धातु के सहयोग से भी क्रिया-पद बनाये जाते हैं। जैसे—

(क) मोहन सोया।
(ख) कृष्ण चले।
(ग) मोहन सोता है।
(घ) कृष्ण चलता है।

(क) और (ख) वाक्यों में क्रमात् सो और चल धातुओं में प्रत्यय जोड़कर 'सोया' और 'चले' क्रिया-पद बनाये गये हैं; और (ग) तथा (घ) वाक्यों में क्रमात् उक्त धातुओं में प्रत्यय और सहायक धातु (है) लगाकर 'सोता है' और 'चलता है' क्रिया-पद बनाये गये हैं। हूं, हो, है, था, थी, थे, थीं, गा, गी और गे ये सभी एक 'ह' धातु के ही बने हुए क्रिया-पद हैं जो स्वतन्त्ररूप से भी प्रयुक्त होते हैं और अन्य धातुओं के प्रत्यय-युक्त रूपों के साथ सहायक रूप में भी लगाये जाते हैं। जैसे—

मैं हूँ	मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ
तुम हो	तुम खाते हो, तुम खाती हो
वह है	वह खाता है, वह खाती है
मैं, तू या वह था	मैं, तू या वह खाता था, मैं, तू और वह खाते थे
मैं, तू या वह थी	मैं, तू या वह खाती थी, मैं, तू और वह खाती थीं
हम, तुम या वे थे	हम, तुम या वे खाते थे
हम, तुम या वे थीं	हम, तुम या वे खाती थीं

वह खाएगा
वह खाएगी
वे खाएँगे
वे खाएँगी

गा, गी और गे क्रिया-पद स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते; सदा सहायक धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 'राम गा' यहाँ गा क्रिया-पद 'गा' धातु का प्रत्ययलुप्त हो जाने पर बना हुआ क्रिया पद है। 'गा' मूल क्रिया-पद और 'गा' सहायक क्रिया-पद के रूप के अन्तर का सदा ध्यान रखना चाहिए। 'राम तू (गीत) गा।' में 'गा' मूल क्रिया-पद है; और 'राम जायगा।' में 'गा' सहायक क्रिया-पद है। ऐसा ही भ्रम 'हो' क्रिया-पदके सम्बन्ध में भी हो सकता है। 'हो' धातु भी है, जिससे होता है, होते हो, होता था आदि रूप बनते हैं; और यही धातु कभी कभी प्रत्यय लुप्त हो जाने पर या प्रत्यय न लगाने पर अपने सामान्य रूप में भी प्रयुक्त होती है। जैसे—बातचीत हो, बोध हो, विचार हो आदि। 'ह' धातु से बना हुआ 'हो' क्रिया-पद मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ आता है, और 'हो' धातु का 'हो' क्रिया-पद अन्य पुरुष के साथ आता है; यह सूक्ष्म अन्तर सदा ध्यान में रखना चाहिए। 'ह' धातु का 'हो' सदा निश्चयात्मक होता है; और 'हो' धातु का 'हो' अनिश्चयात्मक होता है। 'तुम हो' और 'तुम जाते हो' इन दोनों वाक्यों में 'हो' निश्चयात्मक है। परन्तु 'वर्षा हो' और 'विचार हो' में 'हो' अनिश्चयात्मक है; क्योंकि कौन जाने वर्षा या विचार हो, या न भी हो।

धातुओं में लगाये जानेवाले प्रत्यय

धातुओं में लगाये जानेवाले प्रत्ययों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक वर्ग वह है जिसमें स्वरांत व्यंजन प्रत्यय होते हैं; और दूसरा वर्ग वह है जिसमें स्वर प्रत्यय होते हैं। नीचे के उदाहरण देखें—

धातु स्वरांत व्यंजन प्रत्यय	धातु स्वर प्रत्यय
खा + ता	खा + ए = खाए
खा + ती	पढ़ + ए = पढ़े

खा + ते	पढ़ + ए = पढ़े
खा + या	खा + एँ = खाएँ = खायँ
खा + यी = खाई[1]	पढ़ + एँ = पढ़ें
खा + ये = खाए[1]	पड़ + एँ = पड़ें
	जा + ओ = जाओ
	जा + ऊँ = जाऊँ

उक्त दोनों प्रकारों के प्रत्ययों के संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वक्ता द्वारा क्रिया का निश्चय जतलाना अभीष्ट होता है, तब धातुओं में स्वरांत व्यंजन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और जब वक्ता के कथन से निश्चय न सूचित होता हो, तब स्वर प्रत्यय लगते हैं। जैसे—

राम जाता है।
राम गया।
राम जायेगा (जाएगा)। } निश्चयात्मक रूप

उक्त वाक्यों में वक्ता राम के संबंध में निश्चयपूर्वक कह रहा है। यहाँ राम के जाने में कोई संदेह नहीं उठता। परन्तु जब वक्ता कहता है—

राम जाए (या जाय)।
तुम जाओ !
मैं जाऊँ ? } अनिश्चयात्मक रूप

तब उक्त क्रिया-पदों से आज्ञा, इच्छा या सम्भावना सूचित होती है, परन्तु निश्चय नहीं सूचित होता। क्योंकि किसी की इच्छा या आज्ञा का पालन करना या न करना दूसरे के मन की बात है। वह उसका पालन कर भी सकता है और नहीं भी। यदि राम से कहा

१. खायी, खाये आदि मे यकार का ठीक और पूरा उच्चारण न होने के कारण उनके खाई, खाए आदि रूप व हो जाते हैं। यहाँ ई और ए प्रत्यय नहीं बल्कि यी और ये प्रत्यय ही माने जाने चाहिएँ।

जाय—'तुम जाओ।' तो हो सकता है कि वह चला जाय और यह भी हो सकता है कि वह न भी जाय। स्पष्ट है कि यहाँ निश्चय का अभाव है। कुछ और उदाहरण लीजिए—

राम पढ़े।
राम सौ वर्ष जिए।
मैं बड़ा होऊँ।
मैं अध्ययन करूँ।
हम पुनः जनमें।

यह आवश्यक नहीं है कि राम हमारे कहने से पढ़ने ही लग जाय या सौ वर्ष तक जीता ही रहे। हमारी आकांक्षा तो उसके बड़े होने या स्वयं अध्ययन करने की अवश्य है; परन्तु न जाने भविष्य में ऐसा हो या न भी हो। हमारी इच्छा है कि हम पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आयें, परन्तु हो सकता कि हमारी मुक्ति हो जाय और हम जन्म-मरण के बंधन से छूट जायँ और फिर जन्म न लें।

स्वरांत व्यंजन प्रत्यय

हिन्दी में त और य ये दो मुख्य स्वरांत व्यंजन प्रत्यय हैं जो धातुओं में लगाये जाते हैं। यदि क्रिया का कर्त्ता पुंलिंग एक वचन हो तो इनके रूप आकारांत हो जाते हैं और यदि कर्त्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो तो ये ईकारांत हो जाते हैं। यदि कर्त्ता पुंलिंग बहुवचन हो तो इनके रूप एकारांत हो जाते हैं, और यदि कर्त्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हो, तो इनके रूप ईंकारांत हो जाते हैं। जैसे—

	त प्रत्यय	य प्रत्यय
पुं० एकवचन	राम जाता है	राम गया
स्त्री० ,,	सीता जाती है	सीता गयी, गई*
पुं० बहुवचन	लड़के जाते हैं	लड़के गये
स्त्री० ,,	लड़कियाँ जाती हैं	लड़कियाँ गयीं, गईं*

* य का ठीक और पूरा उच्चारण न होने के कारण वह लुप्त हो जाता है।

त सामान्य प्रत्यय है। इसके साथ 'ह' सहायक धातु के हूँ, हो, है और हैं रूप आते हैं तब क्रिया-पद सामान्य वर्तमानकालिक होते हैं। जैसे—

		एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह जाता है	वे जाते हैं
,, ,,	स्त्री०	वह जाती है	वे जाती हैं
मध्यम पुरुष	पुं०	तू जाता है	तुम जाते हो
,, ,,	स्त्री०	तू जाती है	तुम जाती हो
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं जाता हूँ	हम जाते हैं
,, ,,	स्त्री०	मैं जाती हूँ	हम जाती हैं

जब त प्रत्यय के साथ 'ह' धातु के था, थी, थे और थीं रूप सहायक क्रिया-पद के रूप में लगते हैं, तब क्रिया-पद अपूर्ण भूतकालिक हो जाते हैं। जैसे—

		एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह जाता था	वे जाते थे
,, ,,	स्त्री०	वह जाती थी	वे जाती थीं
मध्यम पुरुष	पुं०	तू जाता था	तुम जाते थे
,, ,,	स्त्री०	तू जाती थी	तुम जाती थी
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं जाता था	हम जाते थे
,, ,,	स्त्री०	मैं जाती थी	हम जाती थीं

अपूर्ण भूतकालिक क्रिया-पदों का एक और रूप भी होता है जिसका उल्लेख हम इसी प्रकरण में आगे चल कर करेंगे।

त प्रत्यय के साथ जब 'ह' धातु के गा, गी, गे रूप प्रयुक्त होते हैं, तब अपूर्ण भविष्यत्कालिक क्रिया-पद बन जाता है। यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए। वह यह कि प्रत्यययुक्त धातु और सहायक धातु के बीच में 'रह' प्रत्यय भी लगता है। इसका एकवचन पुंलिंग और एकवचन स्त्रीलिंग कर्त्ता होने पर एकारांत रूप (अर्थात् रहे) होता है। बहुवचन पुंलिंग और बहुवचन स्त्रीलिंग कर्त्ता होने पर इसका रूप

एँकारांत (अर्थात् रहें) हो जाता है। उत्तम पुरुष एकवचन (पुंलिंग या स्त्रीलिंग) कर्त्ता होने पर इसका रूप ऊँकारांत (अर्थात् रहूँ) होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन पुंलिंग और स्त्री० कर्त्ताओं के साथ इसका रूप ओकारांत (अर्थात् रहो) हो जाता है। ये अपवाद हैं। इनके उदाहरण देखें।

		एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह चलता रहेगा	वे चलते रहेंगे
,, ,,	स्त्री०	वह चलती रहेगी	वे चलती रहेंगी
मध्यम पुरुष	पुं०	तू चलता रहेगा	तुम चलते रहोगे
,, ,,	स्त्री०	तू चलती रहेगी	तुम चलती रहोगी
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं चलता रहूँगा	हम चलते रहेंगे
,, ,,	स्त्री०	मैं चलती रहूँगी	हम चलती रहेंगी

हम ऊपर कह आये हैं कि अपूर्ण भविष्यत् कालिक क्रिया-पदों में 'रह' भी जोड़ा जाता है। 'रह' प्रत्यय अपूर्णता का द्योतक है; इसी लिए यह अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद बनाने में भी प्रयुक्त होता है। जैसे—

अपूर्ण वर्तमान-कालिक क्रियापद

एक-वचन	बहुवचन
वह जा रहा है	वे जा रहे हैं
वह जा रही है	वे जा रही हैं
तू जा रहा है	तुम जा रहे हो
तू जा रही है	तुम जा रही हो
मैं जा रहा हूँ	हम जा रहे हैं
मैं जा रही हूँ	हम जा रही हैं

यहाँ ध्यान में रखने की बात यही है कि सामान्य वर्तमान-कालिक क्रिया-पद में जो 'त' प्रत्यय लगाया गया था, वह न लगाकर 'रह' प्रत्यय लगाया गया है। 'रह' यहाँ अपने सामान्य नियम के अनुसार

आकारांत, ईकारांत और एकारांत होता है। अर्थात् पुंलिंग एकवचन कर्त्ता के साथ आकारांत, स्त्रीलिंग एकवचन के साथ ईकारांत, पुंलिग बहुवचन के साथ एकारांत और स्त्रीलिंग बहुवचन के साथ ईकारांत हो जाता है। 'ह' धातु के बने हुए हूँ, हो, है, हैं के स्थान पर उसके था, थे और थी रूप लगा दिये जाने पर अपूर्ण भूतकालिक क्रिया पद बनते हैं। 'रह' के रूप ठीक वही रहते हैं, जो अपूर्ण वर्तमान-कालिक क्रिया-पदों में होते हैं। जैसे—

अपूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद

		एकवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह जा रहा था	वे जा रहे थे
,, ,,	स्त्री०	वह जा रही थी	वे जा रही थीं
मध्यम पुरुष	पुं०	तू जा रहा था	तुम जा रहे थे
,, ,,	स्त्री०	तू जा रही थी	तुम जा रही थीं
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं जा रहा था	हम जा रहे थे
,, ,,	स्त्री०	मैं जा रही थी	हम जा रही थीं

सामान्य भूतकाल में य प्रत्यय लगता है। पुंलिंग एक वचन में यह आकारांत और पुंलिग बहुवचन में एकारांत हो जाता है, तथा स्त्रीलिंग एकवचन में ईकारांत और बहुवचन में ईंकारांत हो जाता है। इसमें सहायक धातु नहीं लगती। जैसे—

		एकवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह गया	वे गये
,, ,,	स्त्री०	वह गयी, गई*	वे गयीं, गईं*
मध्यम पुरुष	पुं०	तू गया	तुम गये
,, ,,	स्त्री०	तू गयी, गई*	तुम गयीं, गईं*

* जैसा कि पहले कहा जा चुका है, य का ठीक और पूरा उच्चारण न हो सकने के कारण उसका लोप हो जाता है; और गयी का गई तथा गयीं का गईं रूप हो जाता है।

उत्तम पुरुष	पुं०	मैं गया	हम गये
” ”	स्त्री०	मैं गयी, गई	हम गयीं, गईं

सामान्य भूतकालिक क्रिया-पदों में 'ह' धातु के हूँ, हो, है और हैं सहायक क्रिया-पद जोड़ देने पर क्रिया-पद आसन्न भूतकालिक अर्थात् पूर्ण वर्तमान कालिक हो जाते हैं और था, थी, थे और थीं सहायक क्रिया-पद जोड़ देने पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद बन जाता है। हूँ, हो, है वर्तमान-कालिक सहायक क्रिया-पद हैं। इसलिए सामान्य भूतकाल में क्रिया-पदों में इनके लगाये जाने पर उनका आसन्न या समीपस्थ वर्तमान-कालिक हो जाना स्वाभाविक ही है। था, थी, थे, और थीं भूतकालिक सहायक क्रिया-पद हैं, सामान्य भूतकालिक क्रिया-पदों में इनके लगाये जाने पर उनका पूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद होना भी स्वाभाविक है।

आसन्न भूतकालिक क्रिया-पद

		एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह आया है	वे आये हैं
” ”	स्त्री०	वह आई है	वे आई हैं
मध्यम पुरुष	पुं०	तू आया है	तुम आये हो
” ”	स्त्री०	तू आई है	तुम आई हो
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं आया हूँ	हम आये हैं
” ”	स्त्री०	मैं आई हूँ	हम आई हैं

पूर्ण भूत-कालिक क्रिया-पद

		एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पुं०	वह आया था	वे आये थे
” ”	स्त्री०	वह आई थी	वे आई थीं
मध्यम पुरुष	पुं०	तू आया था	तुम आये थे
” ”	स्त्री०	तू आई थी	तुम आई थी
उत्तम पुरुष	पुं०	मैं आया था	हम आये थे
” ”	स्त्री०	मै आई थी	हम आई थीं

हमने अब तक कर्त्ता का निश्चय सूचित करनेवाले तीनों कालो में, दोनों लिंगों में और तीनो वचनों में बननेवाले अधिकतर रूपों की रचना के सिद्धांत बतलाये हैं। अब हम ऐसे क्रिया-पदों की रचना के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिनसे वक्ता का अनिश्चय सूचित होता है।

भविष्यत् सदा अनिश्चित तथा संदिग्ध होता है; इसलिए भविष्यत्-काल के सूचक क्रिया-पदों में स्वर प्रत्यय लगते हैं। सामान्य भविष्यत्-काल के इन क्रिया-पदों पर ध्यान दीजिए—

	एक-वचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष पुं०	वह जाएगा (जायगा)	वे जाएँगे (जायँगे)
„ „ स्त्री०	वह जाएगी (जायगी)	वे जाएँगी (जायँगी)
मध्यम „ पुं०	तू जाएगा (जायगा)	तुम जाओगे
„ „ स्त्री०	तू जाएगी (जायगी)	तुम जाओगी
उत्तम „ पुं०	मै जाऊँगा	हम जाएँगे (जायँगे)
„ „ स्त्री०	मैं जाऊँगी	हम जाएँगी (जायँगी)

सामान्य भविष्यत् काल में धातुओं में अनिश्चय सूचक स्वर प्रत्ययों के अतिरिक्त 'ह' धातु के जो गा, गे और गी सहायक क्रिया-पद जोड़े गये हैं, वे भी वस्तुतः निश्चय सूचक ही हैं। अनिश्चित भविष्यत् में भी वक्ता का दृढ़ निश्चय या पूर्ण सम्भावना जतलाने के उद्देश्य से ही उक्त सहायक क्रिया-पद लगाये जाते हैं। उक्त निश्चय सूचक सहायक क्रिया-पदों के रूप तो उसी प्रकार चलते हैं जैसे कि हम ऊपर बतला चुके हैं; अर्थात् पुंलिंग एक-वचन रूप आकारांत, स्त्रीलिंग एक-वचन रूप ईकारांत, पुंलिंग बहुवचन रूप एकारांत और स्त्रीलिंग बहुवचन रूप ईकारांत होता है। यहाँ धातुओं में जो स्वर प्रत्यय ए लगा है, उसका बहुवचन रूप एँ होता है। एक-वचन उत्तम पुरुष में ए का ऊँ हो जाता है; और बहुवचन मध्यम पुरुष में एँ का ओ हो जाता है। जब धातु अकारांत होती है, तब उसमें उक्त प्रत्यय अलग से नहीं जोड़े जाते; बल्कि वे धातु के अन्तिम 'अ' का स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

जैसे—

वह पढ़ेगा	वे पढ़ेंगे
वह पढेगी	वे पढेंगी
तू पढ़ेगा	तुम पढ़ोगे
तू पढ़ेगी	तुम पढ़ोगी
मैं पढ़ूँगा	हम पढ़ेंगे
मैं पढ़ूँगी	हम पढ़ेंगी

दे, ले आदि एकारांत धातुओं में ए प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता। एक वचन में धातु अपने सामान्य रूप में चलती है और बहुवचन में इसमें केवल अनुस्वार की वृद्धि की जाती है। उत्तम पुरुष एकवचन में तथा मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु के ए को ही प्रत्यय मानकर उसके स्थान पर ऊँ और ओ कर दिया जाता है। इस प्रकार दे, " दूँगा और दूँगी तथा दोगे और दोगी क्रिया-पद बनते हैं।

'हो' धातु भी उक्त दे और ले धातुओं के वर्ग में ही आती है। अन्तर इतना ही है कि उत्तम पुरुष एक-वचन में तथा मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु में क्रमात् ऊँ, और ओ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब कि दे और ले धातुओं के एकार ही ऊँकार और ओकार हो जाते हैं। इस प्रकार 'हो' धातु के क्रिया-पदों के रूप होऊँगा और होऊँगी तथा होओगे और होओगी होंगे। ईकारांत धातुओं में ए प्रत्यय लगाने पर वे इकारांत हो जाती हैं—पीना से पिएगा, जीना से जिएगा आदि। इस काल में ए के स्थान पर आनेवाले अन्य स्वर प्रत्ययों के साथ धातु का रूप यथावत् रहता है। जैसे—पीऊँगा, जीओगे आदि।

उक्त सामान्य भविष्यत् काल के क्रिया-पदों में सहायक क्रिया-पद गा, गे और गी हटा देने पर शेष रूप भी अपने-अपने लिंगों और वचनों के साथ आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना, विधि, शाप, शुभ कामना आदि प्रसंगों में भविष्यत् काल में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल मध्यम पुरुष एकवचन में धातु में जोड़े गये ए प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे—

	एक-वचन	बहुवचन	
प्रथम पुरुष दोनों लिंग	वह पढ़े वह जिए	वे पढ़ें वे जिएँ	विधि, शाप, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि प्रसंगों में
मध्यम पुरुष दोनों लिंग	तू पढ़ तू जी	तुम पढ़ो तुम जीओ	आज्ञा देने में
उत्तम पुरुष दोनों लिंग	मै पढ़ूँ मै जीऊँ	हम पढ़ें हम जिएँ	आज्ञा माँगने आदि में

जब तू के स्थान पर आप, सरकार, श्रीमान् आदि आदरार्थक शब्द आते हैं, तब धातु में 'इए' प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—

मध्यम पुरुष एक-वचन	मध्यम पुरुष आदरार्थक बहुवचन
तू जा	आप जाइए
तू बैठ	श्रीमान् बैठिए
तू खा	सरकार खाइए
तू ला	महाराज लाइए आदि, आदि।

उक्त मध्यम पुरुष आदरार्थक क्रिया-पदों में सहायक क्रिया 'गा' लगाकर दूरस्थ भविष्यत् प्रार्थना सूचित की जाती है। जैसे—

आप जाइएगा।
आप बैठिएगा।
सरकार खाइएगा।

आदि।

उक्त रूप प्रश्नात्मक भी हो सकते है। जैसे—खाना खाइएगा? ले आऊँ? आदि।

अभ्यास

१. धातुओं मे जोड़े जानेवाले प्रत्ययो के प्रकार और रूप बतलाइए।

'पढ' तथा 'चल' धातुओ में प्रत्यय और यदि आवश्यक हो तो सहायक क्रिया-पद जोड़कर सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्यत् काल मे विभिन्न पुरुषो के एकवचन तथा बहुवचन पुंलिग कर्ताओ के लिए क्रिया-पद बनाइए।

खा तथा पी धातुओ के विभिन्न पुरुषों के स्त्रीलिंग एक-वचन तथा बहुवचन कर्त्ताओ के लिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत ओर अपूर्ण भविष्यत् के क्रिया-पद बनाइए।

सोलहवाँ प्रकरण

वाक्य-विचार

वाक्य और उनके अंग

जिस पद या पदों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाय, या जिससे कोई विचार प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि एक विशिष्ट व्यक्ति है जो एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है। जब किसी से कहा जाता है—'उठो'। तो यह 'उठो' भी एक वाक्य है, क्योंकि इस एक शब्द से भी वक्ता का पूर्ण अभिप्राय समझ में आ जाता है। उठो वस्तुतः 'तुम उठो' वाक्य में का कर्त्ता 'तुम' का लोप हो जाने पर शेष रहनेवाला रूप है। साधारणतया वाक्य में दो पद अवश्य होते हैं। जैसे—कुत्ता आया, शत्रु भागा, पुस्तक मिली, मोहन बोला आदि। जिस वाक्य में कम से कम दो पद होंगे, उनमें से एक ऐसा पद अवश्य होगा, जिसके विषय में कुछ कहा गया है, और दूसरा पद ऐसा होगा, जिसके द्वारा उक्त पद (जिसके विषय में कुछ कहा गया है।) के संबंध में कुछ बतलाया गया होगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे वाक्य-विचार के प्रसंग में 'उद्देश्य' कहते हैं, और जिसके द्वारा उक्त विषय प्रतिपादित या संपन्न होता है, उसे 'विधेय' कहते हैं। जैसे—

उद्देश्य	विधेय
राम	उठा
कुत्ता	आया
शत्रु	भागा
मोहन	गया

यहाँ राम, कुत्ता, शत्रु और मोहन के संबंध में कुछ कहा गया है;

इसलिए ये उद्देश्य हुए; और उठा, आया, भागा और गया के द्वारा क्रमात् उद्देश्यों के संबंध में कुछ कहा गया है; इसलिए ये विधेय हुए।

वाक्य में चाहे कितने ही पद क्यों न हों, वे या तो उद्देश्य के अर्थ का विस्तार करनेवाले होंगे या विधेय के अर्थ का विस्तार करनेवाले। जैसे—

वाक्य	उद्देश्य	विधेय	विस्तारक
राम जल्दी उठा	राम	उठा	'जल्दी' पद यहाँ 'उठा' विधेय का अर्थ-विस्तार करता है।
काला कुत्ता आया	कुत्ता	आया	'काला' यहाँ कुत्ता उद्देश्य का अर्थ-विस्तार करता है।
मेरा शत्रु भागा	शत्रु	भागा	'मेरा' यहाँ 'शत्रु' उद्देश्य का अर्थ-विस्तार करता है।
मोहन ने कृष्ण को मारा	मोहन ने	मारा	'कृष्ण को' यहाँ 'मारा' विधेय का अर्थ-विस्तारक है।
मोहन का भाई, श्याम घर गया	श्याम	गया	यहाँ 'मोहन' का भाई, श्याम का अर्थ-विस्तारक है और 'घर' अर्थ-विस्तारक है 'गया' का।

उद्देश्य के अर्थ-विस्तारक को उद्देश्य-वर्धक और विधेय के अर्थ-विस्तारक को विधेय-वर्धक कहते हैं। पद-परिचय देते समय यह भी बतलाना पड़ता है कि अमुक पद उद्देश्य है या विधेय; अथवा उद्देश्य-वर्धक है या विधेयवर्धक।

वाक्यों के प्रकार

रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के और अर्थ की दृष्टि से आठ प्रकार के माने गये हैं। रचना की दृष्टि से निम्न प्रकार के वाक्य होते हैं:—

१. सरल या सामान्य वाक्य

२. मिश्र वाक्य और
३. संयुक्त वाक्य।

सरल या सामान्य वाक्य में एक ही विधेय रहता है, एक से अधिक विधेय नहीं होते; हाँ उद्देश्य एक या अनेक हो सकते हैं। जैसे—(क) मोहन आया। और (ख) राम, सीता और लक्ष्मण गये।। उक्त दोनों वाक्यों में एक ही एक विधेय हैं; परन्तु (क) वाक्य में एक उद्देश्य और (ख) वाक्य में तीन उद्देश्य हैं। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो दो या कई उपवाक्यों अर्थात् छोटे वाक्यों के मेल से बने होते हैं। इनमें एक से अधिक विधेय रहते हैं, दोनों में अन्तर यही है कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य उस प्रधान वाक्य के अधीन होते हैं। परन्तु संयुक्त वाक्य में जितने वाक्य होते हैं वे एक दूसरे के अधीन नहीं होते। (क) उसने कहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। (ख) वह बैठकर सुस्ताया, लेटा और सो गया। (क) वाक्य में 'उसने कहा था' मुख्य वाक्य है, और 'मैं कल दिल्ली जाऊँगा' पूर्णतया मुख्य वाक्य के अधीन है, इसलिये यह मिश्र वाक्य हुआ। परन्तु (ख) वाक्य तीन स्वतन्त्र वाक्यों का समूह है। यहाँ 'बैठ कर सुस्ताना', 'लेटना' और 'सो जाना' पद एक दूसरे के अधीन नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग बातों या विधेयों के सूचक हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है।

अर्थ के विचार से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं—

१. विधानार्थक वाक्य
२. निषेधार्थक वाक्य
३. आज्ञार्थक वाक्य
४. प्रश्नार्थक वाक्य
५. विस्मयादिबोधक वाक्य
६. इच्छार्थक वाक्य
७. संदेहार्थक वाक्य और
८. संकेतार्थक वाक्य

जिस वाक्य में किसी काम, चीज या बात का विधान किया गया हो अर्थात् जिस वाक्य से किसी क्रिया का होना सूचित होता हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। 'पानी बरस रहा है', 'आँधी आई', 'मैंने रोटी खाई' आदि विधानार्थक वाक्य हैं; जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य का निषेध किया जाता या होता है, वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे—(क) वह नहीं जा सकता, (ख) पानी नहीं बरसा था, (ग) तुम मत बोलो आदि। जिस वाक्य के द्वारा किसी को कोई आज्ञा, आदेश या उपदेश दिया जाता है अथवा प्रार्थना आदि की जाती है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे—(क) तुम बाहर निकल जाओ। (ख) झूठ नहीं बोलना चाहिये। (ग) भगवन्! मुझे क्षमा कर दो। प्रश्नार्थक वाक्य में किसी से कोई बात पूछी जाती है। जैसे—(क) तुम कहाँ गये थे? (ख) क्या आज छुट्टी है? (ग) क्या सचमुच जहाज डूब गया! आदि। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, दुःख आदि मनोभाव प्रकट किये जाते हैं उन्हें विस्मयादि-बोधक कहते हैं। जैसे—(क) अहा! कैसे सुहावने बादल हैं। (ख) ओह! वह भी चोर निकला! (ग) हाय! हम लुट गये! आदि। इच्छाबोधक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें इच्छा प्रकट की गई हो अथवा आशीर्वाद आदि दिया गया हो। जैसे—चलो, सैर करने चलें। (ख) भगवान् तुम्हें यशस्वी करे, आदि। संदेहार्थक वाक्य ऐसे वाक्य को कहते हैं, जिससे संदेह, शंका, संभावना आदि सूचित होती हो। जैसे—(क) शायद पिताजी आ जायँ। (ख) हो सकता है कि वह न जाय। (ग) आज वर्षा हो सकती है, आदि। जिस वाक्य में किसी भावी काम का संकेत किया गया हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे—(क) अगर तुमने मुझे वहाँ जाने से रोका तो मैं प्राण दे दूँगा। (ख) यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी भी सहायता करता रहूँगा। उक्त दोनों वाक्यों में क्रमात् 'प्राण देने' और 'सहायता करने' का संकेत मात्र किया गया है। कुछ लोगों ने अर्थ की दृष्टि से वाक्य का एक और भेद एकार्थक वाक्य भी किया है। जिस वाक्य

का एक ही अर्थ हो, उसे वे एकार्थक वाक्य कहते हैं। परन्तु वास्तव में यह वाक्य का कोई भेद नहीं है।

वाक्य रचना

यदि हम हिन्दी भाषा के अनेक प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करें तो उनकी रचना के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातें दिखाई देंगी—

१. उद्देश्य पहले रखा जाता है और विधेय बाद में। साधारणतया उद्देश्यवर्धक उद्देश्य के पहले आते हैं और विधेयवर्धक विधेय के पहले आते हैं। जैसे—

(क) राम — उद्देश्य; जाता है। — विधेय

(ख) कृष्ण का भाई — उद्देश्य-वर्धक; राम — उद्देश्य; घर — विधेय-वर्धक; जाता है। — विधेय

(ग) राम ने — उद्देश्य; सीता को वन में — विधेय-वर्धक; भेज दिया। — विधेय

(घ) काला — उद्देश्य-वर्धक; घोड़ा — उद्देश्य; सरपट — विधेय-वर्धक; दौड़ा। — विधेय

(ङ) मुझसे — उद्देश्य; चला नहीं — विधेय वर्धक; जाता। — विधेय

(च) तुम — उद्देश्य; राम को पुस्तक — विधेय वर्धक; दे दो। — विधेय

२. जब उद्देश्य के उद्देश्य-वर्धक पद एक से अधिक होते हैं तब वाक्य में उन्हें रखने का क्रम इस प्रकार होता है :—

(क) यदि दो या अधिक विशेषण हों और उनमें से एक निर्देश-सूचक हो तो निर्देश-सूचक विशेषण पहले आवेगा; और तब बाद में दूसरा या दूसरे विशेषण रहेंगे; और तब अन्त में उद्देश्य होगा। जैसे—

(क) यह मेरा घर है।

निर्देश सूचक विशेपण सार्वनामिक विशेषण उद्देश्य विधेय

(ख) यह मेरा छोटा भाई है।

निर्देश सूचक विशेपण सार्वनामिक विशेषण गुण वाचक विशेषण उद्देश्य विधेय

(ख) यदि निर्देश सूचक विशेपण न हों बल्कि दो या अधिक विशेषणों में से एक सार्वनामिक विशेपण हो तो सार्वनामिक विशेषण पहले आवेगा। जैसे—

मेरा बड़ा भाई आया है।

मेरे योग्य पुत्र, कहना मानो।

उसका नया संदेश आया है।

(ग) यदि निर्देश सूचक और सार्वनामिक से भिन्न दो विशेषण हों तो मान सूचक विशेषण पहले आवेगा। जैसे—यह बहुत चालाक लड़का है। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो।

यहाँ 'बहुत' मान सूचक विशेपण है और चालाक तथा अच्छे गुणवाचक विशेषण हैं।

(घ) यदि विधेय केवल 'ह' धातु का बना हुआ क्रिया-पद हो और उद्देश्य विभक्तिरहित हो तो निर्देश सूचक और सार्वनामिक विशेपण से भिन्न कोई और विशेपण विशेपतः गुणवाचक विशेपण उद्देश्य के बाद रहेगा। जैसे—

लड़का अच्छा है।
विचार सुन्दर था।
गरीब भूखा होगा।
अध्यापक समझदार हैं।

प्रायः ऐसी अवस्था में विधेयवर्धक नहीं होते।

(ङ) विभक्ति-सहित उद्देश्य के बाद उद्देश्यवर्धक नहीं होते।

(च) समानाधिकरण उद्देश्य से ठीक पहले आता है। जैसे—

(क) भाई मोहन जरा यह काम करो।

समानाधिकरण उद्देश्य

(ख) महात्मा गाँधी आये थे।

समानाधिकरण उद्देश्य

(छ) यदि समानाधिकरणों में से एक सर्वनाम भी हो तो वह बाद में रहेगा। जैसे—

मोहन तुम झूठ क्यों बोलते हो ?
राम तुम वहाँ क्यों गये ?
महाशय, आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

(ज) यदि वाक्य में दो उद्देश्य हों और वे 'और' या 'तथा' समुच्चय-बोधक से जुड़े हों और यदि दोनो उद्देश्य व्यक्ति वाचक एक ही वचन की तथा एक ही लिंग की संज्ञाएँ हों तो क्रिया उद्देश्य के लिंग के अनुसार बहुवचन रूप में होगी। जैसे—

राम और कृष्ण जायँगे।
सीता और राधा जायँगी।
मैं और वह जायँगे।
मैं और वह जायँगी।

यदि व्यक्ति वाचक एक-वचन संज्ञाएँ विभिन्न लिंगों की हों तो क्रिया पुंलिंग-बहुवचन रूप में होगी। जैसे—

राम और सीता आये हैं।

ऐसे अवसरों पर प्रायः दोनों, सब आदि शब्द अंतर्निहित रहते हैं। वाक्य का वास्तविक रूप होता है—राम और सीता दोनों आये हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं या सर्वनामों से भिन्न अन्य उद्देश्य होने पर क्रिया एक वचन रूप में ही रहती है और उसका लिंग अंतिम उद्देश्य के अनुरूप होता है। जैसे—

चूना और पत्थर मँगवाया गया।
गहना और कपड़ा चोरी गया।
घोड़ा और गाड़ी खरीदी गई।
प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ।

भूख और प्यास लगी। आदि

यदि विभिन्न पुरुषों, विभिन्न लिंगों और विभिन्न वचनों के उद्देश्य हों और वे 'और' या 'तथा' अव्यय से जुड़े हों तो क्रिया यों तो अंतिम उद्देश्य के लिंग और वचन के अनुरूप होगी या पुंलिंग बहु-वचन रूप में होगी। जैसे—

(क) वह और तू जायगा।
(ख) वह और मैं जाऊँगा।
(ग) मैं और वह जायेंगे।
(घ) वे और मैं जायँगे।

यहाँ ग और घ वाक्यों को शुद्धता की दृष्टि से 'मैं और वह दोनों जायेंगे' और 'वे और मैं सब जायेंगे' रूपों में लिखना चाहिए। 'वह और मैं जाऊँगा' लिखना प्रशस्त नहीं माना जाता और न 'वह और मैं जायेंगे' ही प्रशस्त माना जाता है। ऐसे अवसरों पर 'दोनों' का प्रयोग करना अधिक उत्तम होगा। वाक्य का रूप होगा—वह (पुरुष) और मैं (पुरुष) दोनों जायँगे। या वह (स्त्री) और मैं (स्त्री) दोनों जायँगी।

३. वाक्यों में विधेय के विधेयवर्धक रखने के प्रमुख नियम ये हैं—

(क) अव्यय विधेय-वर्धक विधेय से पहले आते हैं। जैसे—

वह जल्दी चलता है।
विधेय-वर्धक विधेय।

(ख) यदि विधेय-वर्धक दो पद हों और उनमें से एक अव्यय हो और दूसरा पूर्वकालिक तत्काल बोधक आदि कृदंत हों तो अव्यय पहले होगा, तब कृदंत होगा और तब अंत में विधेय होगा। जैसे—

लड़का जल्दी खाकर चला गया।
कबूतर अभी देखते देखते उड़ गया।
अधिक विलम्ब तो वहाँ जाने में होगा।

(ग) तक, तो, भर, भी, ही आदि अव्यय उन्ही शब्दों के पश्चात् आते हैं जिनके विषय में वे निश्चय प्रकट करते हैं। जैसे—तुम भी जाओगे।, राम आवेगा ही।

(घ) यदि विधेय का कोई विधेयवर्धक विशेषण भी हो तो वह अव्यय तथा कृदंत के बाद और विधेय से पहले रहेगा। जैसे—

घड़ी यहाँ से देखते देखते गायब हो गई।

(ङ) यदि वाक्य में कोई विधेयवर्धक संज्ञा कर्मकारक में आई हो तो वह विकल्प से उद्देश्य के ठीक बाद भी रखी जा सकती है और विधेयक से ठीक पहले भी। कर्मपूरक सदा विधेय से पहले आता है। जैसे—

(क) मैं काम नहीं करूँगा।
मैं नहीं काम करूँगा।
(ख) यहाँ का रिवाज कुछ और ही है।
यहाँ का कुछ और ही रिवाज है।
(ग) मैं यहाँ रहकर अँगरेजी सीखूँगा।
मैं अँगरेजी यहाँ रहकर सीखूँगा।
(घ) दो वर्ष पहले लाहौर में रहता था।
मैं दो वर्ष पहले लाहौर में रहता था।

(च) करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक में आई हुई विधेयवर्धक संज्ञा उद्देश्य के बाद आती है और तब कर्मकारक की संज्ञा आती है। जैसे—

राम छुरी से आम काटता है।
राम कृष्ण को पुस्तक देता है।
राम अयोध्या से बनारस जायगा।
राम वन में रहते थे।

यदि विधेयवर्धक कई कारक हों तो उनका क्रम इस प्रकार होता है—पहले अधिकरण, फिर अपादान, फिर सम्प्रदान, फिर करण और अन्त में कर्म करण विकल्प से कभी कभी अधिकरण के बाद भी रखा जाता है। जैसे—हनुमान वाटिका में पेड़ से खाने के लिए फल

तोड़ने लगे। यदि दो अधिकरण हों तो उनमें से कालवाची पहले रखा जाता है और स्थानवाची बाद में। जैसे—

रात को घर में चोर घुसे थे।

(छ) कर्मकारक का विशेषण उसके पहले रहता है। जैसे—

राम छुरी से आम की फाँक काटता है।

मोहन सोहन के लिए नई पुस्तक लाता है।

(ज) इधर कुछ दिनों से (क) अव्यय या अव्यय पदों से भी वाक्य आरम्भ करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे—

बहुत दिन पहले मैं लाहौर में रहता था।

वस्तुतः होना चाहिए—मैं बहुत दिन पहले लाहौर में रहता था।

(ख) कर्म को उद्देश्य से पहले रखने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। जैसे—

दिल को मैंने बहुत समझाया।

होना चाहिए— मैंने दिल को बहुत समझाया।

(ग) इसी प्रकार उद्देश्य से पहले विधेयवर्धक किसी कारक की संज्ञा भी देखने में आती है। जैसे—

छुरी से आम काटने में वह चतुर है।

होना चाहिए— वह छुरी से आम काटने में चतुर है।

अभ्यास

१. कर्त्ता, कर्म और क्रिया-पदो का वाक्य मे सामान्यतः क्या क्रम होना चाहिए ? उद्देश्य और विधेय तथा उद्देश्यवर्धक और विधेयवर्धक से आप का क्या अभिप्राय है ?

२. यदि वाक्य में दो कर्म हों तो किस कर्म को कहाँ स्थान दीजिएगा ?

३. तक, तो, भी और क्या अव्ययो का वाक्य मे क्या स्थान है।

४. कर्त्ता के समान-अधिकरण कहाँ रखे जाते हैं।

५. यदि वाक्य मे कर्त्ता कारक, करणकारक और अधिकरण कारक तीनों हो तो इनका क्रमात् क्या क्रम होगा।

सत्रहवाँ प्रकरण

सन्धि और समास

दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होनेवाले परिवर्तन या विकार को सन्धि कहते हैं, और दो या अधिक सार्थक पदों के होनेवाले मेल को समास कहते हैं।

सन्धि

दो वर्णों के मिलने से कभी तो दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण लुप्त हो जाता है और कभी दोनों वर्ण मिलकर एक नये वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। जब विद्या और आलय की सन्धि होती है, तब विद्या के आ और आलय के आ दोनों मिलकर एक 'आ' हो जाते हैं, और दोनों के योग से रूप बनता है—विद्यालय। परन्तु जब देव और इन्द्र की सन्धि होती है तब व का अकार और इन्द्र का इकार दोनों मिलकर 'ए' का रूप धारण कर लेते हैं, और उन दोनों का सन्धि रूप हो जाता है—देवेंद्र। स्मरण रहे कि सन्धि संस्कृत भापा का ही विषय है। परन्तु संस्कृत शब्द हिन्दी भाषा में भी चलते हैं, इसलिए सन्धि का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

सन्धियों के तीन भेद किये गये हैं—

१. स्वर-सन्धि,
२. व्यंजन-सन्धि और
३. विसर्ग-सन्धि।

१. स्वर-सन्धि

स्वर के साथ स्वर का मेल होने से स्वर-सन्धि होती है।

१. दीर्घ सन्धि

जब अ के बाद अ, इ के बाद इ, उ के बाद उ और ऋ के बाद

ऋ आता है, तब उनके मेल से क्रमात् उनके दीर्घ रूप अर्थात् आ, ई, ऊ और ॠ हो जाते हैं। जैसे—

दैत्य	+अरि	=दैत्यारि
गिरि	+इंद्र	=गिरींद्र
गुरु	+उपदेश	=गुरूपदेश
पितृ	+ऋण	=पितॄण[1]

इसी प्रकार आ + आ = आ, ई + ई = ई, ऊ + ऊ = ऊ तथा आ + अ = आ, ई + इ = ई और ऊ + उ = ऊ होता है।

२. गुण-सन्धि

अ के बाद इ आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ के बाद उ आने पर दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे—

देव	+इन्द्र	=देवेंद्र
देश	+उपकार	=देशोपकार

३ वृद्धि-सन्धि

अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और अ के बाद ओ या औ आने पर दोनो मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे—

अद्य	+एव	=अद्यैव
सदा	+एव	=सदैव
देव	+ऐश्वर्य	=देवैश्वर्य
महा	+ऐश्वर्य	=महैश्वर्य
वन	+ओषधि	=वनौषधि
महा	+ओषधि	=महौषधि
परम	+औपध	=परमौपध
महा	+औदार्य	=महौदार्य आदि।

४. यण्-सन्धि

(क) इ और ई के बाद यदि अ, आ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ ओ और

---

१. हिन्दी भाषा मे ऋ का दीर्घ रूप नही होता, केवल संस्कृत में होता है।

औ में से कोई स्वर वर्ण हो तो इ और ई के स्थान पर 'य' हो जाता है। जैसे—

यदि + अपि = यद्यपि
देवी + आगमन = देव्यागमन
प्रति + एक = प्रत्येक
अति + ओज = अत्योज
अति + औदार्य = अत्यौदार्य आदि।

(ख) यदि उ और ऊ के बाद उ या ऊ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर 'व' हो जाता है। जैसे—

अनु + अय = अन्वय
सु + आगत = स्वागत
अनु + एषण = अन्वेषण

(ग) यदि ऋ के बाद ऋ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो ऋ का 'र्' हो जाता है। जैसे—

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति
पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

५. अयादि-सन्धि

ए, ऐ, ओ और औ के बाद इनसे भिन्न स्वर वर्ण आने पर क्रमात् ए के स्थान पर अय्, ऐ के स्थान पर आय्, ओ के स्थान पर अव् और औ के स्थान पर आव् हो जाता है। जैसे—

ने + अन = नयन
नै + अक = नायक
पो + अन = पवन
पौ + अक = पावक आदि।

२. व्यंजन-सन्धि

व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर शब्दों के रूप में जो विकार होता है, उसे व्यंजन-सन्धि कहते हैं। व्यंजन-सन्धि के फल-स्वरूप होनेवाले कुछ मोटे मोटे विकार इस प्रकार हैं—

(क) जब तवर्ग के व्यंजन के बाद चवर्ग का कोई व्यंजन आता है, तब तवर्ग का व्यंजन चवर्ग में बदल जाता है। जैसे—

सत् + चित् = सच्चित्

सत् + जन = सज्जन आदि।

(ख) यदि पाँचों वर्गों में से किसी वर्ग का अन्तिम अर्थात् ...वाँ वर्ण बाद में आवे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी ...का अन्तिम व्यंजन हो जाता है। जैसे—

जगत् + नाथ = जगन्नाथ

वाक् + मय = वाङ्मय आदि।

(ग) यदि कोई स्वर, अंतस्थ व्यंजन अथवा किसी वर्ग का ...रा या चौथा व्यंजन बाद में आवे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के ...न पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे—

वाक् + अत्र = वागत्र

सत् + आचार = सदाचार

अच् + अन्त = अजन्त

जगत् + ईश = जगदीश

दिक् + दर्शन = दिग्दर्शन

षट् + दर्शन = षड्दर्शन

तत् + लीन = तल्लीन आदि।

(घ) यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ह् वर्ण हो तो उसके ...न पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है; और साथ ही ह् ...उसी वर्ग के चौथे वर्ण का रूप धारण कर लेता है। जैसे—

वाक् + हरि = वाग्घरि

तत् + हित = तद्धित

(ङ) यदि त् या द् के बाद श् वर्ण हो तो त् और द् दोनों च् ... धारण कर लेते हैं; और साथ ही श् भी छ् वर्ण बन जाता है

सत् + शासन = सच्छासन

शरद् + शशि = शरच्छशि

(च) यदि म् के परे कोई स्पर्श, अन्तस्थ या ऊष्म वर्ण आवे तो 'म्' का अनुस्वार हो जाता है। जैसे—

सम् + घर्ष = संघर्ष
सम् + तुष्ट = संतुष्ट
सम् + यम = संयम
सम् + हिता = संहिता आदि।

यदि म् के बाद किसी वर्ग का कोई स्पर्श व्यंजन आवे, तो कुछ लोग सन्धि करते समय म् के स्थान पर उसी वर्ग का पञ्चम वर्ण भी लगा देते हैं। जैसे—

सम् + चय = सञ्चय या संचय
सम् + भार = सम्भार या संभार आदि।

(छ) 'न्' का 'ण्' होता है यदि न् से पहले ष्, र् (या ऋ) अथवा क-वर्ग या प-वर्ग का कोई व्यंजन हो तो उक्त व्यंजनों और 'न' के बीच में स्वर का व्यवधान होने पर भी न् का ण् हो जाता है। जैसे—

कृ + अन = करण
चर् + अन = चरण आदि।

(ज) किसी स्वर वर्ण से परे छ् व्यंजन होने पर छ् का च्छ् हो जाता है। जैसे—

छत्र + छाया = छत्रच्छाया
आ + छादन = आच्छादन आदि।

३. विसर्ग सन्धि

विसर्ग का चिह्न : है। जब विसर्ग से विशिष्ट स्वरों तथा व्यंजनों का मेल होने पर विकार होता है, तब उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। विसर्ग सन्धि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं :—

१. जब विसर्ग से पहले भी अकार हो और बाद में भी अकार हो तो दोनों अकार और विसर्ग मिलकर ओकार हो जाते हैं। जैसे—

प्रथमः + अध्याय = प्रथमोध्याय

मनः + अभिलाषा = मनोभिलाषा आदि।

यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और पूर्व का अकार मिलकर ओकार हो जाते हैं। जैसे—

यशः + दा = यशोदा

मनः + रथ = मनोरथ

मनः + हर = मनोहर आदि।

२. यदि विसर्ग के पूर्व तो अ हो परन्तु बाद में अ से भिन्न कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे—

अतः + एव = अतएव

परन्तु यदि विसर्ग के बाद क, ख, प और फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यो रहता है। जैसे—

अधः + पतन = अधःपतन

पयः + पान = पयःपान आदि।

३. यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ वर्ण अथवा कोई अन्तस्थ वर्ण अथवा हकार हो तो विसर्ग के स्थान में र् हो जाता है। यह नियम उसी समय के लिए है जब विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है। जैसे—

निः + धन = निर्धन

दुः + गति = दुर्गति

दुः + लभ = दुर्लभ आदि।

४. यदि विसर्ग से पहले इ और उ में से कोई स्वर हो और बाद में क, ख, प और फ में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर ष् हो जाता है। जैसे—

दुः + कृत = दुष्कृत

निः + फल = निष्फल
निः + पाप = निष्पाप आदि।

५. यदि विसर्ग के बाद श्, ष, या स् वर्ण में से कोई हो तो विसर्ग अपने से बादवाले व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। जैसे—

निः + सन्देह = निस्सन्देह
दुः + शासन = दुश्शासन
निः + सार = निस्सार आदि।

६. यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ हो तो विसर्ग के बदले श् हो जाता है। जैसे—

निः + चय = निश्चय
निः + छल = निश्छल आदि।

७. यदि विसर्ग के बाद त् अथवा थ् व्यंजन हो तो विसर्ग के बदले स् हो जाता है। जैसे—

दुः + तर = दुस्तर
मनः + ताप = मनस्ताप आदि।

समास

हम ऊपर कह आये हैं कि दो या अधिक सार्थक[1] पदों के मिलकर एक पद हो जाने को समास कहते हैं और इस प्रकार जो पद दो या अनेक पदों के योग से बनता है उसे समस्त पद कहते हैं; और जो पद मिलकर उसे समस्त पद बनाते हैं, उन्हें समस्यमान पद कहते हैं। समस्यमान जब मिलकर समस्त पद बनाते हैं, तब उनकी विभक्तियों, विभक्ति-प्रत्ययों, समुच्चय बोधक अव्ययों आदि का लोप हो जाता है। राष्ट्र का पति = राष्ट्रपति, गृह का स्वामी = गृहस्वामी, हवन के लिए कुंड = हवन-कुंड, घोड़ों की दौड़ = घुड़-दौड़; पानी से

---

१ यदि कोई पद सार्थक न हो तो समास नहीं बनता। जैसे—वान् प्रत्यय सार्थक नहीं है, इस लिए इसके योग से धन शब्द का धनवान् बनना समास नहीं कहलावेगा। समास तभी कहलावेगा, जब दोनों या सभी पद सार्थक होंगे।

चलनेवाली चक्की = पन-चक्की आदि। 'घोड़ा' का घुड़ अथवा 'पानी' का पन उनके लघु रूप के ही सूचक हैं। दाल-रोटी, पान-पत्ता, घर-बार आदि समस्त पद समुच्चय बोधक के लुप्त हो जाने पर ही बने हैं।

समास के मुख्य चार भेद हैं—

१. अव्ययी भाव,

२. तत्पुरुष,

३. बहुव्रीहि और

४. द्वन्द्व।

१. अव्ययी भाव

जब अव्यय का किसी पद के साथ समास होता है, तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में बहुधा पूर्वपद ही प्रधान होता है, जो अव्यय होता है। जैसे—

अनु	+ रूप	= अनुरूप
परि	+ अंत	= पर्यन्त
निर्	+ विघ्न	= निर्विघ्न
प्रति	+ दिन	= प्रतिदिन
बे	+ शक	= बेशक

हिंदी में जो अव्ययीभाव समस्त पद बनते हैं, उनके पूर्व-पद अव्यय न होने पर भी क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त मान लिये जाते हैं। जैसे—घर-घर, गाँव-गाँव, पल-पल, मन ही मन, बात ही बात, रातोंरात, दिनोदिन आदि।

२. तत्पुरुष

जहाँ किसी समस्त पद में उत्तर अर्थात् दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। समस्यमान पदों में जो पूर्व पद होता है, उसके अर्थ के अनुसार द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में से किसी एक विभक्ति का लोप रहता है

पूर्व पद जिस विभक्ति से युक्त होता है, उसके विभक्ति-नाम के साथ तत्पुरुष समास लगाने से उस पद का समास माना जाता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के छः भेद हुए। यदि द्वितीया का लोप हो तो कर्म या द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। जैसे—ग्रंथकार (ग्रंथ को बनानेवाला), मुँह-तोड़ (मुँह को तोड़नेवाला), मक्खीमार (मक्खी को मारनेवाला), नर-भक्षक (नर को खानेवाला) आदि। करण या तृतीया तत्पुरुष समस्त पद में तृतीया विभक्ति का लोप रहता है। जैसे—रोग-ग्रस्त (रोग से ग्रस्त), सूरकृत (सूर द्वारा बनाया हुआ), वज्राहत (वज्र से आहत) आदि। मार्ग-व्यय (मार्ग का व्यय), रसोई-घर (रसोई का घर), धन-लोभ (धन का लोभ) आदि में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है। इसलिए यहाँ सम्प्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जब पंचमी विभक्ति लुप्त होती है, तब अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे—रोग-मुक्त (रोग से मुक्त), ऋण-मुक्त (ऋण से मुक्त), देश-निकाला (देश से होनेवाला निकाला) आदि। षष्ठी विभक्ति के लुप्त होने पर संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे—राष्ट्रपति (राष्ट्र का पति), गृह-स्वामी (गृह का स्वामी), राजपुत्र (राजा का पुत्र), देव-पूजा (देव की पूजा), गंगा-जल (गंगा का जल) आदि। अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। जैसे—वन-वास (वन में वास), जल-मग्न (जल में मग्न), कार्य-कुशल (कार्य में कुशल), आप-बीती (अपने पर बीती), आसनारूढ़ (आसन पर आरूढ़) आदि।

जब विशेषण और विशेष्य मिलकर समस्त पद बनाते हैं, तब कर्मधारय समास होता है। कर्म-धारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है; क्योंकि संस्कृत भाषा में पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति रहती है और समस्त पद बनने पर उसका लोप हो जाता है। जैसे—पीतम्-अम्बरम् = पीताम्बर।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में विशेषणों में विभक्ति

अलग से नहीं लगती। केवल विशेषण और विशेष्य मिलकर समस्त पद बनाते हैं। जैसे—नील-गाय, काला नाग, बड़ा घर (कारागार), काली कोठरी आदि।

विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय तथा उपमेय और उपमान के मेल से बननेवाले समस्त पद भी कर्मधारय समास के ही अंतर्गत होते हैं।

विशेषण और विशेषण का समास, जैसे—नील-लोहित।

उपमान और उपमेय का समास; जैसे—चंद्र-मुख।

उपमेय और उपमान का समास; जैसे—चरण-कमल।

कर्मधारय समास का एक भेद द्विगु समास भी होता है। यह उस समय माना जाता है जब पहला पद संख्या-सूचक विशेपण होता है और समस्त पद समुदाय बोधक होता है। जैसे—अष्टाध्यायी, त्रिलोक, सप्तशती, चौमासा, दो तरफा आदि।

३. बहुव्रीहि समास

जब समस्यमान् पद आपस में मिलने पर अपने अपने अर्थों से भिन्न किसी नये अर्थ का बोध कराते हैं, तब बहुव्रीहि समास होता है। जैसे—दशानन (दश + आनन) कहने से रावण का और चतुर्भुज (चतुर् + भुज) कहने से विष्णु का बोध होता है। इसी प्रकार दो-जिब्भा कहने से दो तरह की बातें करनवाले व्यक्ति का बोध होता है, और कलजिब्भा कहने से अशुभ बातें कहनेवाले व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए दो-जिब्भा और कलजिब्भा में बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनो में संख्या-सूचक विशेषण लगते हैं। अन्तर यही है कि कर्मधारय में तो संख्या-सूचक विशेपण अपना सामान्य अर्थ रखता है; परन्तु बहुव्रीहि समास में उसका अर्थ बदल जाता है। जब दशमुख से दश मुँहोंवाले व्यक्ति का बोध होगा, तब वहाँ कर्मधारय समास होगा; और जब इससे रावण का बोध होगा, तब उसमें बहुव्रीहि समास होगा।

जब अ, अन आदि निषेधार्थक उपसर्ग लगने पर समस्त पद बनते हैं, तब वहाँ जो समास होता है, वह नञ् बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे—अ-नीति, अधर्म, अ-सहाय आदि।

४. द्वंद्व समास

द्वंद्व का अर्थ है—जोड़ा। जब किसी समस्त पद में एक ही तरह के दो पदों में का समुच्चय बोधक अव्यय लुप्त होता है, तब वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे—

पति-पत्नी = पति और पत्नी
माता-पिता = माता और पिता
बहन-भाई = बहन और भाई
सीता-राम = सीता और राम आदि

द्वंद्व समास के तीन भेद कहे गये हैं। यथा—इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास में 'और' का लोप होता है, जिसके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास में 'अथवा' या 'या' का लोप होता है। जैसे—भला-बुरा (भला अथवा बुरा), खरा-खोटा, (खरा या खोटा) गुण-दोष (गुण या दोष) आदि। समाहार द्वंद्व समास में विभिन्न अर्थोंवाले शब्दों का मेल रहता है तथा 'और' का लोप होता है जैसे— दाल-रोटी (दाल और रोटी), अन्न-जल, जल-वायु, काम-धाम आदि इसके उदाहरण हैं।

समस्त पदों के संबंध में ध्यान रखने की एक और बात यह है कि जब उनमें पूर्व पद प्रधान होगा, तब अव्ययी भाव समास होगा, जब उत्तर पद प्रधान होगा, तब तत्पुरुष समास होगा; जब दोनों पद समान रहेंगे, तब द्वंद्व समास होगा; और जब अन्य पद (अर्थ की दृष्टि से) प्रधान होगा, तब बहुव्रीहि समास होगा।

अभ्यास

१ सधि किसे कहते है ? तथा यह भी बतलाइये कि सधि कितने प्रकार की होती है ।

२. स्वर सधि, व्यजन सधि और विसर्ग सधि के मुख्य-मुख्य नियमो का निर्देश कीजिये ।

३. नीचे लिखे शब्दो मे संधि कीजिये और नियमो का निर्देश भी कीजिये ।

सु + अल्प, एक + एक, जगत् + नाथ,

आ + छादन, मनः + अभिलाषा, और निः + धन ।

४ समास किसे कहते हैं ?

५ समास कितने प्रकार के होते है ।

६. तत्पुरुष समास के भेद उदाहरण देकर समझाइये।

७ बहुव्रीहि समास और द्विगु समास मे अतर बतलाइये ।

अठारहवाँ प्रकरण

पद-परिचय

किसी वाक्य में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक पद आते हैं, उनके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य बातें बतलाना पद-परिचय कहलाता है। इसमें यह बतलाना पड़ता है कि वाक्य में आये हुए किसी पद की क्या स्थिति है और किस शब्द के साथ उसका कैसा अन्वय[1] अर्थात् सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी वाक्य के किसी संज्ञा-पद का परिचय देना हो तो हमें उसके सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नलिखित बातें बतलानी पड़ेंगी—

१. प्रकार (जैसे—वह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक आदि प्रकारों में से किस प्रकार का है।)

२. लिंग (स्त्रीलिंग है या पुंलिंग)

३. वचन (एकवचन है या बहुवचन)

४. कारक (कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि में से किस कारक में है।)

५. अन्वय (क्रिया आदि दूसरे पदों से उसका क्या संबंध है, अर्थात् वह क्रिया का कर्ता है, कर्म है आदि)।

सर्वनाम के संबंध में निम्नलिखित बातें बतलानी पड़ती हैं—

१. प्रकार (जैसे—पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक आदि में से किस प्रकार का है।)

२. पुरुष (उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है।)

३. लिंग (स्त्रीलिंग है या पुंलिंग)

४. वचन (एकवचन है या बहुवचन)

---

१ व्याकरण मे शब्दो का पारस्परिक संबंध सूचित करने के लिए पारिभाषिक पद अन्वय है।

५. कारक।

६. किस संज्ञा के स्थान पर आया है।

७. अन्य शब्दों से उसका अन्वय या संबंध।

विशेषण-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई जाती हैं—

१. प्रकार (जैसे—गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक आदि मेंसे किस प्रकार का है।)

२. लिंग

३. वचन

४. अन्वय (इसका विशेष्य-पद कौन है।)

क्रिया-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई जाती हैं—

१. प्रकार (अकर्मक है या सकर्मक, जिस धातु से बना है, उसका उल्लेख)

२. काल (वर्तमान कालिक है भूत कालिक या भविष्यत् कालिक है)

३. वाच्य (कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में)

४. अर्थ-प्रकार (निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक आदि में से किस प्रकार का है।)

५. लिंग

६. वचन

७. अन्वय (कर्ता, कर्म आदि कौन-कौन है)

क्रिया-विशेषण का पद-परिचय इस प्रकार दिया जाता है—

१. प्रकार (कालवाचक, स्थान वाचक आदि में से किस प्रकार का है।)

२. अन्वय (किस क्रिया-पद को विशेषित करता है।)

इसी प्रकार संबंध-सूचक पद का परिचय देते हुए उनके संबद्ध शब्द बतलाये जाते हैं, समुच्चय-बोधक पद का परिचय देते समय उसका प्रकार बतलाया जाता है और वह जिन पदों या वाक्यों को

जोड़ता है, उनका उल्लेख किया जाता है। विस्मयादि बोधक पदों का परिचय देते समय मन का वह भाव बतलाया जाता है, जिसका वह सूचक होता है।

अब हम यहाँ कुछ वाक्य देकर उनके पदों का परिचय देने का ढंग बतलाते हैं।

१. वाक्य—राम रोटी खाता है।

राम—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य, "खाता है' क्रिया-पद का कर्ता।

रोटी—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'खाता है' का कर्म तथा विधेय वर्धक।

खाता है—सकर्मक धातु 'खा' से बना हुआ सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया-पद, विधेय, अन्य-पुरुष, पुंलिंग, एकवचन, निश्चयार्थक और कर्तृवाच्य। इसका कर्ता है 'राम' और कर्म है 'रोटी'। 'खाता है' में 'खाता' मुख्य पद है और 'है' सहायक पद।

२. वाक्य—तू वह बात क्यों नहीं कहता।

तू—सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एकवचन, पुंलिग, कर्ताकारक, उद्देश्य, 'कहता' का कर्ता।

वह—सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुंलिंग, इसका विशेष्य 'बात' है।

बात—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'कहता' क्रिया-पद का कर्म तथा विधेयवर्धक।

क्यों—अव्यय, 'कहता' क्रिया-पद से संबद्ध।

नहीं—अव्यय, विशेषार्थक, 'कहता' क्रिया-पद से संबद्ध।

कहता—सकर्मक, 'कह' धातु से बना हुआ सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया-पद, विधेय, मध्यम पुरुष, पुंलिंग, एकवचन, निश्चयार्थक और कर्तृवाच्य। इसका उद्देश्य है 'तू' और कर्म है 'बात'।

३. वाक्य—अब मुझसे यह काम नहीं होता।

अब—अव्यय, कालवाचक, 'होता' क्रिया-पद से संबंधित।

मुझसे—सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुंलिंग, एकवचन, करण कारक, उद्देश्य, 'होता' कर्मवाच्य क्रिया-पद का उद्देश्य।

यह—निर्देशक विशेषण, पुंलिंग, 'काम' का विशेषण।

काम—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, विधेय वर्धक 'होता' क्रिया-पद का कर्म।

नहीं—निषेधसूचक अव्यय, 'होता' क्रिया-पद से संबद्ध।

होता—'हो' सकर्मक धातु का बना हुआ वर्तमान कालिक रूप, पुंलिग, एकवचन, इसका कर्म है—काम।

४. वाक्य—भागता हुआ चोर पकड़ा गया।

भागता हुआ—'भाग' अकर्मक धातु का वर्तमान कालिक कृदंत रूप, विशेषण की तरह प्रयुक्त, उद्देश्य वर्धक, इसका विशेष्य है 'चोर'।

चोर—जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य, 'पकड़ा गया' का उद्देश्य।

पकडा गया—सकर्मक 'पकड़' धातु से बना हुआ सामान्य भूत कालिक क्रिया-पद, कर्मवाच्य, विधेय, पुंलिंग, एकवचन, अपने उद्देश्य 'चोर' के अनुमार।

५. वाक्य—बुड्ढे से चला नहीं जाता।

बुड्ढे से—जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एक वचन, करणकारक, उद्देश्य, 'चला जाता' क्रिया का उद्देश्य, 'से' करणकारक की विभक्ति।

नहीं—निषेधार्थक अव्यय, 'चला जाता' क्रिया-पद से सम्बद्ध।

चला जाता (है)—अकर्मक 'चल' मुख्य धातु से बना हुआ भाववाच्य, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया-पद, विधेय, निश्चयार्थक, तृतीय पुरुष, पुंलिंग, एकवचन, इसका उद्देश्य है 'बुड्ढे से'।

जाता—'जा' संयोज्य धातु का कृदंत रूप।

है—'ह' सहायक धातु का अन्य पुरुष, एक वचन, वर्तमान कालिक रूप।

६. वाक्य—अहा ! कितना सुहावना दृश्य था।

अहा—विस्मयादि बोधक, हर्षद्योतक।

कितना—अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, 'सुहावना' विशेषण को विशेषित करता है। उद्देश्य वर्धक।

सुहावना—गुणवाचक विशेषण, 'समय' को विशेषित करता है। उद्देश्यवर्धक।

दृश्य—'भाववाचक संज्ञा, पुंलिग, एकवचन, कर्ताकारक 'था' क्रिया-पद का उद्देश्य।

था—'ह' अकर्मक धातु का भूत कालिक रूप, विधेय, एकवचन, पुंलिंग, कर्तृवाच्य, इसका उद्देश्य है 'दृश्य'।

७. वाक्य—(उसे) देश-सेवा करनी चाहिए।

देश-सेवा—भाववाचक संज्ञा, समस्तपद, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, विधेयवर्धक।

करनी चाहिए—'कर' मुख्य सकर्मक धातु का भविष्यत् कालिक कृदंत रूप, विधेय, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, इसका उद्देश्य (उसे) लुप्त है।

चाहिए—'चाह' सहायक धातु का वर्तमान कालिक अनिश्चयार्थ रूप।

८. वाक्य—मोहन देवदत्त को भाई कहता है।

मोहन—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य 'कहता है' क्रिया-पद का उद्देश्य।

देवदत्त को—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'कहता ह' का कर्म, विधेयवर्धक को; कर्मकारक की विभक्ति।

भाई—जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्म देवदत्त का समानाधिकरण।

कहता है—'कह' धातु का सामान्य वर्तमान कालिक रूप, विधेय, अन्य पुरुष, एकवचन, पुंलिग, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य। इसका कर्त्ता है 'मोहन' और कर्म है 'भाई।'

६. वाक्य—मैं खाकर चलूँगा।

मैं—उत्तम पुरुष, सर्वनाम, कर्त्ताकारक, उद्देश्य, पुंलिग, एकवचन। इसका विधेय है 'चलूँगा'।

खाकर—'खा' धातु का भविष्यत् कालिक कृदंत रूप, क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त, 'चलूँगा' विधेय का विधेय वर्धक।

चलूँगा—'चल' अकर्मक मुख्य धातु का सामान्य भविष्यत् कालिक रूप, विधेय, पुंलिग, एकवचन, उत्तम पुरुप। गा—'ह' धातु का भविष्यत् कालिक पुंलिग, एकवचन, उत्तम पुरुप सहायक रूप।

अभ्यास

१ सज्ञा-पदो और क्रिया-पदो का परिचय दते समय किन-किन बातो का उल्लेख करना चाहिए ?

२ निम्न वाक्यो के पदो का परिचय दीजिए—

(क) लडका दूध पीता है।

(ख) राम वन गया।

(ग) अहा ! बन्दर ने तमाशा दिखलाया।

उन्नीसवाँ प्रकरण

विराम-चिह्न

लिखाई और छपाई में वाक्यों, उपवाक्यों, पदों आदि को अलग-अलग दिखलाने के लिए लगाये जानेवाले कुछ विशिष्ट चिह्नों को विराम-चिह्न कहते हैं। ये विशेषतः इस दृष्टि से लगाये जाते हैं कि पाठक अधिक सुगमता से वाक्यों, पदों आदि का अर्थ समझ सकें। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होनेवाले प्रमुख विराम-चिह्न निम्नलिखित हैं।

१— । —इसे खड़ी पाई या पूर्ण विराम कहते हैं।
२— , —इसे अल्प विराम कहते हैं।
३— ; —इसे अर्ध विराम कहते हैं।
४— : —इसे अपूर्ण विराम कहते हैं।[1]
५— ? —इसे प्रश्न-चिह्न कहते हैं।
६— ! —इसे विस्मयादि बोधक चिह्न कहते हैं।
७— — —इसे रेखिका कहते हैं।
८— - —इसे योजक-चिह्न कहते हैं।
९— ' ' या " "—इन्हें उद्धरण-चिह्न कहते हैं।
१०— ( ), { }, [ ]—इन्हें कोष्ठक कहते हैं।
११— ० —इसे संक्षिप्तक चिह्न कहते हैं।

जब कोई पूरी बात कहकर वाक्य समाप्त किया जाता है, तब उसके अंत में पूर्ण विराम चिह्न (।) लगाया जाता है। जैसे—राम जाता है। सीता खाना पकाती है। मोहन दिल्ली चला गया है।[2]

---

१ इस चिह्न का प्रयोग मुख्यत अगरेजी मे होता है। हिंदी मे लोग प्रायः इस लिए इसका प्रयोग नहीं करते कि इससे हमारे यहाँ के विसर्ग-चिह्न का भ्रम होता है।

२. अगरेजी, मराठी आदि में इसके स्थान पर . चिह्न लगाया जाता है, जिसका अनुकरण अब कुछ हिंदी लेखक तथा प्रकाशक भी करने लगे हैं।

वाक्य के मध्य में दो से अधिक समान पदों में पार्थक्य दिखलाने के लिए अल्प विराम (,) लगाया जाता है। जैसे—

(क) राम, मोहन, श्याम और सुरेश चले गये।
समान पद

(ख) छोटी, हलकी, गोल तथा किनारदार थाली लाना।
समान पद

(ग) उठकर, नहाकर और खाकर वह चल दिया।
समान पद

(घ) ले, दे या फेंक दे।
समान पद

अंतिम समान-पद से परे 'और' 'तथा' 'या' 'एवं' 'आदि' में से कोई एक अव्यय रहता है।

अर्ध-विराम (;) उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे—

गाड़ी आई; बरात उतरी; बरातियों का स्वागत हुआ और उन्हें जनवासे में पहुँचाया गया।

अपूर्ण विराम (:) किसी की बात उद्धृत करने, उदाहरण आदि देने से पूर्व लगाया जाता है; और इसके बाद रेखिका भी लगाई जाती है। जैसे—

मोहन ने कहा :—मैं चलने को प्रस्तुत हूँ।

प्रश्न-चिह्न (?) सदा प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे—

क्या तुमने उसे मारा है ?
तुम कब जाओगे ?
ऐसा क्यों कहते हो ?

विस्मयादि बोधक चिह्न (!) विस्मय, दुःख, हर्ष आदि सूचक अव्ययों, पदों या वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे—

ओह ! आप आ गये !

शाबाश ! शाबाश !

उसने भी जान ही दे दी !

रेखिका (—) वाक्य के किसी पद का लोप अथवा उसके खंडित अंश को सूचित करने के लिए लगाई जाती है। जैसे—

राम, श्याम और—कहाँ गये ?

कभी-कभी इसके स्थान पर बिंदुमाला का भी प्रयोग होता है, जिसका रूप यह है .....। जैसे—उसने मेरी ओर देखा...... फिर उठकर चला गया।

रेखिका प्रायः उदाहरण, उद्धृत अंश, व्याख्या आदि में पहले भी लगाई जाती है। जैसे—इसमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। यथा—केले के खंभे, पानी का घड़ा, बंदनवार आदि।

योजक चिह्न (-) संयुक्त पद के अंशों को अलग-अलग दरशाने के लिए लगाया जाता है। जैसे—

माँ-बाप।

आँधी-पानी।

दिन-रात।

जल-वायु।

गरमी-सरदी।

मार-पीट।

पद-परिचय।

हृदय-विदारक। आदि

उद्धरण चिह्न (' ' या " ") किसी उद्धृत वाक्य के आरंभ और अंत में यह सूचित करने के लिए लगाये जाते हैं कि इनके बीच का अंश स्वयं वक्ता या लेखक का नहीं है; बल्कि किसी और का है और यहाँ उद्धरण के रूप में लिया गया है। जैसे—उनका कथन इस प्रकार है—'दर्शन शास्त्र का अध्ययन मनुष्य को नीतिमान् बनाता है।' कभी-कभी ये चिह्न किसी वाक्य में आये हुए किसी पद की विशिष्टता

दिखलाने या उसका स्वतंत्र महत्त्वपूर्ण अस्तित्त्व सूचित करने के लिए भी लगाये जाते हैं। जैसे—इस वाक्य में 'खाना' शब्द भोजन के अर्थ में नहीं, बल्कि 'घर' के अर्थ में आया है।

किसी गौण पद या वाक्य को मुख्य वाक्य से अलग करके दिखलाने के लिए उन्हें कोष्ठक में रखा जाता है। जैसे—

(क) तुम्हें अपने पर गर्व (सद् अभिमान) होना चाहिए।

(ख) उन दिनों श्री ललित बिहारी (अब डाक्टर) कालेज में पढ़ते थे।

संक्षिप्तक चिह्न (०) किसी पद के लघु या संक्षिप्त रूप के बाद लगाया जाता है। जैसे—

तारीख—ता०

डाक्टर—डा०

पंडित—पं०

बाबू—बा०

अभ्यास

१ , ; ? और—चिह्नो के क्या नाम हैं ? यह भी निर्देश कीजिए कि भाषा मे इनका क्या उपयोग होता है ?

२. ता०, डा०, प० आदि के अत का ० चिह्न क्या सूचित करता है ?